खण्ड-169, अंक-5
शुक्रवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1878
(23 मार्च, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 169 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग, श्रम और संख्या (स्वीकृत)	३२७—३४०
अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय, अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग और ४४—उड्डयन तथा अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ८२—कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	३४०—३६४
अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—समाज कल्याण (स्वीकृत) . .	३६४—३७३
अनुदान संख्या ३—लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी (स्वीकृत) . .	३७३—३७९
अनुदान संख्या ४—लेखा शीर्षक ९—स्टाम्प (स्वीकृत)	३७९
अनुदान संख्या ६—लेखा शीर्षक ११—रजिस्ट्री (स्वीकृत) . .	३७९
१९५६ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) (पारित)	३७९—४००
यू० पी० यूनिवर्सिटीज अध्यादेश के विषय में जानकारी	४००

———

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २३ मार्च, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६८)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
कारणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल, जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री

बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखकी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री

सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष––एक सूचना मुझे आदरणीय सदन को देनी है कि स्थायी समिति और वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के लिये चुनाव के सम्बन्ध में मैंने एक कार्यक्रम निर्धारित किया था, लेकिन मुख्य सचेतक जी ने मुझे यह पत्र लिखा है कि क्योंकि २ अप्रैल से यह सदन फिर से बैठेगा, तो काफी समय उनको नहीं मिलेगा। यदि ६ को नामिनेशन हुआ, तो इन २४ स्थायी समितियों में ऐडजस्टमेंट करने में, जिसमें चुनाव की आवश्यकता न पड़े, समय कम पड़ेगा और इस कार्य में समय कुछ अधिक चाहिये। मैंने इस कारण से कार्यक्रम बदल दिया है, वह इस प्रकार है:––

नाम निर्देशन के प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा समय––११ अप्रैल, १९५६, सायंकाल ४ बजे।

नाम निर्देशन की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय––१७ अप्रैल, १९५६, सायंकाल ४ बजे सचिव, विधान सभा के कमरे में।

नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय––२४ अप्रैल को सायंकाल ५ बजे।

यदि चुनाव हुआ तो उसके लिये तारीख मैं बाद में निश्चित करूंगा।

दूसरी सूचना यह है कि असरकारी कार्य के लिये जो बैलेट होने वाला था २९ मार्च, को, चूंकि १३ अप्रैल को सदन नहीं बैठेगा इसलिये उसके लिये कोई दूसरी तारीख निर्धारित की जायगी। तो कोई दूसरा समय और तारीख जो होगी, वह जब बाद में सदन बैठेगा, तब मैं घोषित करूंगा।

१९५६–५७ के आय–व्ययक के विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)––अध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना करनी है कि आज हमारे पास बहुत से अनुदान हैं और साढ़े चार बजे तक उन्हें खत्म हो जाना है। कल शायद यह निश्चय हुआ था कि आज क्वेश्चन आवर तो होगा नहीं और लेबर की जो

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

अनुदान है यही साढ़े बारह बजे तक चलेगी। तो जो हमने पहले से कार्यक्रम बना रखा था कि १२ बजे के बाद हम चाहते थे कि दूसरा कार्य ले लिया जाय, उसके लिये मेरी प्रार्थना है कि सभी अनुदानों पर चूंकि हम बहस करना चाहते हैं तो लेबर वाली, अगर १२ बजे तक खत्म हो जाय तो, उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम पहले से बना हुआ है वह ठीक से हो जायगा। हमारी ओर से इस पर लोग बोल चुके हैं और लेबर लीडर्स बोल ही लेंगे और अगर आप इजाजत दें और सदन स्वीकार कर ले तो १२ बजे तक लेबर वाली खत्म हो जाय और फिर ट्रांसपोर्ट को ले लें।

श्री अध्यक्ष--इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--वैसे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि उनके बोलने वाले कितने लोग हैं जो इस पर बोलना चाहते हैं।

एक सदस्य--वह बोलना नहीं चाहते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई बोलना नहीं चाहेगा।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि मंत्री जी को भी कोई आपत्ति नहीं है।

अर्द्ध कुम्भ मेला नियम, १९५६

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यू० पी० मेलाज ऐक्ट, १९३८ की धारा ९ की उपधारा (२) के अनुसार अर्द्धकुम्भ मेला नियम १९५६, जो म्युनिसिपल विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३०२८-पी/११-बी-२६--एम-५५, दिनांक २७ दिसम्बर, १९५५ द्वारा प्रकाशित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

बिजली कम्पनियों के श्रमिकों के बोनस के भुगतान के संबंध में लेबर अपीलेट ट्रिब्युनल, लखनऊ के निर्णय में संशोधन विषयक नोट

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (अपीलेट ट्रिब्युनल) ऐक्ट, १९५० की धारा १५ की उपधारा (२) के अन्तर्गत १९५२-५३ के बोनस के भुगतान के सम्बन्ध में मेसर्स यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, इलाहाबाद और मेसर्स यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ तथा उनके श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवाद में अपील संख्या २१२/१९५४ में २३ जनवरी, १९५६ ई० को दिये गये माननीय लेबर अपीलेट ट्रिब्युनल आफ इंडिया, तृतीय बेंच, लखनऊ के निर्णय में संशोधन के विषय में नोट सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के संबंध में जानकारी की प्रार्थना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के बारे में आपसे प्रार्थना की थी।

श्री अध्यक्ष--हां, मैंने लिखा था कि २३ तारीख तक वे उत्तर दे दें तो ठीक है। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि उक्त प्रश्न अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में आवे। इस बात की आपके पास सूचना तो पहुंच गयी होगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---नहीं पहुंची ।

श्री अध्यक्ष---नहीं पहुंची तो मैं अभी दिये देता हूं कि उन्होंने अल्पसूचित रूप में प्रश्नों में स्वीकार नहीं किया है । जैसे और तारांकित प्रश्न आते हैं उसी तरह से अब वे आवेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---उसके महत्व को देखते हुये सदन में कुछ कहने की अनुमति दे दीजिये । मैंने उस दिन भी आपकी आज्ञा चाही थी ।

श्री अध्यक्ष---वह तो ठीक है, लेकिन आज तो प्रश्नों का सवाल नहीं है, आज तो वह आ भी नहीं सकते । जब सदन फिर बैठेगा २ तारीख को और माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिये तैयार नहीं होंगे, तब मैं इस सुझाव के ऊपर सोच लूंगा ।

१९५६-५७ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---अभी उपाध्याय जी ने श्रीमन्, श्रम के लिये कहा है । उसके बाद श्रीमन्, ट्रांसपोर्ट ले लिया जाय और उसके लिये दो घंटा रखा जाय, उसके बाद समाज कल्याण के लिये एक घंटा और एक्साइज के लिये आध घंटे का समय रहे ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि समाज कल्याण को श्रम के बाद ही क्यों न खत्म कर लिया जाय ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---मतलब यह है कि एक्साइज और समाज कल्याण एक सा है । शाम के वक्त ही ठीक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष---इसमें श्रम मंत्री को तो कोई आपत्ति नहीं है ।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---तो ठीक है ।

१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या २८---लेखा शीर्षक ४७---विविध विभाग, श्रम और संख्या---(क्रमागत)

*श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कल श्रम विभाग का आय-व्यय लेखा पेश करते हुये माननीय श्रम मंत्री जी ने जो महत्वपूर्ण भाषण दिया था उससे यह सदन वाकिफ है । इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश का यह विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है । मुझे दुख है कि इस विषय में कल जो समय सदन ने दिया था आज उसको वापस कर लिया । फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि अगले वर्षों की भांति कुछ समय और बढ़ाकर देने की कृपा करेंगे क्योंकि साल भर में एक बार कहने का मौका मिलता है कि अपनी बातें गवर्नमेंट के सामने रख सकूं । अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे प्रान्त और प्रान्त के बाहर मजदूरों की तीन समस्यायें चल रही हैं । पहली समस्या तो यह है कि उद्योग धंधों में मजदूरों का उसके प्रबंध में हिस्सा कर देना, दूसरी समस्या निर्वाह योग्य मजदूरी और तीसरी समस्या बेकारी । इन तीनों प्रश्नों को लेकर केन्द्रीय सरकार ने अपनी एक नीति निर्धारित की है और उसी के अनुसार हमारे प्रान्त ने भी इस विषय में अपनी नीति निर्धारित कर दी है, लेकिन कल माननीय मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी]

जी ने कल-कारखानों के सम्बन्ध में मजदूरों का क्या भाग होगा और उनके प्रबंध में मजदूरों को किस तरीके से हिस्सा मिलेगा इस सम्बन्ध में कोई नीति नहीं बतायी। मुझे आशा है कि अब जब वे अपना भाषण देंगे तो इस प्रश्न पर जरूर विचार करेंगे और इस प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको हल करने के लिये कहा जा सकता है कि मजदूरों का संगठन बहुत जरूरी है। बदकिस्मती से हमारे प्रदेश में इस चीज की कमी है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता और आज मैं सदन में समाचारपत्रों में छपे उस संवाद को सुनाना चाहता हूं कि पहले जो लेबर इन्क्वायरी कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष इस प्रदेश के लेबर कमिश्नर थे। उसमें मजदूरों के प्रतिनिधियों ने अपना नाम वापस लिया और वह कमेटी समाप्त हो गयी। फिर एक हड़ताल हुयी जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया। मैं उस हड़ताल का जिक्र यहां कर के सदन का समय नहीं खराब करूंगा। उसके बाद एक कमेटी बनी, जस्टिस बिन्ध्यवासनी प्रसाद की अध्यक्षता में। आज की खबर है कि उसके प्रजा सोशलिस्ट सदस्य श्रीगणेशदत्त वाजपेयी ने उससे इस्तीफा दे दिया है। यह समाचार कहां तक सच है इसकी पुष्टि माननीय मंत्री जी करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो चाहता हूं कि यह समाचार गलत हो, लेकिन जिस प्रकार से यह समाचार समाचार-पत्रों में निकला है उसे गलत मानने में कुछ संकोच मालूम होता है। पर यह समाचार अगर सत्य है, जैसा मुझे और तरीकों से मालूम हुआ कि सत्य है, तो मैं यह कह सकता हूं कि कानपुर ऐसे शहर में चाहे जिस तरह की विचारधारा के लोगों ने एक संगठन बनाया, एक हड़ताल की और उसके बाद यूनियन की समाप्ति हो रही है इसके कारण मजदूर आन्दोलन को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। उसके पहले एक धक्का शुगर फैक्टरी के मजदूरों को तब लगा था जब किन्हीं कारणों से शिब्बनलाल जी को विजय प्राप्त हुयी थी और जब कार्य रूप में परिणित करने का समय आया था तो सब तितर-बितर हो गये थे। वही दशा आज कानपुर के सूती मिल यूनियन की हो रही है। यदि वह चाहते हैं कि जिस तरह से कार्य चल रहा है वैसे ही चले तब तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर वह चाहते हैं कि काम सही तरीके से चले तब तो उनको कुछ बातें तय करनी होंगी और करना यह होगा कि इस प्रान्त में बम्बई के तरीके से ट्रेड यूनियन ऐक्ट और ट्रेड डिस्प्यूट ऐक्ट बनाना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी बातें होने के बाद, इतनी बड़ी हड़ताल होने के बाद भी हमारी सरकार ने उधर क्यों नहीं ध्यान दिया। मुझे आशा है कि हमारे प्रान्त में भी बम्बई और दूसरे प्रान्तों की तरह—मैं खासतौर से बम्बई का नाम लेता हूं—कानून हमारी सरकार बनायेगी जिससे जो हमारा सेंट्रल ऐक्ट है, जिसमें यह है कि हम ७ या ११ आदमी एक जगह बैठ जायं तो यूनियन बना सकते हैं और ५ रुपये दाखिल करके उसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं और फिर वही ७ या ११ आदमी तमाम मजदूरों के भाग्य का फैसला कर सकते हैं, उसके बदले में वह लागू हो। आवश्यकता इस बात की है कि गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे।

दूसरी चीज जो हमारे सामने है वह है वेतन सम्बन्धी प्रश्न। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने सदन के सामने कई बार कहा कि हमारे प्रान्त में एक मिनिमम वेज बोर्ड बना। उस बोर्ड ने पता नहीं किस तरह यह सिफारिश की कि २६ रुपये माहवार मय मंहगाई के यहां के मजदूरों का वेतन हो, वह हुआ। मगर उसका विरोध हम लोग करते रहे। सरकार ने भी उस विरोध के उत्तर में एक दूसरा मिनिमम वेज बोर्ड बना दिया सन् ५३ में। और यह सन् ५६ का मार्च है मगर उसकी कोई मीटिंग नहीं हुयी। दो वर्ष का उसका कार्यकाल भी समाप्त हो गया। इस मामले में इसमें कोई शक नहीं कि हमारी प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार का अनुकरण किया। उसने भी एक बोर्ड बनाया था और दो वर्ष तक उसकी भी कोई मीटिंग नहीं हुयी। मैं चाहता हूं कि दूसरा बोर्ड बनाया जाय और जैसा कि मिनिमम वेज ऐक्ट में लिखा हुआ है कि बराबर वह बोर्ड तनख्वाहों को रिवाइज करता रहेगा और समयानुकूल उनको बढ़ाता या घटाता रहेगा, वैसे ही होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी दूसरा बोर्ड शीघ्रातिशीघ्र बनायें जो इन तनख्वाहों के बारे में विचार करे।

तीसरा प्रश्न बेकारी का है। यह मसला प्रान्तीय मसला नहीं है बल्कि सारे देश का मसला है। लेकिन फिर भी हमारे मंत्री महोदय ने कल यह एलान किया कि हमारे पास अब एम्पलायमेंट एक्सचेंज आ गये। अभी तक वे केन्द्रीय सरकार की अध्यक्षता में चल रहे थे, अब हमारी सरकार के हाथ में आगये। लेकिन मुझे शक है, मेरी जो सूचना है वह यह है कि केन्द्रीय सरकार जो अधिकार अभी तक उसके पास हैं उनको जल्दी छोड़ना नहीं चाहती और शायद कुछ दिन और इसमें लगेंगे। लेकिन मेरी सूचना गलत हो सकती है क्योंकि वह नान–आफिशियल ढंग की है और अगर पहली अप्रैल से प्रान्तीय सरकार के पास उनका चार्ज आये, जैसी कि माननीय मंत्री जी की सूचना है तो कृपा करके उन शहरों में जहां इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं या कल कारखाने हैं, वहां फौरन ही अपने डिपार्टमेंट का एक आफिस खोल दें और ज्यादा अच्छा हो अगर दूसरी जगहों में भी खोलें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ तो और समय देंगे ही।

श्री अध्यक्ष––दो, तीन मिनट हैं अभी।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी––दो तरह की हमारे यहां बेकारी है। एक पढ़े लिखे लोगों की और दूसरी बे पढ़े लिखे लोगों की। पढ़े लिखे लोगों के बारे में हर वर्ष जो इंट्रेंस पास होकर निकलते हैं, यह विभाग उनको सलाह दे कि उनको क्या काम करना है, क्या पढ़ना है, तुम्हारा क्या तरीका हो, इन चीजों पर उनको सलाह दे और उनका ध्यान उधर ले जाय ताकि बेकारों का बोझ इंडस्ट्री की तरफ बढ़े और अपने कार्य को चला सके।

इसके बाद एक प्रश्न और है जो कल माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे प्रांत में ऐक्टों की भरमार है। तमाम कानून लेबर के बारे में हैं जिनकी काफी संख्या है। एक मांग हुई कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स के बारे में भी बनना चाहिये वह बना और हमारे प्रांत में लागू भी हो गया। अच्छा है, लेकिन हमारी सरकार का एक यह भी विचार है कि जितने सोशल ऐक्ट्स हैं उनको धीरे-धीरे सम्हाल कर लागू किया जाय। एक तो यह समझता है कि ऐक्ट बन गया और दूसरा समझता है कि धीरे-धीरे लागू होगा। तो नतीजा यह होता है कि दोनों उससे असंतुष्ट रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वर्किंग जर्नलिस्ट के इस ऐक्ट को आप पूरे का पूरा लागू कर दें अच्छी तरह से। मुझे दुख है कि आज प्रेसों में रिपोर्टस को और सहायक संपादकों को कोई समय निश्चित नहीं है। १२ और १४ घंटे उनसे काम लिया जाता है। अगर यही दशा रही तो कानून के प्रति श्रद्धा घटती जायगी।

*__श्री मोहनलाल गौतम__ (जिला अलीगढ़)––माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग की जो-जो कारगुजारियां कल श्रम मंत्री जी ने इस सदन के सामने रखीं उनके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। काफी काम मजदूरों की हालत सुधारने के लिये हुआ और जैसी हमारी आर्थिक अवस्था है उसके हिसाब से जितना रुपया इस काम के लिये मिल सकता था, वह लेकर इस उपयोग में लाया जाय, यही उनका प्रयत्न है; लेकिन मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं और वह यह है कि यह जो अब तक काम किये गये हैं वह ऐसे हैं कि जिन में मजदूरों की हालत यह मान कर कि वह हमेशा खराब रहेगी सुधारने का प्रयत्न जैसा कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में होता है, वह किया गया है। अब जब कि हमने साफतौर से अपना उद्देश्य सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी बना लिया है और जब हम साफ तौर से कांग्रेस के प्रस्तावों में एलान कर दिये हैं कि लेबर का पार्टिसिपेशन होना चाहिये इंडस्ट्री में, हम जब कि यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जो आमदनी हो, जो दौलत देश की बढ़े वह एक अमीर आदमी को अमीर बनाने की तरफ और गरीब आदमी को गरीब बनाने की तरफ न जाय बल्कि जिन के पास कम है उनको मिले ताकि इन्कम और वैल्थ का जो गैप वह कम हो, जब हमने यह आदर्श सामने रख लिया है तो मेरा प्रश्न है कि इस ओर श्रम विभाग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

ने क्या कदम बढ़ाया है ? क्या हमने यह भावना मजदूरों में पैदा कर दी है कि देश की आजादी के बाद देश को बनाने की जिम्मेदारी मजदूरों की है और सब से ज्यादा जिम्मेदारी मजदूरों की है। क्या हमने उन्हें यह कह दिया कि जो इंडस्ट्री बनेगी उसमें तुम्हारा हाथ होगा, वह तुम्हारी सलाह से चलाई जायगी, वह तुम्हारे फायदे के लिये चलाई जायगी, नकि तुम्हारा खून चूसने के लिये बनाई जायगी। क्या हमने यह भावना मजदूरों में पैदा कर दी है ? अब तक तो देखने से यह मालूम होता है कि उस तरफ कोई ऐसा अमली कदम नहीं बढ़ाया गया। इस प्रदेश में इंडस्ट्री बनाने के लिये एक कमेटी बनी और उस कमेटी में मजदूरों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। ऐसा मेरा अंदाजा है कि उसमें कोई व्यक्ति नहीं है कि जो यह कह सके कि जब इंडस्ट्री बढ़ेगी, उसकी जो दौलत देश में पैदा होगी उसमें मजदूरों का इंटरेस्ट, मजदूरों के हित सुरक्षित होंगे। ऐसा कहने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं है जिस पर लेबर विश्वास करता हो। वैसे हर कांग्रेस मैन ऐसा कह सकता है लेकिन जो टैक्निकल बात समझता हो, ऐसा कोई हो, मेरा अंदाजा ऐसा है कि ऐसा कोई नहीं है और अगर मैं गल्ती करता होऊं तो मुझे खुशी होगी। ऐसी कमेटी जिसमें केवल फायनेंशियर्स ही है एक दो आदमी ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियलिस्टस नहीं बल्कि विद्वान हैं और एक पोलिटीकल पार्टी के लीडर है। ऐसी कमेटी क्या करेगी जिसमें केवल फायनेंशियर्स ही है ? इसमें कोई टैक्निकल ऐक्सपर्टस भी नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो यह देख सके कि किस-किस चीज के लिये क्या रा मैटीरियल चाहिये, सीमेंट फैक्ट्री के लिये यह जमीन ठीक है या नहीं, इसको देख सके। वह तो सिर्फ फायनेंशियर्स ही हैं जो ऊपर बैठकर मैनेजमेंट करते हैं और मुनाफा लेते हैं और इस देश के अमीर लोगों की ही कमेटी बनी है और उन्हीं को कारखाने खोलने की इजाजत भी दी जायगी। इससे तो वही होगा कि "The rich will become richer and the poor will become poorer.

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं श्रम विभाग की दी हुई पुस्तिका में से आंकड़े सदन में रखना चाहता हूं। स्वराज्य मिलने से पहले का जिक्र नहीं करता हूं क्योंकि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। १९४७ में स्वराज्य मिला और १९४० से जो पापूलेशन उत्तर प्रदेश के कारखानों में नियोजित पुरुष, स्त्री, किशोर एवं बाल श्रमिकों की संख्या १९४८ में २,४२,०६३ थी। जब स्वतंत्र हुये उस समय इतनी थी। १९४९ में घटकर २,३३,८३७ रह गई, १९५० में २,३२,६९५ रह गई और १९५१ में २,०२,५१४ किन्तु एक खुशकिस्मत साल १९५२ का आया था जब कि उनकी संख्या २,०६,८३२ हो गई, १९५३ में २,०६,७४० और १९५४ में २,०५,२९४, रह गई इससे मालूम होता है कि मजदूरों की संख्या बराबर घटती चली जा रही है। यह पुस्तिका सरकार के श्रम विभाग की है। हमको २,४२,००० मजदूर मिले थे और अब हमारे जमाने में २,०५,००० मजदूर हैं यानी ३७,००० मजदूरों की कमी हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, कहा यह जाता है प्रदेश में इंडस्ट्रीज बढ़ी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, कैपीटल बढ़ी और ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनीज की तांदाद बढ़ी, लेकिन मजदूरों की संख्या कम हो गई। जिनके हाथ में इंडस्ट्रीज देना चाहते हैं वह अमीर लोग हैं और यही लोग कमेटी के मेम्बर भी हैं और ऐसा सुना जाता है, कोई अथौरिटेटिव खबर नहीं है कि कारखाने इन्हीं को दिये जायेंगे, उनको जमीन रियायत पर दी जायगी, बिजली में २५ फीसदी किफायत की जायगी और सेल्स टैक्स में भी उनको गारंटी मिल जायगी और कर्जा मिलेगा यानी उनको सब कुछ होगा और जो अमीर है वही ज्यादा अमीर होंगे। लेकिन मजदूरों का क्या होगा, यह कुछ पता नहीं है। इसलिये मैं इस मुहकमे की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो तो मजदूर अलग न रह जायं। देश को बनाने में मजदूरों का भी हिस्सा होना चाहिये। कांग्रेस का प्रस्ताव भी पास हो चुका है कि लेबर का मैनेजमेंट में हिस्सा होना चाहिये, जब वह यह कह सके कि इस प्रकार से मैनेजमेंट होना चाहिये, इस प्रकार से काम होना चाहिये। टैक्निकल कमेटी में भी उसका हिस्सा होना चाहिये। वह जभी ज्यादा पैदा करेंगे जब उनको विश्वास होगा कि हम ज्यादा पैदा करेंगे तो उसका फायदा हम उठायेंगे।

इसलिये मेरी प्रार्थना है कि श्रम विभाग उनके लिये भलाई की सोचें और मजदूरों को पूरे अधिकार दिलाने की कोशिश करे तब ही इस प्रदेश की भलाई हो सकती है। अगर श्रम विभाग ने इसमें कोताही की तो उस जिम्मेदारी को हम नहीं निभा पायेंगे जो हमने ली थी और यह भी शिकायत होगी कि जो हमने ऐलान किया था वह पूरा नहीं कर पाये। इसलिये बड़े जोर के साथ मेरी प्रार्थना है कि श्रम विभाग यह बताये कि किस प्रकार का प्रयोग इन लोगों को उत्साहित कर सकता है। क्या पब्लिक सेक्टर में जो हमारे सरकारी कारखाने हैं उसके मैनेजमेंट में मजदूरों का कुछ हिस्सा होगा या नहीं इसका ऐलान अभी तक नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट यह बताये कि जो पब्लिक सेक्टर में सरकारी कारखाने हैं उनमें मजदूरों का क्या हिस्सा होगा। क्या वह बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में बैठ सकेंगे या नहीं। श्री खंडूभाई देसाई, लेबर मिनिस्टर हमेशा कहते हैं कि मजदूरों का हिस्सा होना चाहिये। उनमें तभी विश्वास होगा जब उनको इन्तजाम में हिस्सा दिया जायगा।

इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि हमारे यहां अनइम्पलायमेंट बढ़ रहा है। मजदूरों की संख्या भी घट रही है और अगले ५ साल के अन्दर जो आबादी बढ़ेगी उसमें १३ लाख लोगों को काम में लगाया जायगा, लेकिन और जो बचेंगे उनके लिये सरकार क्या कर रही है यह भी दूसरा सवाल है। हम यह भी देख रहे हैं कि पहली योजना के अन्तर्गत अनएम्प्लायमेंट बढ़ा है। सरकार भी इस बात को जानती है कि अनएम्पलायमेंट की हालत खराब हुई है। ९० लाख आदमी लेबर फोर्स का देश में बढ़ेगा और ८० लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे प्रदेश में १३ लाख आदमी आबादी बढ़ने की वजह से अगले तीन सालों में बढ़ेंगे, तो उनको किसी तरह से रोजगार मिलेगा यह कोई चीज मैं नहीं देखता हूं। लेबर मिनिस्टर साहब इस अनएम्पलायमेंट के बारे में रोशनी डालने की कृपा करें कि वह अगले पांच साल के अन्दर इसके लिये क्या करने जा रहे हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग का जो अनुदान माननीय श्रम मंत्री ने इस भवन के सामने उपस्थित किया है, मैं उसके लिये उनको मुबारकबाद देता हूं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि सन् १९३८ से लेकर १९५६ तक जब-जब कांग्रेस सरकार अपना बजट बनाती रही है तब-तब इस प्रदेश के श्रमिकों के उत्थान के लिये उनकी बहबूदी और बेहतरी के लिये अनेक कार्य करती रही है। इधर पिछले ३,४ सालों में भी एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने मकानों की व्यवस्था के संबंध में उठाया। इस काम को करने के लिये भारत सरकार ने हमें मदद की और दूसरे प्रदेशों को भी मदद की लेकिन मैं मुबारक बाद देता हूं माननीय श्रम मंत्री को और इस सरकार को कि हिन्द सरकार और उसका प्लानिंग डिपार्टमेंट और उसके दूसरे विभागों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो धन इस संबंध में भिन्न-भिन्न प्रांतों को दिया गया उसमें सबसे अधिक उसका प्रयोग और उसका इस्तेमाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ और जिसके फलस्वरूप आज हजारों मकान हमारे प्रदेश के बनकर खड़े हुये हैं। इसलिये भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि हमारे प्रदेश में मिल मालिक और मजदूरों के बीच में जो झगड़े आज तक चल रहे हैं या चल रहे थे उनमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमेशा सहयोग वाली नीति को बरता जिसके जरिये से, घृणा और लड़ाई के बजाय प्रेम और आपसी बातचीत और सलाह से मसलों को सुलझाने व सम्पादन करने में सहायता मिली। यह हो सकता है कि सब उद्यागों में सरकार को उस नीति के कारण सफलता, श्रमिकों और नियोजकों को शांति रखने के लिये शायद न मिली हो, लेकिन फिर भी जहां तक सरकार के प्रयास संभव हो सकते थे वह किये गये और उन प्रयोगों को करते हुये सरकार ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि जिस काम को सरकार करे उससे दबे हुये लोगों के, गरीब लोगों के, सताये हुये लोगों के, एक्सप्लायटेड क्लास के झगड़े कम होते हैं या नहीं और देश की बढ़ती हुई सम्पति में उनका हिस्सा लगता है या नहीं। देश की सम्पत्ति में मजदूर को हिस्सा दिलाने का तरीके का छोटा सा उदाहरण यहां सदन की मेज पर ही मौजूद है। हमारे प्रदेश के [illegible] जगह के बिजली के मजदूरों को ३ महीने का बोनस

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

मिला। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि यह बोनस ठीन नहीं है। सरकार के पास मजदूर आये और उन्होंने दिखाया कि इन ३ महीने का बोनस देने के बावजूद भी रईसों की रियासत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिये इन गरीबों को मिली हुई चीज के वापस करने की बात नहीं है। चाहे इस बात को खुले आम सरकार की ओर से नहीं कहा गया है लेकिन फिर भी मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि यह सरकार मजदूरों को बोनस दिलाने की, नौकरियों की शर्तों को आसान बनाने की, छुट्टी की और दूसरी सुविधायें दिलाने की कोशिश करती रही है। जहां तक मैनेजमेंट में मजदूरों के पार्टीसीपेशन का सवाल है, इसे हिन्द सरकार ने अभी पास नहीं किया है। यह मामला उन्हीं के विचाराधीन है। इस संबंध में एक विधेयक द्वारा सारे देश के लिये, शायद सब इन्डस्ट्रीज के लिये नहीं, कुछ उद्योगों में मैनेजमेंट में पार्टीसीपेशन की बात आवेगी लेकिन हमारे प्रदेश के श्रम विभाग की सहायता से अभी हाल ही में मोदीनगर में एक समझौता हुआ है जिसके द्वारा न केवल उन चीजों में मजदूरों को हिस्सा लेने का अधिकार होगा जो कि नौकरी की शर्तों से संबंध रखती है और जो बात हमारे मिनिस्टर साहेबान भी मंजूर नहीं करते क्योंकि वह कह देते हैं कि यह उनके एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर्स की डिस्क्रीशन है कि कौन आदमी तरक्की पर जाता है, लेकिन मोदीनगर में किसी आदमी की तरक्की की बाबत यह अधिकार राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से संबंधित यूनियन को मिला है मालिकों से अब हम जब-जब तरक्की देने पर विचार होगा हम भी कह सकेंगे कि हमारे दृष्टिकोण से इस कार्य के लिए अमुक आदमी उचित है या नहीं। यह एक अच्छा और क्रांतिकारी कदम मोदीनगर में उठाया गया है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि इस प्रदेश में रामराज्य हो गया है और मजदूरों को यहां अब और कुछ नहीं चाहिये पर यदि ऐसा कहा जाय कि हमारी हालत खस्ता है तो यह अन्याय होगा। कुछ बातों की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सारे प्रांत में एम्पलायमेंट का लैबिल कुछ कम है।

गौतमजी ने कहा है, सही है। प्लानिंग कमीशन और हमारी भारत सरकार के मंत्री भी इसे मानते हैं। नये रोजगार हों, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को देखनी चाहिये कि जो ३ प्रकार रिट्रेन्चमेंट हमारे प्रदेश में हो रहा है और जिसके लिये जब हम श्रम विभाग में जाते हैं तो हमारे आफीसर्स की भी दिक्कत है कि वह कर क्या सकते हैं और लेबर कमिश्नर या लेबर सेक्रेट्री भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन यदि किसी भी प्रकार से यह उत्तर प्रदेश की सरकार डिटर्मिनेशन आफ वर्किंग फोर्स और उसके वर्क लोड जो स्टैन्डर्डाइजेशन आफ प्रासपैक्ट्स से ताल्लुक रखता है उसे तय करने की बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अवधि काल के अन्तर्गत में तो यह एक बड़ा कदम होगा। जहां तक सरकारी विभागों का संबंध है, हमारे माननीय मित्रों को शायद जानकारी भी होगी कि जिस विभाग के अधीन जो मजदूर है उस विभाग के लोग लेबर डिपार्टमेंट को उसके करीब नहीं आने देते हैं। माननीय मंत्री जी शायद उसे नहीं कहेंगे और उनके कहने पर शायद इस्तीफे भी आने लगें। इन्डस्ट्रीज विभाग का या लोकल सैल्फ गवर्नमेंट का मजदूर है तो लेबर विभाग कैसे बोले? हर मंत्री चाहता है कि उसके विभाग में श्रम विभाग मजदूरों के मामले में न बोले। यह बड़ी दिक्कत है। यह दिक्कत पहले भी रही है, अब है और शायद आगे भी रहेगी। यदि यही हाल रहा और सरकारी विभागों के मजदूरों की कठिनाइयां दूर नहीं हुई या उनको सुविधायें नहीं मिली, तो शीघ्र यह मजदूर सोचने लगेगा कि उसको अशांति का रास्ता लड़ाई का रास्ता, ये चीजें दिला सकता है और यह बात सारे प्रांत के वातावरण को दूषित कर देगी।

जब श्रम विभाग श्री पदमपत सिंघानिया को हुक्म दे सकता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के डाइरेक्टर महेंद्रा साहेब को या गवर्नमेंट प्रेस के सुपरिन्टेंडेंट शोम साहब को क्यों नहीं आज्ञा दे सकता है। श्रम विभाग का इन विभागों के मजदूरों के मामले में हाथ होना चाहिये। मैंने एक पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा था कि सरकारी कारखानों में श्रमिकों और वहां के नियोजकों या प्रबन्धकों के बीच में बातचीत करने के लिये एक

नीगोशियेटिंग मशीनरी हमको दीजिये। मुझे आशा है कि सारे प्रांत के सरकारी कारखानों के मजदूरों के लिये वह जल्द से जल्द इस नीगोशियेटिंग मशीनरी का इन्तजाम कर सकेंगे। कई कमेटियां श्रम विभाग की तरफ से बिठाई गई। प्रिंटिंग प्रेस के वेतन क्रमों के रखने के लिए भी एक कमेटी बैठायी गयी थी लेकिन उस कमेटी की सिफारिशें आज तक लागू नहीं की गई हैं। यदि माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक शांति रहे, औद्योगिक प्रगति हो, तो उन्हें तीन काम करने होंगे। बोनस, छुट्टी और तनख्वाह का निश्चय कराना। मेरा निवेदन है कि हर उद्योग के लिये एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाकर चाहे कपड़े का हो या बिजली का हो या कोई भी हो, मालिक और मजदूरों के नुमाइन्दों को बिठाकर मजदूरों की नौकरियों की शर्तों को शांतिपूर्ण ढंग से स्थापित कर दें, तो इस प्रकार से औद्योगिक और श्रम नीति सफल होगी और तभी समाजवादी समाज की स्थापना भी संभव हो सकेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन में जिस मजदूर की चर्चा नहीं हुई है उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं। ५ मिनट का समय तो बहुत कम है लेकिन मैं अपनी बात पूरा करने की कोशिश करूंगा। जिस मजदूर की चर्चा मैं करने जा रहा हूं उसका संगठन इस प्रदेश में नहीं है। शहर के रहने वाले, मिलों में काम करने वाले मजदूरों का संगठन है और वे सरकार को मजबूर करके भी अपना काम कुछ करा लेते हैं। लेकिन खेतिहर मजदूरों का कोई संगठन नहीं है। वह अनपढ़ है। खेतिहर मजदूरों के लिए माननीय श्रम मंत्री ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे हम समझ सकें कि उसकी रोटी का प्रबन्ध हुआ है। खेतिहर मजदूर हमारे प्रदेश में लाखों की तादात में है और पूर्वी जिलों बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर में खेतिहर मजदूर ३३ फीसदी बसा हुआ है। आज इन मजदूरों को १ आना मजदूरी मिलती है दिन भर काम करने पर और १ लोटा शीरा यानी रस मिलता है। सरकार का कानून है कि कोई भी व्यक्ति किसी से जबरदस्ती काम नहीं ले सकता है। गांवों में आज रोजाना यह होता है। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि वह जरा बतावें कि ३७४ धारा जबरदस्ती यानी बेगार लेने के संबंध में जो है, उसके अनुसार इस प्रदेश में कितने मुकद्दमे चलाये गये हैं। मैं समझता हूं श्रीमन्, कि शायद ही श्रम मंत्री जी के समय में कोई मुकद्दमा ३७४ का चलाया गया हो। पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं होती है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज भी मजदूरों को आजादी नहीं है। आप जानते हैं कि पंचायत राज का अभी चुनाव समाप्त हुआ है। खेतिहर मजदूर जो हरवाही करते हैं वह डेढ़ बीघे खेती पाते हैं जो उसको हरवाही में मिला हुआ होता है। यदि उसने अपने विरोधी को वोट दिया है तो हरवाई को खेती से निकाला गया है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने इसके लिये क्या उपाय किया है। श्रीमन्, शहर में रहने वाले मजदूरों के लिये घर बनाये जाते हैं, मकान बनाने के लिये उनको तकावी दी जाती है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि देहात के रहने वाले मजदूरों के लिये क्या किया जाता है?

श्रीमन्, एक ही घर में उस मजदूर के पूरे परिवार का खांदान रहता है, उसी घर में या झोंपड़ी में उसका लड़का, उसकी लड़की, उसके लड़के की बहू और पशु भी रहते हैं जिसमें बरसात में पानी नहीं रुकता है। चैत्र के महीने में प्रदेश की सरकार को लज्जित होना चाहिये और हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता है। कहीं ऐसा प्रदेश है जो यह पसन्द करेगा कि पाखाने में से अन्न निकाला जाय और उसको खाया जाय। यह पूर्वी जिले के खेतिहर मजदूर किया करते हैं। यह जो बजट की मोटी सी पोथी है उसको हमने टटोला कि कहीं उसमें खेतिहर मजदूर का नाम भी आया है, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं है। डेढ़ करोड़ की तादाद में खेतिहर मजदूर हमारे प्रदेश में बसते हैं लेकिन उनकी तरफ़ सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है। श्रीमन्, मैं कहना चाहूंगा कि खेतिहर मजदूर जिसकी हरवाईगीरी करता है अगर वह कहीं ४–५–६ रुपये कर्ज ले ले तो पुश्त दर पुश्त तक कर्जा निबट नहीं सकता है। सरकार को चाहिये कि इसका कोई इंतजाम करे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अधिकार सिपुर्द कर दिया

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

है। प्रदेश इस कानून को मजदूरों पर लागू करेगा लेकिन अभी तक यह फार्म पर ही लागू हो सका है। फार्म कितने हैं? गांवों के खेतिहर मजदूरों पर इसे लागू करना चाहिये था। मैं निवेदन करूंगा कि रोडवेज के कर्मचारियों के साथ और चुर्क फैक्ट्री के मजदूरों के साथ जो सरकार का रवैया है वह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्रदेश की सरकार मजदूरों के साथ क्या कर रही है।

*श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे इंडस्ट्रियल मजदूरों का संबंध है, हमारी सरकार ने जो कार्य किया है उसके लिये हमारी सरकार बधाई की पात्र है और साथ ही साथ भविष्य में जो योजनायें हमारे औद्योगिक मजदूरों के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखी गयी है उससे यह भी आशा की जाती है कि इस क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में एक विशेष कार्य होगा और हमारे मजदूरों को एक खास जीवन भविष्य में मिलेगा। परन्तु हमारे खेतिहर मजदूर जो देहातों में बिखरे हुये हैं, उनके संबंध में हमारी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। गतवर्ष मंत्री जी ने मिनिमम वेजेज ऐक्ट कुछ जिलों में लागू किया और वह भी ५० एकड़ वाले थोड़े से फार्मों पर लागू किया, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसका क्या प्रभाव उस प्रांत के मजदूरों के जीवन पर पड़ा। मैं समझता हूं कि वह बिलकुल निष्प्रभाव रहा क्योंकि उसका कोई असर खेतिहर मजदूरों पर नहीं पड़ा। इसके अलावा मैं सरकार को पूर्ण रूप से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के प्रति उदासीन पाता हूं और अभी सरकार यह कहने की स्थिति में भी नहीं है कि इस प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की संख्या कितनी है, कोई सर्वे सरकार की ओर से उन की संख्या जानने के लिये नहीं कराया गया है। मेरी पहली मांग माननीय मंत्री जी से यह है कि वह उन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की परिस्थिति, उन की दशा में सुधार करने के तरीके और उनकी निश्चित संख्या जानने के लिये एक कमेटी बैठाये और उस के द्वारा सरकार इन तमाम चीजों पर विचार करे। आज खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिये आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं खेतिहर मजदूरों के संबंध में यह कहना बहुत ही जरूरी समझता हूं कि आज उनकी संतानों की शिक्षा के लिये भी विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिये, यह ठीक है कि उन में अधिकतर लोग ऐसे वर्ग से आते हैं जिन की संतानों के लिये निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध सरकार की ओर से है लेकिन फिर भी खेतिहर मजदूरों में हमारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके लिये किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की दूसरी समस्या उनकी आबादी की समस्या और उस के बारे में भी अभी तक सरकार कुछ नहीं कर पाई है; मैं चूंकि समय बहुत कम है, खास तौर से भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की दशा की ओर ही इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

तीसरी बात मैं चीनी मिल मजदूर और डिसटिलरी मजदूरों के संबंध में कहना चाहता हूं, वह दोनों मजदूर एक ही प्रकार के हैं, एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं लेकिन दोनों के लिये अधिकार और सुविधा अलग-अलग हैं। दोनों को एक सी छुट्टी नहीं मिलती, दोनों प्रकार के मजदूरों को एक सा बोनस नहीं मिलता। उन का वेतन क्रम एक सा नहीं है। मैं सरकार से आशा करता हूं कि उन दोनों प्रकार के मजदूरों की सुविधा में जो भेद है, उसको मिटाने के लिये सरकार शीघ्र कदम उठायेगी।

अन्त में एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मजदूरों के झगड़े जो अदालतों में तय होने के लिये जाते हैं उनमें गैर जरूरी तरीके से देर लगाई जाती है और इससे मजदूरों को परेशानी होती है। उसमें भी सरकार अगर जल्दी करा सके तो अच्छा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---मान्यवर, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं। मैं इस सम्बन्ध में केवल २ बातें कहना चाहता हूं चूंकि समय बहुत कम है। कल माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने यहां कहा था कि अब इस प्रदेश में रेशनेलाइजेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और मजदूरों की संख्या में वैसे ही कमी हो गई है। मैं समझता हूं कि उनका यह कहना सर्वथा अनुचित है, वह बतायें कि रेशनेलाइजेशन से किस प्रकार मजदूरों की मौजूदा संख्या में कमी हुई है। मैं तो समझता हूं कि ऐसी नीति को अपनाना यू० पी० के लिए बहुत घातक होगा। हमारे देश में जहां ५ अरब ६० करोड़ गज कपड़ा तैयार होता है वहां एक आदमी पीछे वह साढ़े १३ गज के करीब पड़ता है और जिसमें से हमारे प्रदेश ने सन् ५५ में १५३० लाख गज कपड़ा तैयार किया और जब हम अपने प्रदेश की जनसंख्या को लेकर अपने यहां फी नागरिक हिसाब लगाते हैं तो ४ गज कपड़ा एक नागरिक पर पड़ता है। इस प्रकार से हमें अभी अपने यहां उत्पादन बढ़ाना है और अपनी जरूरत को पूरा करना है। उत्पत्ति को बढ़ाने के लिये सिवा रेशनलाइजेशन के और क्या तरीका हो सकता है? इस सम्बन्ध में एक बात और नहीं मालूम---मिल का कोई मैं कर्मचारी नहीं हूं लेकिन मिल के मजदूर यूनियन का अध्यक्ष हूं---इतना अवश्य जानता हूं कि आज सब्सीटचूट मजदूरों की जितनी दुर्गति कर रहा है जितना परेशान कर रहा है उसका एकमात्र तरीका यह है कि रेशनलाइजेशन जल्दी से जल्दी हो जाय। वर्ना हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं। गौतम जी ने जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का जिक्र किया, जहां तक वह कमेटी है वह कमेटी तो इसलिये बनाई गई है कि इस बात का फैसला करे कि उत्तर प्रदेश में कौन से बड़े उद्योग धंधे लग सकते हैं। मजदूरों के पार्टिसिपेशन का जिक्र अवस्थी जी ने किया कि मजदूरों को हिस्सा देना चाहिये। मैं नहीं जानता कि कौन सा देश है जिसमें नेशनलाइजेशन हो जाने के बाद यह किया गया कि मजदूरों को इंडस्ट्री में हिस्सा देंगे। हर एक देश ने, देश की सरकार ने उस हिस्से को अपने पास रक्खा है। मजदूरों को इम्पीटस देना चाहिये जैसा चीन में है लेकिन इंडस्ट्री में प्रोफिट शेयरिंग का मतलब यह होगा कि वह कैपिटलिज्म कुछ लोगों में विभाजित हो जायगा, लेकिन जो आज लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात है उसका उद्योग के बजट पर बहस करना असंगत सा है। वह कमेटी इसलिये बनाई गई है, एक मात्र उद्देश्य उसका यह है कि वह इस बात का फैसला करे कि प्रदेश में कौन-कौन से बड़े कारखाने लगाये जायंगे और चूंकि उस कमेटी में एक्सपर्ट्स हैं और उनका यह मत हो कि ये ये कारखाने लगाये जा सकते हैं, तो मुमकिन है कि केन्द्रीय सरकार से कह सकें कि हमारे यहां इन कारखानों को दिया जाय।

एक मासूम कमेटी के बारे में श्रम के बजट के समय बहस करना शायद उचित नहीं होगा। अभी यह कह दिया गया कि मजदूरों के कल्याण के लिये क्या कार्य हुए। जहां १०, २० हजार भी खर्च न किया जाता हो वहां ९ लाख रुपये तक बढ़ जायं तो, यह प्रशंसा की बात न होगी तो क्या होगी। जहां तक मजदूरी का सवाल है उत्तर प्रदेश के मजदूरों को मजदूरी १,१०० रुपये साल की है। किसी भी प्रदेश के मजदूरों की मजदूरी की तुलना कर लीजिये, जितना काम वे करते हैं उसके उत्पादन के लिहाज से इंग्लैण्ड के मजदूरों के बराबर यहां के मजदूरों की मजदूरी पड़ती है। आज जब कि संसार में ३२ कर्घे एक मजदूर चलाता हो, ६४ कर्घे एक मजदूर चलाता हो तो दो-दो कर्घे चलाना---उत्तर प्रदेश की औद्योगिक उन्नति करनी हो तो किसी न किसी प्रकार संतुलन करना ही होगा। लेबर लाज इतने स्ट्रिक्ट हैं, जिसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

कारण कारखानेदार अनुचित लाभ उठा रहे हैं। २०, १९, या १८ मजदूरों का औसत निकाल कर वह मजदूरों की संख्या उसी दायरे के भीतर निकालते जा रहे हैं। जहां लेबर कमिश्नर का शासन होता है वहां मजदूरों की संख्या इतनी कम पड़ती है। इसलिये लेबर लाज और मजदूरों की संख्या का--दोनों का संतुलन करके--तय करना पड़ेगा कि देश की प्रगति के लिये क्या आवश्यक है।

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने लोगों ने इस अनुदान पर भाषण दिये मैंने बड़े गौर से उनकी बातों को सुना। माननीय परिपूर्णानन्द जी को छोड़ कर सभी सदस्यों ने इस विभाग को क्रिटिसाइज किया है और इसकी खामियों को बतलाया है लेकिन माननीय परिपूर्णानन्द जी की बात सुनकर मुझे कोई ताज्जुब नहीं, वे तो वैसे ही कहते हैं...

श्री अध्यक्ष--- यह तो ठीक नहीं है, यह व्यक्तिगत बात हो जाती है। उनकी बात को आप काटिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल--उनकी बात ही काट रहा हूं। "रेशनलाइजेशन नहीं होना चाहिये" मैं कैसे कहूं, वह समझते नहीं हैं। मेरी बात को उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। समझे तो, लेकिन तोड़-मरोड़ कर रखने की कोशिश की है। रेशनलाइजेशन एक अंग में नहीं, हर एक अंग में होना चाहिये। शायद उन्होंने सुना नहीं था। वह कहते गये।

दूसरी चीज को सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ। शायद परिपूर्णानन्द जी को शुबहा है कि वे मिल के मजदूर हैं या नहीं। अगर वे एक मिल के मजदूर नहीं हैं तो उनको इस सदन में इस बात के कहने की कोई जरूरत नहीं थी। अब भी उनको शुबहा है कि वे किसी मिल के मजदूर हैं या नहीं। श्रीमन्, जैसा कि अवस्थी जी ने अपने भाषण के दर्मियान कहा शुगर सेन्सेज के बाद दो ग्रूप हो गये। लेकिन मैं बता दूं, वह गलती हुई। वह होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आदमी गलती करता है, फिर महसूस करता है और सुधारने की कोशिश करता है और मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो दो ग्रुप यूनाइटेड फेडरेशन के हो गये थे, वह मिल गये हैं और एक साथ काम कर रहे हैं मजदूरों के हित में। दूसरी चीज महीलाल जी ने कही कि इंडस्ट्रियल लेबर के बारे में इस विभाग ने बहुत सुधार कर दिया है। उनका जवाब माननीय बहुगुणा जी, माननीय अवस्थी जी, और माननीय गौतम जी ने दे दिया। इधर जो कुछ भी सुधार हुआ है यह मैं नहीं कहता कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन बहुत थोड़ा हुआ है और उसमें बड़ी गड़बड़ियां हैं। जितना सुधार हुआ है, अगरचे उसको ठीक-ठीक चलाया, जाय तभी ठीक से काम चल सकता है। लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं उससे 'नहीं' के बराबर सुधार समझा जा सकता है। पेमेंट आफ बेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत बहुत से लोग काम करते हैं। लेकिन फिर भी कई मिलें ऐसी हैं जिनके मजदूरों के लाखों-लाखों रुपये बकाया हैं उन फैक्ट्रियों के ऊपर और सरकार इस किस्म का कोई भी कदम नहीं उठा रही है कि उन मजदूरों की मजदूरी मिल जाय। सरकार ने केवल एक ही चीज की कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोलर मुकर्रर करवाया। लेकिन वह कहते हैं कि हम बकाया के जिम्मेदार नहीं हैं, सारी मशीनरी उनके पास है, कम्पनी उनके पास है, फिर भी देंगे नहीं। सरकार इस किस्म का कोई उपाय नहीं कर पाती, जिससे उनको पैसा मिल जाय, जैसा कि गन्ना के दामों के बारे में है। अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गन्ने का दाम पड़ा रहता है तो एक कानून बना हुआ है जिसके अन्तर्गत केन कमिश्नर आर्बिटेशन करता है और मिल वालों पर गन्ने के दाम की डिग्री हो जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस प्रकार का एक कानून बनायें, जिसमें अगर मजदूरों की मजदूरी पड़ी है तो ट्रेड यूनियन को अधिकार हो कि लेबर कमिश्नर के पास आर्बिट्रेशन करवा के डिग्री करवा ले। लेकिन कोई तरीका नहीं मालूम होता कि मजदूरों की बकाया मजदूरी मिल सके।

जहां तक खेतिहर मजदूरों का सवाल है उनके लिए कोई काम हुआ नहीं। जहां यह ऐक्ट लागू भी हुआ है वहां जितनी मजदूरी तय हुई है उससे कम ही लोग दे रहे हैं। इसके प्रति सरकार की तरफ से कोई चीज़ नहीं हो रही है। अगर सरकार कोई कानून लागू करती है तो यह आवश्यक है कि उसकी पाबन्दी करवाये और जो लोग नहीं मानते हैं उनको सजा देने की व्यवस्था करवाये। नहीं तो, इस तरह से कानून की लोग अवहेलना करते जायं, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि लोगों का कानून पर से एक तरह से विश्वास उठ जायेगा, अगरचे ऐसी बात हो जायगी तो देश के लिए बहुत ही खतरा होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार उनके लिए भी कानून बनाये और जिस तरह से मिल मजदूरों को अधिकार है उनको भी अधिकार दे कि अगर उनके भी झगड़े हों तो वह भी किसी अदालत में जाकर अपने झगड़ों को ठीक करा सकें और उसका फायदा उठा सकें।

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं। उन्होंने श्रम विभाग के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं उसके बारे में मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके ऊपर पूरे तौर से विचार किया जायगा।

एक सुझाव में इम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है। उसके ऊपर गवर्नमेंट विचार कर रही है। हमारा ख्याल है कि पहली अप्रैल से इम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आ जायंगे। शाप असिस्टेंट्स ऐक्ट के बारे में भी मैंने कल कहा था अपने भाषण में, कि हमारी कोशिश हो रही है कि उसको जितने शहरों में लागू करा सकते हैं, कराने की कोशिश करें। उसमें अगर हमारी कमी रही है तो केवल इसी कारण कि हमारे पास इतने इंस्पेक्टर नहीं थे और बिना इंस्पेक्टोरेट के ऐक्ट लागू करना हानिकर साबित होता, बनिस्वत फायदा के। इसलिए इस बात की कोशिश की जा रही है कि अगले वर्ष कुछ इंस्पेटरों की तादाद बढ़ायी जाय और जहां तक हो सकता है, मैं नहीं कहता कि सभी म्युनिसिपल टाउंस में बढ़ा दिया जायगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नगरों में बढ़ाने की कोशिश की जायगी। तीसरा सुझाव था वेजेज बोर्ड के बारे में कि हमारे प्रदेश में एक वेजेज बोर्ड कायम किया जाय। उसके ऊपर भी विचार किया जायगा। बम्बई आदि में इस तरह के वेजेज बोर्ड हैं, कोई सैद्धान्तिक आपत्ति तो हमारी तरफ से नहीं है लेकिन उसके व्यावहारिक रूप में क्या दिक्कतें होंगी, उन पर विचार करके तभी कुछ किया जायगा।

स्टेट इंडस्ट्रियल ट्राइब्युनल के बारे में भी एक सुझाव माननीय सदस्य का था कि उसको इलाहाबाद से लखनऊ ले आया जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--उसको वहां इलाहाबाद में रहने दीजिये।

आचार्य जुगलकिशोर--अब आपस में आप लोग फैसला कर लें। दो, तीन प्रश्न और पूछे गये जिनका कि जवाब देना मैं मुनासिब समझता हूं। एक तो श्री मोहनलाल गौतम ने पूछा कि क्या कारण है कि जो श्रमिकों की संख्या कम है बनिस्वत १९५० या

[आचार्य जुगलकिशोर]

१९५१ के ? उसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि गवर्नमेंट की जो डिफेंस फैक्ट्रीज हैं उनके श्रमिकों की संख्या अब इसमें शामिल नहीं होती है, किन्हीं कारणों से मना कर दिया गया और एक कारण यह भी मालूम हुआ है कि पोस्टवार स्लम्प के बाद कुछ न कुछ कमी हुई है, लेबरर्स की इंडस्ट्रीज में। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा पंचवर्षीय योजन द्वारा इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि जो कारखाने खोले जायं, न केवल बड़े शहरों में ही खोले जायं, परन्तु ग्रामों में भी छोटी-छोटी दस्तकारी खोल करके ज्यादा संख्या में श्रमिकों को मौका दिया जाय कि वह अपनी रोजी कमा सकें। तो इस तरफ गवर्नमेंट सचेष्ट है। पंचवर्षीय योजना में विशेषतया इस पर जोर दिया गया है कि अनएम्प्लायमेंट के बारे में कि कैसे दूर किया जाय, ऐजूकेटेड का भी और अनऐजूकेटेड का भी।

श्री मोहनलाल गौतम---आर्डिनेंस फैक्ट्रीज की संख्या अगर कम हुई तो एक खास डेट पर हुई होगी। लेकिन मैंने यह देखा है कि १९४८ से ५४ तक लगातार कमी हो रही है। तो अगर आर्डिनेंस फैक्टरीज की संख्या कम हुई होगी, तो एक खास समय पर कम हुई होगी, जब कि कैपिटल बढ़ता जा रहा है और इन्कम भी बढ़ती जा रही है।

आचार्य जुगलकिशोर---मैं तारीख तो नहीं बतला सकता। सन् १९४८ में स्लम्प के कारण और १९५० के बाद पाबन्दी लगा दी गई है कि इस तरह की संख्या उनकी न दिखाई जाय। दूसरा प्रश्न जो अवस्थी जी ने उठाया था सूचना का कि गणेशचन्द्र वाजपेयी ने क्या रेशनेलाइजेशन कमेटी से इस्तीफा दे दिया ? अभी तक मेरे पास कोई इसकी सूचना नहीं है और मैं आशा करता हूं कि यह बात सच भी न होगी। यह भी पूछा गया कि एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में गवर्नमेंट ने क्या किया है ? उसके बार में गोरखपुर में लेबर कोर बनाया गया है जिसमें लेबरर्स को शामिल करके जगह-जगह पर, जहां उनकी आवश्यकता हो, भेजा जाय। आज देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को काम दे दिया जाय। लेकिन कोशिश यह की जा रही है, विशेषकर मजदूरों के लिये इस बात की कोशिश की जा रही है, उनके लिये मिनिमम वेजेज ऐक्ट, जिसका कि मैंने कल ऐलान किया था, कि अगले साल सारे प्रदेश भर में लागू कर दिया जाय। और भी कई बातें गांवों में शुरू की जा रही हैं उद्योग आदि जिसके जरिये से ग्रामीणों को वहां पर काम मिलने का मौका मिल सकेगा।

अब कुछ आलोचनायें हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं कि जवाब दूं। कनसीलियेशन के बारे में कहा गया कि कनसीलियेशन मशीनरी के हमारे बहुत से केसेज होते हैं जो रिफ़र नहीं किये जाते हैं। मैंने अभी आंकड़े दिखलवाये और यह मालूम हुआ कि केसेज जो गवर्नमेंट को रिफ़र किये जाते हैं उनमें से ५६ फ़ीसदी केसेज को ऐडजुडिकेशन के लिये अदालत में भेज दिया जाता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह बहुत कम है।

आचार्य जुगलकिशोर---लेकिन मैं इसके बारे में जरूर कहना चाहता हूं कि जहां तक कनसीलियेशन का मामला है, गवर्नमेंट की हमेशा इस बात की कोशिश रही है कि कनसीलियेशन के जरिये से जितनी भी सुविधायें शान्ति कायम रखने के लिये हो सकती हैं, वह हम दें। अब जो यह सुझाव दिया गया कि कनसीलियेशन मशीनरी के कुछ तरीके को बदला जाय, तो उस सुझाव पर हम लोग विचार करेंगे अवश्य, क्योंकि गवर्नमेंट का उद्देश्य एक ही है कि किस-किस हद तक शान्ति, उद्योग, कारखानों में कायम रहे और किस हद तक मजदूरों को जो कमजोर पार्टी है उनको सहायता मिल सके कि उनके अपने जो मामले हैं उनका आसानी से फैसला करा सकें, यह इसका

उद्देश्य होते हुए कोई भी ऐसे सुझाव हमारे सामने आवें जिनको कि हम व्यावहारिक रूप से काम में ला सकते हों तो उसको हम जरूर काम में लाने की कोशिश करेंगे। रेशनलाइजेशन के बारे में भी कुछ गलतफहमी है। यों तो अभी बताया गया कि रेशनलाइजेशन का मतलब यह नहीं है बल्कि उसका मतलब यह है कि सारी इंडस्ट्री का रेशनलाइजेशन हो। हमने पहले भी कहा कि जहां तक सारी इंडस्ट्री के रेशनलाइजेशन की बात है उसको यह स्टेट नहीं उठा सकता और यहां पर जो हम यह स्कीम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वह एक समझौते के आधार पर कर रहे हैं। उसमें हमने इस बात का पूरा विश्वास दिलाया है कि जो श्रमिक आज कारखानों में काम कर रहे हैं उनको नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी। वह काम करते रहेंगे। लेकिन इस बात की बहुत आवश्यकता है कि अगर हम इन कारखानों से कम कीमत पर ज्यादा पैदावार करना चाहते हैं और श्रमिकों को भी ज्यादा वेतन देना चाहते हैं तो फिर बिना रेशनलाइजेशन के यह काम हो नहीं सकता। हमारी गवर्नमेंट की यह विशेष कोशिश है और पिछले नैनीताल के कानफरेंस में यह बात तय हुई थी कि यदि यह बात साबित हो जाय कि एक मशीन के ऊपर कम आदमी काम कर सकते हैं तब भी यह मनवाया गया था कि उनको कहीं न कहीं उस कारखाने में नियुक्त करना पड़ेगा और इसी शर्त पर रेशनलाइजेशन की स्कीम को गवर्नमेंट ने मंजूर किया और दूसरों से कहा कि इसको माना जाय और इसी आधार पर जो कमेटी आज भी बैठी है वह इस बात का निर्णय करेगी कि किसी फैक्ट्री में किस तरह की मशीनों से कितना काम लिया जाता है, कितना काम आज मजदूरों से लिया जा रहा है या उनको कितना वेतन मिलता है। और ज्यादा काम यदि उनको दिया जाता है तो कितना और वेतन उनको मिलना चाहिए, इन सब बातों का निर्णय वह कमेटी कर रही है और मैं आशा करता हूं कि उस कमेटी के जो फैसले होंगे वह सभी को मान्य होंगे। जहां तक गवर्नमेंट का अधिकार है वह उनको पूरा कराने की कोशिश करेगी।

पार्टिसिपेशन आफ लेबर इन दी मैनेजमेंट, लेबर का भी मैनेजमेंट में हिस्सा होना चाहिये, यह एक ऐसी नीति है, जिसको कि गवर्नमेंट ने तो कम से कम मान लिया है। उसको व्यावहारिक रूप देने में कुछ कठिनाइयां हैं। अभी मोदीनगर में एक ऐग्रीमेंट इस तरह का मिल मालिकों में और श्रमिकों में हुआ है और जमशेदपुर में भी सुना गया है कि इस तरह का समझौता मिल मालिकों में और श्रमिकों में हुआ है। हम तो चाहते हैं कि जिस हद तक श्रमिक मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकें, उनको लेने दिया जाय; लेकिन आजकल की जो इकोनामी चल रही है, आज कल की जो दिक्कतें हैं उनमें यह कहना कि इस तारीख से इसको लागू करा दिया जाय, यह असम्भव सी बात मालूम होती है। लेकिन जैसा कि हमारे केन्द्र के श्रम मंत्री जी ने कहा है और हम लोगों ने भी जगह-जगह इस बात का एलान किया है कि हमारी यह नीति है और हमारी यह कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी श्रमिकों को मिलों के इन्तजाम में हिस्सा मिलना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष इससे ज्यादा प्रगति होगी और ज्यादा ऐसे कारखाने आगे आयेंगे जोकि इस जिम्मेदारी को और इस तरह के ऐग्रीमेंट को मानने को तैयार होंगे।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---सरकार अपने कारखानों में अगले वर्ष में लागू कर देगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---वह तो पब्लिक कारखाने हैं ही। उसमें तो जनता के ही प्रतिनिधि रहते हैं। उसमें कोई आदमी बाहर का नहीं होता है, कोई मिल मालिक नहीं होता है। हां, अगर गवर्नमेंट को पूंजीपति मानें तो बात दूसरी है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि ऐसे कारखानों में भी जो मजदूर काम करते हैं उनको कोई

[आचार्य जुगलकिशोर]

भाग नहीं मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि आप इसका भेद रखेंगे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से कारखाने चलते हैं, जिनको हम और आप मिल कर चलाते हैं, उनका स्थान उन कारखानों से जो कि प्राइवेट सेक्टर कहलाते हैं, भिन्न है। यहां तो केपिटलिस्ट्स और श्रमिकों का कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि यहां तो श्रमिक आते हैं उस काम को करने के लिए, जिनके लिए कि रुपया श्रमिकों ने ही दिया है।

मैं एक बात की और सूचना देना चाहता हूं। कल मैंने अपने भाषण के दौरान में कुछ फिगर्स के बारे में बातें कहीं थीं। वह मुझे ठीक तरह से उनके बारे में मालूम नहीं था कि वह ठीक हैं या नहीं। हाउसिंग के बारे में पिछले वर्ष ९,३६६ मकान, इंडस्ट्रियल हाउसेज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सीडी के जरिये से बने हैं, बन चुके हैं। ४,००० औद्योगिक शहरों में बने हैं। ३,६०० अब बनने जा रहे हैं। अगली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत साथ ही २,७६५ मकान अगले वर्ष और नये बनाने की योजना है और ५ साल में १७,५०० मकान बनाये जायंगे। इसके अलावा यह भी माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि गवर्नमेंट की एक दूसरी स्कीम भी है, मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम, उसमें बहुत से इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो मिडिल क्लास के आदमी कहलाते हैं, उनको भी सुविधा हो जायगी; ताकि उनके मकानों का प्रश्न न रहे।

मैं समझता हूं कि मैंने करीबन सभी बातों का, जहां तक मुझे ख्याल आया है, जवाब दे दिया है। समय भी ज्यादा हो गया है। मैं आशा करता हूं कि आप इस अनुदान को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—श्रम और संख्या (लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग) के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—श्रम और संख्या (लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग) के अन्तर्गत ४९,३१,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय, अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग और ४४—उड्डयन तथा अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ८२—कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि तीनों एक साथ ले लिये जायं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अनुदान संख्या ७ और २९ को एक साथ ले लिया जाय। तीनों एक साथ ले लिये जांय लेकिन हम दो कटमोशन पेश करने की इजाजत चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं तो यही कहूंगा कि तीनों एक साथ आप पेश कर दें।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ७—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय (लेखा शीर्षक १२—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय) के अन्तर्गत १,१०,५०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

१९५६–५७ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान ३४१ संख्या ७––लेखा शीर्षक १२––मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय, अनुदान संख्या २९––लेखा शीर्षक ४७––विविध विभाग और ४४––उड्डयन तथा अनुदान संख्या ४८––लेखा शीर्षक ८२––कृषि इन्जीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९––परिवाहन विभाग (लेखा शीर्षक ४७––विविध विभाग और ४४––उड्डयन,) के अन्तर्गत ४,४२,९०,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८–कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वास की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत (लेखा शीर्षक ८२––राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत १,५९,४१,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, यातायात विभाग की ७ ब्रांचेज हैं। रोडवेज, वर्कशाप और बिल्डिंग ब्रांच ये तीनों जो राज्य की तरफ से गाड़ियां चलती हैं उनसे सम्बन्ध रखती हैं। इसके बाद मोटर विहिकिल्स ऐडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच––ये जो ज्यादातर प्राइवेट आपरेटर्स की गाड़ियां चलती हैं उनसे उनका ताल्लुक रहता है। एक स्क्वैड ब्रांच होती है जिसका काम होता है कि जो मोटर विहिकिल्स के रूल्स और लाज हैं उनकी पाबन्दी ठीक तरह से हो, उनकी देख-भाल करना और मुकदमे चलाना होता है। एक अकाउन्ट ब्रांच होती है, इसमें इन सारी चीजों का हिसाब-किताब रहता है। श्रीमन्,यह यातायात विभाग समाज सेवा और जनता के लाभ का कार्य करने वाला विभाग है। इसे एक तरह से कल्याणकारी विभाग कहा जा सकता है। इसमें पहले जो रोडवेज ब्रांच की जो कि राज्य के अन्तर्गत यातायात की गाड़ियां चलती हैं, उसकी बाबत सदन के सामने अर्ज करना चाहता हूं। मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत देखा है मेरा खयाल है कि राष्ट्रीयकरण में जो उद्योग-धंधे लिये गये वह इस राज्य में और और राज्यों में भी उनमें जो फिगर्स मैं आपके सामने रखूंगा तो यह यातायात का विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो उन कामों में से होगा जो खास अच्छे तरीके से चल रहे हैं और एफीशियेंसी और पब्लिक की सेवा में शायद जहां तक मुमकिन हो सकता था काम किया गया और इसको ऊंचे से ऊंचे दर्जे तक ले जाने की कोशिश की गई। यातायात विभाग हमारे सूबे में करीब करीब इस स्थिति पर पहुंच गया है क्योंकि यह नया विभाग था और इसको इस स्थिति पर अब लाया गया है और हम कह सकते हैं कि हमारी सारी चीजें अब करीब करीब ठिकाने तक आ गई हैं और हमने रूल्स वगैरह सारे के सारे बना लिये हैं और कायदे से सारे का सारा काम होता है। इस समय ३३७ रूट्स हैं जिन पर गाड़ियां चलती हैं उनकी तादाद है १६३२ बसें, १४४ ट्रक्स और ३८ टैक्सीज हैं। इन गाड़ियों को जितने माइलेज कवर करना पड़ता है वह बहुत लम्बे चौड़े हैं। ८ और ९ महीने की जो फिगर्स हमारे पास हैं उससे हिसाब लगाया जाय तो करीब साढ़े तीन करोड़ माइल्स या इससे भी ज्यादा कवर किया जाता है। पैसेंजर्स साल भर में ले जायेंगे वह साढ़े पांच करोड़ के करीब पैसेंजर्स को हम सेवा करेंगे। हमारे यहां जो गाड़ियां चलती हैं उनके बारे में भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उसमें कुछ लापरवाही लोग करते हैं अगर उसकी देखरेख न की जाय तो जल्दी से जल्दी गाड़ियां खराब होंगी और उस की वजह से गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जायगा। यह जब प्राइवेट ओनर्स से रूट्स लिये गये थे तब एतराज किया गया था लेकिन मुझे खुशी है कि हमारी गाड़ियां जो काम कर रही हैं उनको अब नौ साल तक हो गये हैं। ऐवरज गाड़ी की लाइफ जो चल सकती है वह ४ साल मानी जा सकती है, लेकिन नौ साल और नौ साल से ऊपर तक की चलती हुई गाड़ियां हमारे यहां हैं और आठ साल, सात साल से ऊपर वाली तो हजारों की तादाद में हैं।

जो हमारे यहां सबसे बड़ी दिक्कत थी और जिसके कारण जनता को तकलीफ थी और यह ट्रांसपोर्ट नेशनलाईज किया गया उसका सब से बड़ा कारण यह था कि जनता को यह शिकायत थी कि वक्त पर गाड़ियां नहीं मिलतीं, ओवरक्राउडिंग की लोगों को तकलीफ

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

होती है, सामान की तरह से आदमी भरे जाते हैं। अब इस तरह की शिकायतें आप नहीं सुनेंगे। ओवरक्राउडिंग का सवाल नहीं है। आज किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि आदमी उसमें ज्यादा बैठें कम तो हो सकते हैं लेकिन पंक्चुअलिटी की बात है जो काम सुपरविजन के जरिये से ही हो सकता था और हमारे इस डिपार्टमेंट ने हमारी जो गाड़ियां चलती हैं उनकी पंक्चुअलिटी का हिसाब रखा है और ९६.८ यानी करीब ९७ प्रतिशत हमारी गाड़ियां ठीक वक्त से चलीं। अब यह एफीशियेंसी है, जिसे मैं कह सकता हूं कि पंक्चुअलिटी के बारे में हमारे यहां की जाती है। किसी कारण से अगर थोड़ी सी देर हो जाय तो हो जाय वरना बराबर ९६.८७ तक पंक्चुअलिटी हम इसमें ले गये। जो और सुविधायें हो सकती थीं सवारियों को वह दी गयीं। बस स्टेशन्स बनाये गये, वहां मुसाफिरखाने बनाये गये ताकि लोगों को ठहरने की जगह हो, कैन्टीन वगैरह खोले गये जिससे लोगों को सुविधा हो। यह सारी चीजें की गयीं। इतना सब करने पर भी जो हमारी अर्निंग हुई वह पूरे साल की ४ करोड़ के करीब पहुंचेगी और उसमें ४० लाख के ऊपर का प्राफिट (मुनाफा) होगा। मैंने अर्ज किया कि यह महकमा फायदे से चलाने की ग़रज से नहीं है। इसकी ग़रज है जनता की सेवा करना। लेकिन फिर भी यह डिपार्टमेंट इस समय में जब कि अनएम्पलायमेंट बढ़ रहा है, जब कि हमारे देश में राष्ट्रीय निर्माण के लिये पैसे की जरूरत है, जनता के ऊपर कोई भार स्वरूप नहीं हुआ बल्कि हमेशा फायदे में चल कर कुछ कंट्रीब्यूशन किया कि जो इस डिपार्टमेंट से रुपया आये जनता की पूरी सेवा करते हुये वह राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों में लग जायगा। इस तरह से यह चालीस लाख से ऊपर का एनुअल प्राफिट होगा। जो मुनाफा ९ महीने का दिया हुआ है अप्रैल से दिसम्बर, ५४ तक वह ३०,८४,८९९ रुपया है और नेट प्राफिट अप्रैल से दिसम्बर, ५५ तक ३९,८४,११८ रुपये होगा। दिसम्बर के बाद और जो दो तीन महीने होंगे उनको मिला कर ४० लाख से ऊपर तो निश्चय ही नेट प्राफिट जायगा। इसमें से सूद वगैरह निकाल के और जो खर्चा वगैरह है उसको निकाल के यह मुनाफा कोई ६ परसेंट तक पहुंचेगा। उपाध्याय जी को यह चीज पसन्द नहीं आ रही है। जिसमें उनकी दिलचस्पी है उसको मैं आगे लूंगा, लेकिन इसमें भी उनको कुछ दिलचस्पी होनी चाहिये। मुझे भी उनके काम से दिलचस्पी है, लेकिन वह एक दूसरे को काटते नहीं। हम तो मानते हैं को-एग्जिस्टेंस की पालिसी को। हम प्राइवेट सेक्टर को खत्म नहीं करना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर को सुभीता देना चाहते हैं। लेकिन मैं उपाध्याय जी से प्रार्थना करूंगा कि वह पब्लिक सेक्टर से इतना ज्यादा नाराज न हो जायं जो कहीं बैलेन्स खो बैठें। जरा वह देखें कि इस सिलसिले में जो मैं कह रहा हूं वह है या नहीं और फिर कोई त्रुटि बतलायें तो अच्छा हो।

तो जो मैंने अभी अर्ज किया श्रीमन्, कि और स्टेट्स से हम यह महकमा सस्ते में चला रहे हैं इसके लिये अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ फ़ीगर्स देना चाहता हूं जिससे सदन को मालूम हो कि और स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट की क्या हालत है और हमारे स्टेट में क्या हालत है। हमारे यहां १ गैलन पेट्रोल में ११.६१ मील गाड़ी चलती है जब कि बम्बई में ७.९४ मील, मैसूर में ९.६७ मील, मध्य प्रदेश में चलती हैं ८.२० और पंजाब में १०.१३ चलती हैं। डीजल की गाड़ियां हैं जो एक गैलन में हमारे यहां १५.९३, बम्बई में १२.३१, हैदराबाद में १३.४५, मैसूर में १२.६७ और प्रध्य प्रदेश में १३.८८, पंजाब में सब से ज्यादा है जो हमारे यहां से दूसरे नम्बर पर आता है और जो १४.९७ है। इसी तरह से बैंक डाउन जो एक खास किस्म की ऐफीशियेन्सी की चीज मोटरों के मामले में होती है वह उत्तर प्रदेश में .८२ है, बम्बई में १.८२ है, हैदराबाद में १.७१, मैसूर में १.४५, मध्य प्रदेश में १.२८ और पंजाब में करीब करीब बराबर आता है और फिर हमारे प्रदेश से कुछ ज्यादा हो है। वह करीब ·८३ है। इस प्रकार से श्रीमन्, सदन को यह मालूम होगा कि आपका महकमा उत्तर प्रदेश में जहां और प्रदेश में यातायात की गाड़ियां चल रही हैं उनसे ऐफीशियेन्सीके साथ चलाया जा रहा है।

श्रीमन्, एक चीज और है कि हमारे यहां जो बस स्टाफ का अनुपात है यानी कितने आदमी नीचे से लेकर जनरल मैनेजर तक काम करते हैं वह हमारे यहां ५.९१ है,

बम्बई में ८.२८ है, हैदराबाद में ७.०५ है, मैसूर में ६.५७, मध्य प्रदेश में ८.७५ । इस तरह से आप देखें कि ऐफोशियेन्सी पहचानने का यह भी एक तरीका है कि कितने आदमियों से वही काम लिया जाता है वह आप के उत्तर प्रदेश में सब से कम है। जैसा कि अभी मैंने आप के सामने उससे आंकड़े रखे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस महकमे का काम राष्ट्र हित में है। यह पहले अर्ज किया जा चुका है कि हमारे यहां कन्जम्पशन कम है, आदमी कम हैं और गाड़ियों की लाइफ ज्यादा है। यह भी नहीं कि हमारे यहां की गाड़ियां बुरी हों उनकी कंडीशन खराब हो, जो हमारे सदस्य दिल्ली वगैरह जाते हैं उनको मालूम होगा कि और स्टेट्स के मुकाबले में हमारे यहां गाड़ियों की कंडीशन अच्छी है ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि अकेले डीजल पर जो गाड़ियां चलती हैं उनमें खर्चा कम आता है माइलेज के हिसाब से और वह हमारे यहां सबसे कम है। बम्बई में ९७ प्रतिशत हैं, हैदराबाद में शत प्रतिशत गाड़ियां डीजल पर चलती हैं। हमने भी डीजल की गाड़ियां चलाना शुरू किया है और २०० गाड़ियां रिप्लेस की हैं पेट्रोल के बजाय डीजल में चलाने के लिये। इस साल १६० गाड़ियां रिप्लेस करने का और ५० नई गाड़ियां डीजल से चलाने के लिये बजट में प्रावीजन रखा है ताकि इस विभाग का कार्य और भी सस्ता चल सके। ऐफीशियेन्सी बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि महकमे के लोगों को जरा यह भय रहे कि अगर गल्ती करेंगे तो सजा दी जायगी। पिछले साल ५८३ आदमियों को सरविस से रिमूव किया गया या डिसमिस किया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि करेंट ईयर में वह नौबत नहीं आई । इस साल उतनी नौबत सजा देने की नहीं आयी, क्योंकि लोगों की समझ में आया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाल दिया जा सकता है, और इस साल जो हमने ऐक्शन लिया उसमें एक हाई आफिसर भी हैं बिल्डिंग ब्रान्च के और दो ए० टी० आई० भी हैं जिनको कि निकाल दिया गया। इन लोगों की संख्या १०० तक है। तो पिछले साल के मुकाबले में हमें कम लोगों पर ऐक्शन लेना पड़ा है और यह इस बात का सबूत है और साबित करता है कि हमारी एफेशियेन्सी बढ़ रही है, लोग ईमानदारी की तरफ जा रहे हैं। इसलिये जहां तक सख्ती का सवाल है वह जितनी की जा सकती है, की जा रही है।

इसके साथ ही आपके मुहकमे का जो मामला है वह ऐसा मालूम होता है कि कुछ ढर्रे पर आ गया है और इसलिये वहां के कर्मचारियों के मन में यह भय न रहे कि पता नहीं कब उनकी नौकरी चली जायगी, उनकी नौकरियों को परमानेण्ट करने का खयाल है। इस गरज से पिछले साल हमने १० परसेंट कर्मचारियों को स्थायी किया था और इस साल हमने ७५ परसेंट कर्मचारियों को परमानेण्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की संख्या नहीं है। पारसाल हमने ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की ८ फीसदी तादाद को परमानेण्ट किया था और इस साल उनकी २० फीसदी संख्या को हम परमानेंट करने जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे यहां ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का जैसा ढर्रा है उसको देखते हुये यह मानना पड़ता है कि वह कुछ ज्यादा जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं । लेकिन हमें उम्मीद है कि जो ट्रेनिंग उनको मिल रही है और जिस तरह से हमारा यह डिपार्टमेंट चल रहा है वह भी अपना रवैया सम्भालेंगे और अपने को परमानेंट बनाने की भावना उनमें पैदा होगी । जिस समय उनमें अच्छे से अच्छा काम करने की भावना पैदा होगी और वह अपना स्टैंडर्ड सम्भालेंगे, उस समय उनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में परमानेण्ट किया जायगा। यह तो रोडवेज की सजा आदि की बाबत श्रीमन्, मैंने अर्ज किया । एक बात इसके साथ ही और भी कि जो अच्छा काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको हम इनाम भी देते हैं। इस मद में हमने २१,३७५ रुपया ड्राइवर और मैकेनिक स्टाफ के लोगों में बांटा अप्रैल से नवम्बर तक, उन लोगों को जो काम अच्छा करते थे ।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

इसके अलावा इस विभाग की एफ़िशियेन्सी बढ़ाने के लिये और जनता की सुविधा के लिये इस बात का इंतजाम किया है कि हर मोटर बस में लिखा होगा कि कंडक्टर की ड्यूटी क्या है ताकि यात्रियों को मालूम हो जाय कि वह उससे क्या काम ले सकते हैं, ताकि किसी यात्री को धोखा न हो सके। चैकिंग के लिये अभी तक हमारे आफिसर्स जाते थे और अभी तक कोई ऐसे रूल्स नहीं थे कि इतनी इतनी चीजें उनको देखनी होंगी। अब हमने आइटम्स फिक्स कर दिये हैं और वह अंडर प्रिंट हैं। बाकायदा आइटम्स बना दिये हैं। जब वह बस स्टेशन पर य वर्कशाप में जायंगे तो उनको इन इन आइटम्स को देखना पड़ेगा। इसके अलावा चेकिंग आफिसर्स की ड्यूटी क्या हैं, इसके भी रूल्स बना दिये गये हैं। वह अंडर प्रिंट है। यह एक तरह एक मैनुअल होगी उस डिपार्टमेंट की, जो सबको दे दी जायगी। और उससे जनता भी जान जायगी कि उनको क्या काम करना है।

अब जिस ब्रांच से हमारे उपाध्यक्ष जी को ज्यादा दिलचस्पी है, यानी प्राइवेट वेहिकिल्स वगैरह से, उसके बारे में मैं, अध्यक्ष महोदय, आप से कुछ अर्ज करना चाहता हूं, यह काम भी बड़ा लम्बा चौड़ा काम है, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हमारा भी इरादा भी यह है कि प्राइवेट सेक्टर भी ठीक चले। वह भी पब्लिक की सर्विस करे। लेकिन हम उस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। हम उसको जो हमारी आर्थिक नीति है, जो हमारी सामाजिक नीति है उससे बांध कर रखना चाहते हैं। अगर वह अपना मुनाफा मनमानी तरह से कमाना चाहें तो उस पर थोड़ी सी बन्दिश लगानी पड़ेगी और माननीय सदस्य सभी इस बात से सहमत होंगे कि जनहित में यह जरूरी है। आप देखेंगे कि यह काम कितना बड़ा है। यहां पर जो तादाद प्राइवेट गाड़ियों की है वह मैं आपसे अर्ज कर दूं। हमारे यहां स्टेट कैरियर की संख्या २,८१६ है, पब्लिक कैरियर की संख्या ५,२७१ है और प्राइवेट कैरियर की संख्या १,८०१ है। हमको यह भी देखना पड़ेगा कि टैक्स लेना और टैक्स की सहूलियत देना कितना जरूरी है। यह बहुत बड़ा काम है। मैं यह अर्ज कर दूं कि यह टैक्स का मामला पड़ा हुआ था और इसी वजह से टैक्स का फिगर ज्यादा मालूम होने लगा। उसका कारण यह हुआ कि बहुत से लोगों ने परमिट लिये स्टेट कैरियर, पब्लिक कैरियर और प्राइवेट कैरियर के, लेकिन वह चला नहीं पाये। उनसे रुपया जमा करा लिये जाने का नियम था तो उनसे रुपया जमा करा लिया जायगा और जब मालूम होगा कि वह नहीं चले तो उनको वापस कर दिया जायगा। खास कर जो पोलिटिकल सफरर थे उनकी गाड़ियां नहीं चलीं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं हो सकता था कि वह रुपया जमा कर दें और रिफंड होने पर उसको वापस कर दे। ऐसा करते तो उनको सूद भी देना पड़ता। इसका लिहाज करके हमने आर्डर कर दिये हैं कि आर० टी० ओ० ३ हजार तक रुपये जिसके ऊपर बकाया हो और उनकी गाड़ी न चली हों तो उसको राइट आफ़ (माफ़) कर सकते हैं। ऐसा करने से उनको रिफंड करने का सवाल पैदा नहीं होगा। ३ हजार रुपया राइट आफ किया जा सकता है अगर वाकई में उनके केरियर नहीं चले हों। जिनका रुपया रिफंड होगा और वह तीन हजार के ऊपर हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राइट आफ (माफ) कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी सहूलियत है। इससे टैक्स की जो तादाद बहुत बड़ी है वह कम हो जायगी और खास सहूलित भी लोगों को मिलेगी। टैक्स के मामले में पहले भी यहां पर सवाल में कहा गया कि काफी रुपया उसके एक्युमुलेशन का मालूम पड़ता है। पहले उसको ५०–६० लाख कहा गया। लेकिन पूरे कागजों को देखने से मालूम हुआ कि वह ९० लाख के ऊपर है। उसकी वसूली के लिये एक तो स्टाफ दफ्तर में कम था जिसके लिये हम कोशिश कर रहे हैं कि आर० टी० ओ० के दफ्तर में ज्यादा स्टाफ दे दे ताकि उनका काम जल्द से जल्द हो जाय। फिर भी जो वसूली हमारी इस साल हुई वह २,२२,७६८ रुपये की हुई है। हम यह उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द यह स्टाफ मिलेगा तो वसूली अच्छी होगी। इसमें एक बात और है शायद उपाध्याय

जी को इसमें कुछ एतराज हो। हमने यह हिदायत जारी की है कि मोटरों में वैस्टेड इन्टरेस्ट न बढ़ जाय इसलिये कोशिश यह की जायगी कि एक फैमिली के मेम्बर को एक ही परमिट दिया जाय। ज्यादा परमिट एक कुटुम्ब में एक्युमुलेट इकट्ठे न हों। इसलिये हमने यह हिदायत जारी कर दी है कि जहां तक आइन्दा परमिट देने का सवाल है एक फैमिली को एक ही परमिट दिया जाय। इससे कुछ आदमियों पर असर पड़ेगा। इसके फिगर देखने से यह मालूम हुआ कि एक परमिट जिनके पास है वह १९४१ आदमी हैं। दो परमिट जिनके पास हैं वह २३९ आदमी हैं। ३ जिनके पास हैं वह ५६ आदमी हैं। ४ जिनके पास हैं वह १८ आदमी हैं और ५ या इससे ऊपर जिनके पास हैं वह २१ आदमी हैं। वह थोड़े से आदमी हैं, लेकिन थोड़े से आदमी हों या अधिक आदमी हों, लेकिन आगे के लिये हमें एक पालिसी बनानी होगी। सदन के माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि कितनी ही दरख्वास्तें आती हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि किसी न किसी को किसी का परमिट बनवाना होता है। इस दौड़ को कम करने के लिये और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये ही हम यह करने जा रहे हैं कि एक फैमिली को एक परमिट दिया जाया करे दूसरे इससे यह भी लाभ होगा कि दौड़धूप कम होने से भ्रष्टाचार की सम्भावना भी कम हो जायगी।

इसके अतिरिक्त चेकिंग के बारे में जो लोगों की भ्रष्टाचार की अधिक शिकायतें थीं। अब तक चेकिंग के लिये ए० टी० आई० होते थे, जो इंसपेक्टर्स की ग्रेड के लोग होते थे जो प्राइवेट आपरेटर्स को तंग करते थे। हमने सोचा कि अगर उनके बजाय जिम्मेदार आदमियों को वहां पर रक्खा जाय तो वे अपनी जिम्मेदारी अधिक महसूस करेंगे। इसलिये उसके लिये हमने यह तय किया है कि इस पोस्ट पर ज्यादा तनख्वाह वाले आदमियों को रक्खा जाय, जिससे अगर उनको कोई सजा दी जाय तो उससे वह डरे। अब उनके पोस्ट असिस्टेंट्स टी० आर० ओ० (टेक्नीकल) होंगी और ये पोस्ट्स गजटेड होंगी। जो इंसपेक्टर्स ग्रेड के लोग होते थे उनको अपनी सर्विस जाने का भय नहीं रहता था। इसलिये जब गजटेड ग्रेड के लोग रक्खे जायंगे तो उन्हें कुछ शर्म भी लिहाजा होगी, क्योंकि जो गजटेड आफिसर्स होते हैं उनको जिस समाज में रहना पड़ता है उससे हमारा खयाल है उनमें कुछ परिवर्तन अवश्य आयेगा और भ्रष्टाचार की शिकायतें कम हो जायंगी इसके साथ ही साथ प्राइवेट आपरेटर्स को भी सहूलियतें होंगी।

एक ब्रांच और रह गयी जिसकी बाबत लोगों को शिकायत थी। एन्फोर्समेंट स्क्वेड पुलिस विभाग का रहता है और उसके आफीसर्स भी पुलिस आफीसरों के मातहत ही रहते हैं। इस विभाग में भी काफी उन्नति करने की कोशिश की गयी। नये आफीसर्स रक्खे गये। उनको यह हिदायत की गयी कि इसमें ईमानदार से ईमानदार आदमियों को रक्खा जाय। इसके अतिरिक्त उसमें पर्सोनल की जो कमी थी उसको भी अधिक लोगों को रख कर दूर किया गया। मुझे इस बात के कहने में कुछ संकोच होता है कि जब ईमानदार आदमी आये तो अब बजाय प्रसन्नता के मोटर आपरेटर्स को यह परेशानी होती है कि वे लोग रिश्वत क्यों नहीं लेते हैं, यह उनको शिकायत है। कोशिश की जाती है, उनके घर वालों को घेरा जाता है, उनके दोस्तों को घेरा जाता है और तरह तरह के लांछन लगाये जाते हैं। एक बड़े आफीसर के लिये मोटर ड्राइवर ने यह कोशिश की कि उनके ऊपर मोटर दौड़ा दी जाय और वह गिर जायं। मैं यह नहीं कहता कि सभी मोटर ड्राइवर्स ऐसे हैं। लेकिन जहां ईमानदारी का तकाजा है वहां फिर यह कोशिश भी करनी चाहिये कि

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

नियमों का पालन मोटर ड्राइवर्स करें। जो भी कोई इन्तजाम किया जाता है वह इसलिये किया जाता है, इसलिये कानून और नियम बनाये जाते हैं कि जनता को तकलीफ न हो और सहूलियत हो। इसके अतिरिक्त मोटर आपरेटर्स को भी हम ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने को तैयार हैं। चाहे तो वह पैसेंजर ले जाने वाली गाड़ी हो, चाहे माल ले जाने वाली गाड़ी हो, हम सब को सहूलियत देना चाहते हैं। माल ले जाने में सहूलियत इस बात से हो सकती है कि उनकी तादाद को बढ़ा दिया जाय जिससे वह ज्यादा सामान ले जा सकें। क्योंकि आजकल जहां १५० मन का पास है वे २०० मन ले जाते हैं। वह कैपिसिटी से दुगुना और तिगुना बोझ ले जाते हैं, इस तरह की चीजों को उनको रोकना पड़ता है, अगर वह आपरेटर्स नियम का पालन करें तो भ्रष्टाचार कम हो जाय और फिर एन्फोर्समेंट स्कवैड को भी कम दिक्कत पड़े। इन ठेलेवालों को न जाने क्यों रात पसन्द आती है वह रात में ही चलते हैं और रात में अगर हमारे आदमी जाते हैं तो उनको गवाही भी मिलना कठिन होता है और अगर एक दूसरे में लड़ाई हो जाय तो बचाने वाला भी कोई नहीं मिलता। तो उनकी इस तरह की विचित्र सी चालें हैं। जब यह ठेले चलते हैं और कहीं इंसपेक्टर ने रोका तो होता यह है कि पूरी लाइन ही ब्लाक हो जाती है और वह लोग ऐसे सिगनल मुकर्रर कर लेते हैं जिससे पूरी रोड पर पता हो जाता है कि कोई चेकिंग हो रहा है, कहीं कहीं हमारे यहां बुन्देलखंड में तो उसको "बघर्रा" कहते हैं कि बघर्रा आ रहा है। जब मालूम हो जाता है तो इस तरह के तमाम ठेले सड़क से हट जाते हैं क्योंकि नियम यह है कि गाड़ी अगर सड़क पर न हो और इधर उधर हो तो उसका चालान नहीं हो सकता, वह सड़क पर होनी चाहिये। अगर सड़क पर एक आदमी को पकड़ लिया तो सारा रास्ता ब्लाक हो जाता है और जहां लोगों को पता हुआ वह गाड़ी सड़क से हटा कर भाग जाते हैं। इस तरह की उनके सामने दिक्कतें होती हैं। लेकिन फिर भी मैं यह नहीं कहता कि हमारे स्कवैड में सभी आदमी ईमानदार हैं, उसमें कुछ गलत आदमी भी हो सकते हैं। हमने कोशिश जरूर की है कि उसमें हम छंटे हुये ईमानदार आदमी रखें और ईमानदारी के साथ चेकिंग हो, हो सकता है कि कुछ उसमें से गैर ईमानदार हों, लेकिन हमारी मन्शा यह है कि जो दिक्कतें उनकी हैं वह सही तरीके से हमें बताई जायं तो उनको हम हल करने को तैयार हैं और जो कुछ भी सहूलियतें हम दे सकते हैं वह हम उनको देने को तैयार हैं और जो उनके प्रतिनिधि हैं और जो उनकी ओर से बात करने वाले लोग हैं वह भी उनको हमारी ओर से यह बात समझाने की कोशिश करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमान् जी, कुल २ ही घंटे हैं। मंत्री जी कितना समय लेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं जल्द ही खत्म करने वाला हूं। तो मैं यह कह रहा था कि जो उनके प्रतिनिधि हैं वह मोटर ओनर्स को समझावें कि वह नियमों का पालन करें और मैं उनको विश्वास दिला सकता हूं कि अगर वे उनका पालन करेंगे तो उनको सरकार और विभाग की ओर से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मैं अब अधिक कहना नहीं चाहता लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि यह जो हमारा ट्रान्सपोर्ट विभाग है जिसके बारे में मैंने अर्ज किया उस पर हमारे यहां इतना कम खर्च होता है और खास तौर से अगर आप इस खर्च को दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में देखें तो वह बहुत कम है। बम्बई में यह खर्च ५६.९९ पाई प्रति मील आता है जब कि हमारे यहां ५५.२६ पाई प्रति मील है, इसी तरह से ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर और उनके दफ्तर का खर्च बम्बई में १९.१८ पाई है जब कि हमारे यहां वह केवल १.१८ पाई ही है। आप इस अन्तर को देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है और यहां यह खर्च कितना कम है लेकिन इसके बावजूद भी जिस खूबी से हमारे यहां इस काम को सुचारु रूप से चलाया जा रहा है इस का सारा श्रेय ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर और

उनके साथियों को है जिन्होंने बहुत ही मेहनत कर के इस विभाग को इस अच्छे ढंग से चलाया है। मुझे आशा है कि सदन इस अनुदान को स्वीकार करेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं अनुदान संख्या ७ तथा २९ में एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। मुझे बड़ा ही दुख है कि यहां की सरकार यातायात को कोई भी महत्व नहीं देना चाहती है। आज के इस विकास के युग में यातायात का कितना बड़ा भारी महत्व है अगर इसे हमारी सरकार समझे तो मैं समझता हूं कि उसकी ओर हमारी सरकार को और ज्यादा ध्यान देना चाहिये क्योंकि हमारे प्रदेश की आर्थिक उन्नति, हमारे प्रदेश में रोजगार की समस्या, यहां अधिक उत्पादन होना, ठीक तरह से चीजों का डिस्ट्रिब्यूशन होना यह सब चीजें ट्रान्सपोर्ट पर ही निर्भर है लेकिन दुख है कि इसकी ओर सरकार ने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया है।

आज इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेण्ट के दो पहलू हैं, एक तो प्राइवेट आपरेटर से सम्बन्ध रखता है और दूसरा पहलू वह है जो कि सरकारी बसें चलाता है और सरकार जिसके राष्ट्रीयकरण की बात कहती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात की अवश्य खुशी है कि जब से हमारे इस ट्रांसपोर्ट विभाग को मा० चौधरी चरण सिंह जी ने सम्भाला है इसमें कुछ उन्नति अवश्य हुई है और उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि हम कुछ उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट को ठीक ढंग पर ले आयें और जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली जनता है, जो तकलीफ उसे इस सिलसिले में है उसे दूर करने की कोशिश करें। पर अध्यक्ष महोदय, आज का जो भाषण माननीय उपमंत्री जी का सुना वह मुझे कुछ ज्यादा आशाजनक नहीं मालूम हुआ और उसका कारण यह हो सकता है कि आज चौधरी साहब यहां मौजद नहीं हैं। मैं जानता हूं चौधरी साहब जिस विषय में पड़ते हैं, जो उनका डिपार्टमेंट है उसका वह पूरा अध्ययन अवश्य करते हैं और इसलिये कि वह काफी अध्ययन करते हैं। मैंने भी काफी अध्ययन इस चीज पर किया ताकि उन्हें कुछ बता सकूं। पर इस समय मुझे कुछ कहना नहीं आया। जब माननीय मंत्री जी ने ऐसे आंकड़े हमारे सामने पेश कर दिये वैसे आंकड़े नहीं देते तो अच्छा था। फिर भी मैं उन्हें साबित करने की कोशिश करूंगा कि जितने आंकड़े माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने दिये वह सारे के सारे आंकड़े बिल्कुल गलत हैं और वह भी उन्हीं की किताबों से साबित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं कुछ रोडवेज के सिलसिले में कहूं मैं यह साफ बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह कहेंगे कि हम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वाले लोग जो हमेशा राष्ट्रीयकरण की बात कहा करते हैं आज हमारी सरकार की मोटर चलाने की नीति का क्यों विरोध करते हैं? अध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी इस बात को कहा और आज भी मैं कहता हूं कि जिस प्रकार का राष्ट्रीयकरण आज यातायात का उत्तर प्रदेश में किया गया है उसे हम राष्ट्रीयकरण नहीं कहते हैं, उसे हम समाजीकरण नहीं कहते हैं, उसे हम सरकारीकरण कहते हैं। इस लिये कहते हैं कि इस प्रदेश का जितना ट्रान्सपोर्ट है वह आज उन लोगों के हाथ में है जो इन्डिविजुअल्स हैं। करीब १० हजार लोगों के हाथ में है जिन्होंने २०–२५ हजार रुपया फी गाड़ी इस पर लगाया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर यह बिजनेश किसी पूंजीपति के हाथ में होता, किसी एक आदमी के हाथ

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

में होता तो इस सरकार की हिम्मत न होती कि इसको वह नेशनलाइज करती । यह तो ऐसा नेशनलाइजेशन है कि अगर पहले चौधरी की बाजार में मिठाई की दुकान पर कम बिक्री होती थी और आज ३०० रुपया रोज की बिक्री हो रही है तो हम भी हलवाई की दुकान खोल लें ताकि उससे थोड़ी सी आमदनी हो जाय । माननीय मंत्री जी जहां तक इसके राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है मैं इसको राष्ट्रीयकरण नहीं मानता पर मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई अवश्य देना चाहता हूं कि उसने अपनी गाड़ियां जो सड़कों पर चलाईं और उनसे एक फायदा उत्तर प्रदेश के रहने वालों को हुआ कि ये प्राइवेट आपरेटर्स सड़कों पर जो ओवरलोड करते थे, परेशान करते थे, ४०, ४० सवारियां बैठलाते थे, किसी नियम के मुताबिक नहीं चलते थे उनके ऊपर बड़ा भारी कंट्रोल हो गया और उन्होंने महसूस किया कि हम जनता को अगर इस बात की तकलीफ देंगे तो हमारी सड़कों पर भी सरकार की गाड़ियां चलने लगेंगी । इससे एक यह फायदा हमको अवश्य हुआ, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जब इसको चलाया जैसा कि माननीय मंत्री जी अभी बता रहे थे इससे मुझको कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन मुझे रोडवेज पर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और मैं सरकार से कहता हूं कि जब आपने इन रोडवेज को ले लिया है तो आपका और हमारा फर्ज है कि उनको ठीक तरह से चलायें । अच्छी आमदनी हो, अच्छी सहूलियतें हों, उनको आराम मिले । इसमें मैं सरकार के साथ हूं पर सरकार सहयोग चाहती नहीं है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमको ६ परसेंट तक इनकम हो रही है । अध्यक्ष महोदय, जो लेटेस्ट फीगर्स है जहां तक इनकम का सवाल है उनके पास कौन सी किताब है मुझे पता नहीं लेकिन मेरे पास एप्रोप्रिएशन एकाउण्ट जो लेटेस्ट आया हुआ है उसे माननीय मंत्री जी की खिदमत में पेश करूंगा और उस पर जो कन्ट्रोलर व आडिटर कंट्रोलर वह कहते हैं कि जो सम्मति प्रकट की है वह मैं बतला देना चाहता हूं

"The average profit per vehicle per day during the year under review works out as under...."

श्री अध्यक्ष—यह कौन सी किताब है ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—एप्रोप्रिएशन अकाउण्टस, १९५१-५२ ।

लेटेस्ट हमारे पास यही है । इसके बाद की तो कोई आयी ही नहीं । जब तक हमारे अकाउण्टस आडिट न हो जायं तब तक आंकड़े कैसे सही माने जा सकते हैं ?

वह यह कहते हैं हमारे आडिटर जनरल,

"average net profit per vehicle per day Rs. 1.5"

"The net profit per vehicle as worked out above is very low. Government may examine the possibilities of reducing the running expenses."

मुझे बड़ी खुशी होगी जिस दिन हमारी आमदनी कुछ बढ़ जायगी । माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि ४० लाख रुपये की आमदनी होने वाली है कहां के आंकड़े हैं मैंने सारे बजट की किताब ढूंढ डाली कहीं नहीं दिखलायी दिया । ३१ लाख रुपये की आमदनी १९५४-५५ में दिखलायी गयी है । इसमें से अगर ३ प्रतिशत का भी इंटरेस्ट लगाया जाय तो साढ़े १३ लाख रुपया कट जाता है । १७ लाख रुपया इनकम हमारी रहती है । अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता हूं कि इसमें बड़ी अच्छी इनकम हो, और मैं रास्ता बतलाने के लिए तैयार हूं कि कैसे इनकम बढ़ सकती है । लेकिन जो आंकड़े रखे जायं वह ठीक रखे जायं ।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जहां हमारा रुपया इसमें खर्च हो रहा है क्या उससे जनता को कुछ फायदा मिला या उससे हमारी आमदनी कुछ बढ़ी ? इसमें मैं मंत्री जी के साथ बिलकुल हूं कि हो और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, यह जो रोड ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट है माननीय मंत्री जी उसके सम्बन्ध में यह कहते हैं कि हमने राष्ट्रीयकरण इसलिये किया है कि ओवरलोडिंग होती थी और वे लोग टाइम पर गाड़ी नहीं छोड़ते थे, इसलिये हमने राष्ट्रीयकरण कर लिया । क्या दलील आपने दी ? क्या इसका जवाब दिया? जिन सड़कों पर रोडवेज से अच्छी तरह से प्राइवेट लोगों की गाड़ियां टाईमिंग से चल रही हैं, बड़ी सहूलियतों के साथ चल रही हैं उन्हीं सड़कों पर मंत्री जी क्यों अपनी गाड़ियां लगाते हैं ? माननीय मंत्री जी को उन सड़कों पर अपनी गाड़ियां लगानी चाहिये थीं जिन पर इंतजाम ठीक नहीं था। तब जो उनकी दलील है वह दलील यहां पर टिक सकती थी । अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से यह चाहते हैं कि वह जिन सड़कों पर गाड़ियां कम हैं उन पर अपनी गाड़ियां ज्यादा बढ़ायें ताकि जनता को सहूलियत हो। प्राइवेट आपरेटर्स एक सड़क पर अपना ट्रांसपोर्ट डेवलप करते हैं, आध आध घंटे में गाड़ियां चला कर जनता को सहूलियत देते हैं । लोगों को ट्रांस्पोर्ट माइण्डेड बनाते हैं कि लोग रेल से कम चलें । अमेरिका में भी यही प्रणाली कायम की जा रही है कि लोग रेल से ज्यादा सड़कों पर सफर करने की कोशिश करें। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उन सड़कों पर जिन पर आप की कम गाड़ियां चलती हैं उन पर ज्यादा गाड़ियां चलायें। उन सड़कों पर भी बढ़ाना चाहिए जिन पर आप की एक-एक, दो-दो गाड़ियां चलती हैं । कानपुर, इलाहाबाद के बीच में एक गाड़ी चलती है और सड़क नैशनलाइज कर दी गयी है । इलाहाबाद से बनारस सड़क पर तीन चलती हैं और जिस समय प्राइवेट आपरेटर्स चलाते थे उस समय तीस-पैंतीस गाड़ियां चलती थीं । लखनऊ से इलाहाबाद के लिए कोई गाड़ी नहीं चलती है ।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)––मैं आपकी इजाजत से एक सवाल पूछता हूं। क्या यह रेजोल्यूशन आपकी कानफ्रेंश में पास नहीं हुआ है कि ज्यादा ट्रकें सड़कों पर न डाली जायं क्योंकि मुनाफा इससे कम होगा ? लेकिन इस वक्त आप कह रहे हैं कि सरकार को चाहिये कि सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां प्रोवाइड करे ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं अपने सारे समय का १/२२ वां हिस्सा ट्रांस्पोर्ट को देता हूं। अब बताइये कि १/२२ में सारा ट्रांस्पोर्ट विभाग थोड़े ही देखा जा सकता है ? वह रेवेन्यू के माहिर हो सकते है। खैर मुझे खुशी है वह आ गये । मेरा लिखा पढ़ा भी काम आ जायगा, क्योंकि मैं भी तैयार होकर आया हूं, और माननीय मंत्री जी की हर बात का जवाब देना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी, से भी आशा करूंगा कि मेरी भी हर बात का जवाब वह अवश्य देंगे।

मैंने जैसा पहले भी कहा कि मंत्री जी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेने से काफी उन्नति हुई है । लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा अगर मंत्री जी थोड़ा और समय इसमें दें, थोड़ा और बताने की कोशिश करें तो अच्छा है । अध्यक्ष महोदय, रोडवेज की वजह से इतना आज अवश्य हुआ है कि प्राइवेट आपरेटर्स को इस बात का डर रहता है कि अगर हमारा इंतजाम खराब हुआ तो रोडवेज की गाड़ि[illegible] आ जायंगी और इसी का नतीजा है कि प्राइवेट मोटर आपरेटर्स

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

का इंतजाम बहुत अच्छा है । सरकार ने नई सड़कें खोल दी हैं तो उनमें जितने भी हमारे प्राइवेट आपरेटर्स हैं वह चले जायंगे, यह नीति अच्छी है । लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान में जो रुपया दिया गया है, जो गाड़ियां लगाई गई हैं मैं मंत्री जी से कहुंगा कि वह मेरी बात जरा गौर से सुन लें। एक प्रार्थना अवश्य करूंगा और वह यह है कि जो उन्होंने हमारे नये रुट्स खोलने के लिये कहा है और जो डिसप्लेस्ड आपरेटर्स के लिये कहा है कि हम उनको किसी न किसी जगह पर डालेंगे, बरबाद नहीं करेंगे और उस नीति को सामने रखते हुए अध्यक्ष महोदय, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई है उसमें सरकार ने यह फैसला किया है कि १०१ गाड़ियां वह लगायेगी ५ साल के अन्दर । लेकिन इस बजट में यह देखता हूं कि उसमें से वह चाहते हैं कि ५१ गाड़ियां पहले साल लगा देंगे और ५० गाड़ियां दूसरे साल लगायेंगे और बाकी तीन साल में कोई गाड़ी लगाने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि पहले तो होना यह चाहिये था कि जब सड़कें बन जातीं उन्हीं पर यह गाड़ियां वहां पर लगायी जा सकती हैं। इसलिये पहले, दूसरे साल कुछ न कुछ लगावें और सड़कें जब हमारी हो जायं तो ३,४,५ वें साल में गाड़ियां लगा दें तो मैं समझता हूं प्राइवेट आपरेटर्स को कोई एतराज नहीं होगा । उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि अगर हम सब मिल करके चलाना चाहें तो कोई भी दिक्कत इस बात की नहीं पड़ सकती । मैं कहता हूं १०१ नहीं २०० गाड़ियां लगाना चाहें तो सब लग सकती हैं परन्तु वह सर्वे के बाद होना चाहिये कि कहां कितनी जरूरत है? मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करें और जहां हमारी कम गाड़ियां हैं रोडवेज की वहां जरा ज्यादा लगायें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हम चाहते हैं कि रोडवेज वाले या प्राइवेट आपरेटर्स दोनों एक दूसरे को दोस्त समझें, दुश्मन न समझें इसका एक तरीका है, रोडवेज भी डेवलप हों और उनको प्राइवेट आपरेटर्स के तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिये और रोडवेज के तजुर्बे से प्राइवेट आपरेटर्स फायदा उठावें । आपस में मिलकर चलेंगे तो कुछ दिन बाद जैसा कि प्लानिंग कमीशन ने भी रिकमेण्ड किया है हमारे प्रदेश के अन्दर एक कार्पोरेशन बन जाना चाहिये जिसमें प्राइवेट आपरेटर्स, सरकार और रेलवेज सब एक हो सकेंगे । हमको चाहिये कि मिल करके अपने प्रदेश की उन्नति में सारी अपनी ताकत लगा दें । अध्यक्ष महोदय, एक बात नयी कही गई, वह यह है कि एक फेमिली एक परमिट । मैं इस मामले में माननीय मंत्री जी का पूरा-पूरा साथ देने को तैयार हूं । लेकिन अध्यक्ष महोदय, आगे के लिये जितने परमिट्स इश्यू किये जायं किसी एक को परमिट इश्यू न किया जाय । जिसके पास आलरेडी पुराना एक परमिट है ।लेकिन जहां तक पुराने परमिट होल्डर्स हैं अध्यक्ष महोदय, उनके लिये माननीय मंत्री जी ने एक यह भी आदेश जारी किये हैं कि रिन्यूवल के टाइम पर जिसके पास एक परमिट से ज्यादा परमिट हो उसका परमिट कैंसिल कर दिया जाना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, वह परमिट अगर कैंसिल हो गए उसकी स्थिति आप देखिए उसका परमिट कैंसिल हो गया तो गाड़ी खड़ी हो जायगी, उसको हजारों रुपयों का नुकसान होगा । बिना परमिट के वह चल नहीं सकती है कोई खरीदने के लिये तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह प्राइवेट आपरेटर क्या करेगा? सरकार उसे खरीद ले तब भी हम इस बात के लिये तैयार हो जायंगे कि एक से ज्यादा का रिन्यूवल न हो । खरीदे सरकार अध्यक्ष महोदय, खुद माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि करीब ५-६ आदमी ऐसे हैं जिनके पास पांच से ज्यादा गाड़ियां हैं,

और १४ ऐसे हैं कि जिनके पास चार से ज्यादा गाड़ियां होंगी । तो उनकी गाड़ियां सरकार ले ले । अगर सरकार गाड़ियां नहीं लेती है तो उनको इस बात की इजाजत दे दी जाय कि वह अपनी गाड़ियों को दूसरों को बेच दें, दे दें। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं कि एक साल के अन्दर उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई भी आदमी ऐसा न हो जिसके पास एक से ज्यादा परमिट हों तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको इस तरफ भी वह ध्यान देना चाहिये। क्योंकि डिस्ट्रिब्यूशन आफ प्रापर्टी हो जाय लेकिन डिस्ट्रक्शन आफ प्रापर्टी नहीं होना चाहिये । उसकी वह गाड़ी बरबाद नहीं होनी चाहिये । कहीं वह यह न कहें कि बहुत सी गाड़ियों वाले इसका विरोध कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है । लेकिन एक दफा उनको अवश्य इस बात का मौका मिल जाना चाहिये कि अपनी गाड़ियां बेच दें ।

अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट आपरेटर्स के लिये एक बड़ी मुश्किल खड़ी थी वह यह कि बहुत से लोगों के पास गाड़ियां बिकी हुई थीं । माननीय मंत्री जी ने इस बात का फैसला किया कि उत्तर प्रदेश के अन्दर २३ दिसम्बर के पहले जिनकी गाड़ियां ट्रांसफर हुई थीं, बिकी हुई थीं उनकी गाड़ियों को ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी जाय। इससे मैं समझता हूं कि प्राइवेट आपरेटरों को एक बड़ी भारी रिलीफ मिली है और मैं समझता हूं कि वह अब इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिये तैयार होंगे । और भी बहुत सी बातें हैं जिनको कि माननीय मंत्री जी ने किया है और जिनको कि उनको रखना चाहिये था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब वह यह कहते हैं कि एक फेमिली में तो एक से ज्यादा परमिट न रहे लेकिन कम्पनियों में एक से ज्यादा परमिट हो सकते हैं। यह एक अजीब सी बात है समझ में नहीं आयी । फेमिली के लिये तो आप कहते हैं कि एक से ज्यादा परमिट एक फेमिली के पास न रहे लेकिन कम्पनी के लिये कहते हैं कि कम्पनी के पास एक से ज्यादा परमिट हो सकता है।

श्री चतुर्भुज शर्मा––इसलिये कि वह कई फेमिलीज की एक कम्पनी होती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––किसी की भी हो लेकिन है तो वह एक कम्पनी ही तो यह मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें क्या तुक है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इन सब प्रस्तावों पर वह नये सिरे से विचार करें । मैं यहां पर कोई उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मोटर आपरेटर्स के प्रेसीडेंट की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो असेम्बली के एक मेम्बर की हैसियत से यह चाहता हूं कि वह भी अपने हैं, उनकी गाड़ियां भी अपनी हैं और गवर्नमेंट की गाड़ियां भी अपनी हैं हम सब मिल कर इनका डेवलपमेंट करें और माननीय मंत्री जी कुछ और ज्यादा समय अपना दे सकें इसके लिये तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यह ट्रांसपोर्ट का जो मुहकमा है इसका भी उतना ही महत्व है हमारे प्रदेश के अन्दर जितना कि रेवेन्यू वगैरह का है।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)––श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ४८ के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष——दस मिनट होगा इसके लिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी——१५ मिनट . . . .

श्री अध्यक्ष——बात यह है कि आज दो ही घंटे हैं कुल, तो और लोगों को भी कुछ बोलने का समय मिलना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी——लेकिन अभी पिछले कटौती के प्रस्ताव के लिये तो आपने २० मिनट दिया।

श्री अध्यक्ष——वह तो दो अनुदान थे एक नहीं। आपका एक ही अनुदान है इसलिये दस ही मिनट हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी——जितना अधिक आज सरकार की ट्रांसपोर्ट नीति पर हम विचार करते हैं उतना अधिक मेरा विश्वास दृढ होता जाता है कि जब तक हम ट्रांस्पोर्ट कार्पोरेशन की स्थापना इस प्रदेश में नहीं करेंगे तब तक ट्रांस्पोर्ट का सर्वांगीण विकास और उन्नति करना सम्भव नहीं है। कई वर्ष पहले राज्य की यातायात प्रणाली पर विचार करने के लिये एक ऐडवाइजरी कमेटी की स्थापना हुई थी जिसमें कि आज के ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर मंत्री या संयोजक थे और उसने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की थी कि यातायात के विभागीयकरण से यातायात की समस्या का हल होने वाला नहीं है चाहे कोई भी मंत्री क्यों न हो और कितना ही अधिक या कम समय इसमें क्यों न दें। जबतक एक डिपार्टमेंट और एक विशेष सरकारी संगठन के अधीन यातायात का विभाग रहेगा तबतक इसमें कोई भी विशेष सुधार नहीं हो सकता और अच्छी से अच्छी आज्ञाएं भी उनका बुरे से बुरा व्यवहार हो सकती हैं। इसकी सब से बड़ी मिसाल हमको इस बात को देखने में मिलती है कि यू० पी० में जब कि प्रति डीजिल आइल ऐवरेज माइलेज के, प्रति नये टायरों के सेट के माइलेज, प्रति बैटरी के माइलेज जितनी लिस्ट दी हुई है यहां सब प्रान्तों से कम खर्चा होता है तो उसी के दिखलाने में कर्मचारियों के सम्बन्ध में अन्य प्रान्तों के मुकाबले में भी यहां कम व्यय हो रहा है यानी सौ रुपये में से केवल ५·९१ रुपया कर्मचारियों पर खर्च किया जाता है।

श्री चतुर्भुज शर्मा——पर्सनल कम हैं और एफीशियेंसी ज्यादा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी——आप अपना जवाब दे दीजियेगा, पहले ही जवाब अगर देना चाहें तो दे लीजिये। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में सब से कम बस स्टाफ है। सब से कम खर्चे में सब से अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करने की मिसाल मंत्री जी स्वयं मानते हैं परन्तु प्रश्न यह है कि उन कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति क्या है? आज इतने वर्षों में केवल ७५ प्रतिशत कर्मचारियों को स्थायी करने की बात स्वीकार की गयी है और मंत्री जी ने दो परसेंट से २० परसेंट तक ड्राइवरों और क्लीनरों की परमानेंसी की बात अगर उनके ध्यान में यह बात लाई न गयी होती तो शायद यह प्रश्न ही न उठता ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर और वल्केनाइजर के ग्रेड के सम्बन्ध में कर्मचारी कहते हैं कि कई सालों से ९ सालों की मेहनत और परेशानी के बाद यह निश्चय पाया गया कि इस वर्ष ३२ से ३७ रुपये तक उनका ग्रेड किया जाय। केवल दो मिसालें बतलाने के लिये काफी हैं कि आज रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनकी क्या स्थिति है?

जो पहले यातायात मंत्री जी श्री विचित्र नारायण शर्मा जी थे, उन्होंने कई बार सरकुलर्स निकाले कि जनरल मैनेजर और असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर का रवैया ट्रांस्पोर्ट के कर्मचारियों के प्रति बदलना चाहिये। कर्मचारियों को

एक सर्टिफिकेट ईश्यू करना चाहिये कि जिस से जिस प्रकार का काम लिया जाता है उसको उसका सर्टिफिकेट मिलना चाहिये और एक सारी रीडिंग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिये लेकिन आज भी उन सारी आज्ञाओं का उल्लंघन करीब-करीब सभी रीजंस में होता है और जिस पोस्ट पर जो काम करते हैं उससे दूसरी पोस्ट पर उनसे काम लिया जाकर उसकी तनख्वाह उनको नहीं दी जाती है। आजकल दो प्रकार की रीजनल कमेटी काम कर रही है एक सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी और एक रीजनल सिलेक्शन कमेटी। वैसे तो ये सन् ४८ में बना दी गयी थीं और उन्होंने थोड़ा बहुत काम भी किया था लेकिन जिस प्रकार से इन सिलेक्शन कमेटियों ने काम करना शुरु किया है वह आश्चर्यजनक है। श्रीमन, आपको सुनकर दुःख होगा कि कई सालों के करैक्टर रोल एक ही साल में लोगों के बना दिये गये।

पांच साल के करेक्टर रोल्स व्यक्तियों के पांच दिन के अन्दर भर दिये गये, अब आप कल्पना करें। ५५ में एन्ट्री करते हैं कि ५० में करेक्टर कैसा था और लुत्फ यह है कि उसके आधार पर लोगों को सरविसेज से हटाया जा रहा है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि आज प्रदेश भर में, जो रीजनल सेलेक्शन कमेटीज और लखनऊ में जो सेंट्रल सेलेक्शन कमेटी है इनके जो नियम हैं और जिस प्रकार के रेकार्ड्स इनके सामने प्रस्तुत किये जा रहे हैं और जिन रेकार्ड्स के आधार पर ये कमेटियां चुनाव कर रही हैं इससे आज प्रान्त भर में रोडवेज के कर्मचारियों में भारी असन्तोष फैला हुआ है। ८-८, ९-९ साल की सर्विस किये हुये लोगों को अकारण, बिना लोगों को किसी प्रकार की कोई चार्जशीट दिये, बिना उनको मौका दिये, अलग किया जा रहा है। आज प्रान्त में ऐसे दो सौ से अधिक केसेज हैं जिनकी नौकरियों को समाप्त किया गया है और किया जा रहा है और यह कहा जाता है कि चूंकि तुम्हें सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड ने या रीजनल सेलेक्शन बोर्ड ने नहीं एप्रूव किया इसलिये तुम्हें नहीं रखा जा सकता है। अब आप ही बतलायें श्रीमन्, कि यह सेंट्रल सेलेक्शन बोर्ड और रीजनल सेलेक्शन बोर्ड्स सन् ४८ से काम कर रहे हैं तब से उन्होंने एप्रूवल नहीं किया और आज सन् ५६ में उनको यह ख्याल आया कि वे एप्रूव करें और ७-८ साल पुराने कर्मचारियों को निकाल दें। माननीय मंत्री जी यह न समझें कि अगर आज मजदूर पूर्णतः शांत हैं तो इस प्रश्न को लेकर वे कोई ऐसा कदम न उठा सकेंगे जिससे रोडवेज के संगठन में कोई गड़बड़ी आ जाय। मैं नहीं चाहता कि रोडवेज कर्मचारी कोई ऐसा कदम उठायें जिससे रोडवेज के काम में कोई बाधा पैदा हो लेकिन अगर रीजनल सेलेक्शन कमेटी और सेंट्रल सेलेक्शन कमेटियों का ऐसा ही रवैया चलता रहा तो मुझे आशंका है कि रोडवेज के संगठन में कोई अशांति पैदा हो सकती है। वहां कोई मैनुअल नहीं, कोई स्टैन्डिंग आर्डर नहीं। स्टैंडिंग आर्डर्स लेबर कमिश्नर के पास गये हुये हैं, न मालूम कब वे फाइनलाइज किये जायेंगे और लागू किये जायेंगे। या जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट है या और प्रांविंशयल ऐक्ट्स हैं वे कब से लागू होंगे।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने यह कही कि डीजल की गाड़ियां हम चलाते हैं। डीजल की गाड़ियां चलाने में एक विशेष प्रकार की कठिनाई होती है। दूसरे तमाम प्रदेशों में डीजल व्हीकल एलाउन्स दिया जाता है लेकिन यहां कोई एलाउन्स नहीं दिया जाता है। परसों एक सवाल

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

के जवाब में माननीय मंत्रीजी ने इस बात को स्वीकार किया था कि ड्राइवर्स को एक दिन में १९० मील गाड़ी चलानी पड़ती है। तो ८ घंटे की स्टीयरिंग पर ड्यूटी के रूल का कहां तक पालन हो रहा है ? तो सरकार की ओर से इस बात की कोई भी चेष्टा नहीं की गयी कि मोटर विहिकिल्स ऐक्ट का पालन किया जाय। फर्स्ट एड बाक्स कितनी गाड़ियों में हैं माननीय मंत्री जी बतलायें। मोटर विहिकिल्स ऐक्ट का पालन न करने का नतीजा यह होता है कि उसका भुगतान कर्मचारियों को उठाना पड़ता है। मोटर विहिकिल्स ऐक्ट में बहुत सी धारायें ऐसी हैं जो पुराने ब्रिटिश साम्राज्य-शाही के जमाने की चली आ रही हैं। इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि इस ऐक्ट का संशोधन किया जाय ताकि कर्मचारियों को जो कानूनी दिक्कत होती है वह दूर हो जाय। इस बात की भी अत्यन्त आवश्यकता है कि रोडवेज के काम को अधिक दक्षता देने के लिये जो १०० रुपये या उससे कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं उनको एक रीजन में से दूसरे रजिन ट्रान्सफर न किया जाय लेकिन देखा यह गया है कि पिछले कई वर्षों से सरकार की यह सामान्य नीति होते हुये भी रोडवेज के निम्न कर्मचारियों को एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर किया जाता रहा है। कई बार हमने मंत्री जी से बातचीत की और पुराने मंत्री जी से भी बातचीत की और उन्होंने आश्वासन दिया कि १०० रुपये तक का जो छोटा स्टाफ है उसका एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर सामान्यतया नहीं होगा। सामान्यतया की यह बात एक नियम बन गयी है और आये दिन समाचार आते रहते हैं और छोटे कर्मचारियों के ट्रांसफर्स एक रीजन से दूसरे रीजन में होते रहते हैं। जैसे आप सोचें कि किसी ड्राइवर या कंडक्टर का आगरा से गोरखपुर ट्रांसफर हो जाय और वह भी छोटी-छोटी बातों पर जैसे कोई उन्होंने गल्ती कर दी या रिकार्ड में कोई गल्ती होगयी तो बड़ी दिक्कत होती है। मैं निवेदन करूंगा कि इन छोटी-छोटी बातों पर इंटर रीजनल ट्रांसफर्स नहीं होने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक ज्वाइण्ट रिस्पांसीबिलिटी का सिस्टम है जिसमें बेटिकट चलने वाले यात्रियों की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। मैं समझता हूं कि इसमें भी वही तरीका अपनाया जाय जो रेलवे में है। आदमी को जो बे टिकिट चलता है, जिम्मेदार ठहराया जाय और उसको यात्रा का डंड दिया जा सकता है, इससे यह होगा कि जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हटा दिये जाते हैं जरा सी एकाउण्ट की गल्ती पर वह नहीं होगा। इसके अलावा यात्री भी सतर्क रहेंगे और जो आरोप कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का लगाया जाता है वह भी समाप्त हो जायगा।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार को प्राइवेट मोटर्स पर जो मजदूर, क्लीनर, ओपरेटर वगैरा होते हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैंने सुना है कि केन्द्र से कोई बिल आने वाला है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो मजदूर वगैरा प्राइवेट गाड़ियों में काम करते हैं उनके लिये उन्होंने क्या सोचा है ? इसपर वह प्रकाश डालने की कृपा करें।

अंत में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कुमायूं रोडवेज में जो डेढ़ वर्ष पहले हड़ताल हुई थी उसके जो कर्मचारी और ड्राइवर्स वगैरह हैं वह अभी तक बेकार पड़े हुये हैं और उनकी कई अपीलें मंत्री जी के पास आचुकी हैं। पिछले साल माननीय विचित्र नारायण शर्मा जी ने आश्वासन भी दिया था कि उन पर विचार किया जायगा और उनकी फाइल्स को देखकर जल्द फैसला किया जायगा। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है और वह आश्वासन भी पूरा नहीं किया गया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में अत्यन्त आवश्यक निर्देश दें कि उनकी अपीलों पर जल्द से जल्द विचार हो और शीघ्र से शीघ्र फैसला किया जाय। मुझे आशा है कि जिस तरह से हमारी दो मांगें मंजूर हुईं जैसे ड्राइवर, कंडक्टर वगैरा आदि कर्मचारियों के परमानेन्सी के सम्बन्ध में उसी तरह से आने वाले वर्ष में यातायात मंत्री जी इसको ज्यादा समय देंगे। और १।२० के बजाय १।५ समय देंगे तो जितनी नोकरशाही है वह खत्म हो जायगी वह कहते हैं कि अपील उनको दी जाय या बतलाई जाय तो हम कहां तक उनको दें क्योंकि ९,००० कर्मचारी

है और क्रम से ५०० अपीलें चलती रहती हैं। कहीं बोनस के मामले में, कहीं इंक्रीमेंट के बारे में और कहीं परमानेन्सी के बारे में। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे इनकी अपीलों की सुनवाई शीघ्र से शीघ्र हो सके।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---श्रीमन्, आज जो यातायात का अनुदान उपमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करती हूं। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में इस विभाग को समाज कल्याणकारी विभाग कहा है। सुनने में तो अच्छा लगता है और वाकई में यह कल्याण करने वाला विभाग होगा। लेकिन जब उसके कार्यों को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि यह कौन से रास्ते पर समाज का कल्याण करने वाला है। श्रीमन्, मैं यह कहने में संकोच नहीं करती हूं कि इस विभाग को जब से माननीय मंत्री जी ने अपने हाथ में लिया है उन्होंने यथेष्ट चेष्टा की है कि इसके अन्दर कुछ सुधार किये जायं लेकिन उसके मायने यह नहीं हैं कि वह पूर्णरूप से बहुत उन्नति कर गया है। मैं यहां पर समय के अभाव से अधिक कुछ कहने के लिये विवश हूं केवल ३, ४ चीजों की ओर माननीय माल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। उन्होंने इसको समाज कल्याण करने वाला विभाग बतलाया है। मैं उनसे एक ही बात का उत्तर चाहती हूं। आपके इस विभाग में जो महिलाओं के पद पर नियुक्ति होती है वह कितनी महिलायें अभी तक इस पद पर रखी गयी हैं। यहां आपके लखनऊ शहर में जो रोडवेज का कार्यालय है उसमें केवल ५ कंडेक्टर नियुक्त हैं और एक जनरल मैनेजर के कार्यालय में क्लर्क हैं। अब इस सरकार की तरफ से ऐसे आदेश भी कुछ गये हैं जो इस प्रकार के हैं कि अगर स्त्रियों के कोई आवेदन-पत्र आते हैं तो उनको वह नियुक्त करने में असमर्थ पाते हैं। तो मैं इसको समाज कल्याणकारी विभाग कहूं या समाज अकल्याणकारी विभाग कहूं यह समझ में नहीं आता। मैं इस बात को जानना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी की ओर से इस प्रकार के आदेश किस प्रकार दिये गये और इस प्रकार का विचार उनकी मनोवृत्ति में किस प्रकार आया? उनको एक वाशिंग अलाउन्स मिलता था और रोडवेज के दूसरे कर्मचारी जो हैं उनको यूनिफार्म भी मिलती है लेकिन आपके यहां इन कंडक्टरों को कोई यूनीफार्म नहीं दी जाती है यह समझ में नहीं आता। इनको जो वाशिंग अलाउन्स दिया जाता था उसको भी काट दिया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वह इस त्रुटि को सुधारने की कृपा करें। मैं उनसे कहूंगी कि जब ऐसी चीज इसमें हैं तो इन शिकायतों को दूर किया जाय और उनको भी यह सुविधा दी जाय तभी यह समाज कल्याण विभाग कहलाने के योग्य हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, जब कि इस विभाग की आमदनी बढ़ती नजर आती है तो उन कर्मचारियों के लिये भी कुछ सुविधा मिलनी चाहिये। उनको भी इस तरह का लाभ पहुंचना चाहिये। जैसे कि रेल के कर्मचारियों को पास की सुविधा है तो क्या अपने कर्मचारियों के लिये रेलवे पास की भांति आप रोडवेज में भी जारी करने का प्रयत्न करेंगे? मैं समझती हूं कि यह उन कर्मचारियों की एक न्याय की मांग हैं जो कि आपको पूरी करनी चाहिये।

श्रीमन्, मैं यहां पर एक बात और निवेदन करना चाहती हूं हालांकि वह छोटी सी बात है लेकिन वह एक बड़े महत्व की बात और मानी भी जा सकती है। आपकी बसेज जो हिल एरिया में चलती हैं वहां पर उन बसेज के लिये यह खयाल नहीं किया जाता कि उनकी कंडीशन कैसी है। वहां पर अच्छी कंडीशन की बसेज चलनी चाहिये। मैं अपने अनुभव से कहती हूं कि गतवर्ष एक बस जिसमें मैं सफर कर रही थी उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि जिस वक्त वह ऊपर से नीचे आयी तो उसका ब्रेक ही गायब था। परमात्मा की कृपा से जैसे तैसे

[श्रीमती चन्द्रवती]

हम लोग नीचे उतर आये। रास्ते में उसका टायर फट गया जिसके कारण हमको ३, ४ घंटे वहां सड़क पर पड़ा रहना पड़ा। मैंने उसके लिये कुछ रिपोर्ट भी की और उसमें माननीय मंत्री जी ने कुछ कार्य भी किया। मैं तो इसके लिये यह सुझाव देना चाहती हूं कि जो बसेज हिल एरिया में चलती हैं वह बहुत अच्छी हालत की होनी चाहिये, फर्स्ट क्लास होनी चाहिये। रास्ते में भी इस बात का निरीक्षण होना चाहिये कि वह बसेज किसी तरह से भी ऐसी प्रकार की न हों कि जिनमें ब्रेक ही गायब हो या टायर फटा हो या ऐसी दशा में हो जो धोखा देने वाला हो।

इसके साथ साथ मैं एक चीज की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं वह यह कि जो आपकी बसेज सिटी में चलती हैं उनमें सुबह के समय कन्डक्टर के पास रेजगारी नहीं होती इसलिये बहुत से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। और टूटे पैसे टिकट के लिये न होने से बहुत से लोग अपने कामों पर देर में जाने को बाधित हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ कंडक्टर्स का जो जनता के साथ व्यवहार होता है वह भी ठीक नहीं होता, यह मैं अपने अनुभव से कहती हूं। कई कंडक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनको रुपया दिया जाता है और बाकी पैसे वे लौटा कर नहीं देते हैं और भूल जाते हैं। इस प्रकार मैं अपने कई रुपये गत वर्ष शेष पैसे न लौटाये जाने पर खो चुकी हूं। इसलिये जब, कंडक्टर्स अपनी ड्यूटी पर जाने लगें तो विभाग की तरफ से उनको कम से कम २ रुपये की रेजगारी अवश्य देनी चाहिये तथा इस प्रकार की हिदायत उन लोगों को होनी चाहिये कि यात्रियों के रुपया और शेष लौटाने वाली रेजगारी का वे लोग पूरा-पूरा ध्यान रक्खें। मेरी ही नहीं किन्तु जनता की आम तौर से इस किस्म की शिकायतें हैं। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे। इन शब्दों के अतिरिक्त मैं और कुछ कहना नहीं चाहती हूं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, इस अनुदान को प्रस्तुत करने के समय मुझे माननीय उपनेता विरोधी दल द्वारा मंत्री जी को पेश की गयी कुछ रवाइयात सुनने को मिलीं। इसके साथ मैं माननीय मंत्री जी को एक चेतावनी अर्पित कर देना चाहता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि क्या किसी के द्वारा माननीय मंत्री जी को अपने पक्ष में करने और उनसे काम लेने के विचार से श्रद्धांजलि अर्पित करने या उनकी गाथा वर्णन करने की चेष्टा तो नहीं की जा रही है। इससे माननीय मंत्री जी को बचना चाहिये। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उपनेता विरोधीदल ने अपने भाषण के दौरान में यह कहा कि माननीय चरणसिंह जी के पास इस विभाग के जाने के बाद उसमें बड़ा भारी सुधार हुआ है। मैं माननीय उपनेता विरोधीदल और माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उसमें काम करने वाले हजारों लोगों को, जो चौधरी चरणसिंह जी से पहले काम कर रहे थे, उनको कुछ अधिक सुविधा मिली है? क्या उनकी तनख्वाहों में बढ़ोत्तरी हुई है क्या उनको जाड़े में वर्दियां मिल रही हैं? क्या यह सही है कि अस्थायी काम करने वालों को मुस्तकिल कर दिया गया। अगर आप मुस्तकिली का प्रतिशत देखें तो आपको मालूम होगा कि जहां ७५ प्रतिशत से ऊपर के कर्मचारियों को मुस्तकिल किया जा रहा है वहां नीचे के कर्मचारियों में केवल २० प्रतिशत को ही मुस्तकिल किया जा रहा है। इन बातों को जब हम देखते हैं तो यह कतई नहीं कहा जा सकता कि आज इस विभाग में कोई विशेष परिवर्तन हुआ है।

मान्यवर, जहां तक प्राइवेट आपरेटर्स का ताल्लुक है मैं आपकी सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप पूंजी के अभाव में प्राइवेट आपरेटर्स को जारी रखना ही चाहते हैं तो उसकी सारी व्यवस्था कम से कम आपके हाथ में अवश्य रहनी चाहिये। मैं मंत्री जी को आगाह कर देना चाहता हूं कि सूबे की सड़कों पर जो प्राइवेट बसेज चल रही हैं उनमें काम करने वाले कर्मचारियों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको बहुत ही कम तनख्वाह दी जाती है, वर्दी उनको नहीं मिलती। प्राइवेट बसेज में ओवर लोडिंग का तो एक जटिल प्रश्न ही है तथा उससे जो कठिनाइयां होती हैं, उनको तो वेही लोग जानते हैं जो उनमें चलते हैं। माननीय

उपाध्याय जी ने कहा कि रोडवेज के कर्मचारी प्राइवेट बस वालों से कुछ सीखें और प्राइवेट बस वाले रोडवेज वालों से सीखें। मैं समझ नहीं सका कि वे रोडवेज के कर्मचारियों को क्या सिखाना चाहते हैं। क्या रोडवेज के कर्मचारी ओवरलोडिंग को अपनायें, क्या वे उनको ओवर लोडिंग सिखाना चाहते हैं। क्या वे उनको वैसा व्यवहार सिखाना चाहते हैं जो प्राइवेट बसों में होता है ? मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह प्राइवेट बसों का जारी रखना उचित ही समझें तो उसमें काम करने वालों की जिन्दगी के प्रश्न को वह अपने हाथ में रक्खे। जो नियुक्तियां हों वे सरकार के द्वारा ही हों। हां, उनके द्वारा जो मुनाफा हो वह प्राइवेट आपरेटर्स को दे दिया जाया करे।

इसके बाद मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ,आज आवश्यकता इस बात की भी है कि इस विभाग में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला हर जगह है, और यदि यह कहा जाय कि आज भ्रष्टाचार से इस देश का अधिकांश भाग प्रभावित है तो यह अतिशयोक्ति न होगी लेकिन फिर भी हमें उसे दूर करने का प्रयत्न करना है। मैं आप के सामने विभाग के भ्रष्टाचार का एक नमूना पेश कर दूं। बाराबंकी जिले की तहसील फतेहपुर में जनवरी, ५६ में डेड माइलेज १५० मील हुआ और इस तरह से डेड माइलेज दिखा कर सरकार का लाखों रुपया का नुकसान होता है और यह डेड माइलेज इसलिये दिखाया जाता है कि अधिकारीगण बसों का दुरुपयोग करते हैं और उस को डेड माइलेज के रूप में लिख देते हैं। इसलिये इस चीज को भी दूर करने की जरूरत है। नियुक्तियों के सम्बन्ध में भी मैं निवेदन कर दूं कि जो नियुक्तियां विभाग में होती हैं वह पक्षपात पूर्ण होती हैं और उस के दो एक उदाहरण मंत्री जी की सेवा में अर्पित कर देना चाहता हूं कि जिनमें विभाग के द्वारा पक्षपात की नीति अपनाई गई है और किस प्रकार के पक्षपात का बोलबाला इस विभाग में है। यहां ए० जी० एम० सी० आफिस तथा कैसरबाग में एक आर० के० शर्मा कर्मचारी हैं उनको प्रोमोशन दिया गया है, वह पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और कोई मिसाल उनके लिखने पढ़ने की मन्त्री जी प्रस्तुत करें, लेकिन उनको प्रमोशन दिया गया है। इसी तरह से श्री शिवराज सिंह जो मेकेनिक है उनको प्रोमोशन दिया गया है, वह मेकेनिज्म बिलकुल नहीं जानते और इसी तरह से बहुत से कर्मचारी अपने काम मे अनभिज्ञ हैं लेकिन उनको प्रोमोशन दिया गया है और पक्षपात की नीति बरती गई है। मुझे आशा है कि इस सूचना और माननीय मदनमोहन जी के गुणगान को सुनने के बाद मंत्री जी विभाग को अधिक सुचारू रूप से चलाने की चेष्टा करेंगे। हम चाहते हैं कि विभाग में जो करप्शन है उसको वह दूर करने की कृपा करें। अन्त में मैं एक और निवेदन करूंगा और वह यह है कि आप के रोडवेज के हजारों कर्मचारियों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो रोडवेज के कन्डक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं और दूसरे निम्नस्तर के कर्मचारी हैं उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वह भी आज मेहनत से जान लगा कर आप के प्रदेश की सेवा कर रहे हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप उनके रहने के लिये क्वार्टर्स की व्यवस्था न करें।

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के प्रयत्नों की सराहना करते हुये भी इतना निवेदन करूंगा कि यद्यपि समस्त प्रदेश में यातायात की व्यापक व्यवस्था हो रही है और समस्त प्रान्त में यातायात का प्रबन्ध किया जा रहा है और यात्रियों को पहले से अधिक सुविधा है लेकिन फिर भी जैसी कि कहावत है कि प्रकाश स्तम्भ होते हुये भी अंधकार "दिए तले अन्धेरा" रहता है उजाला कितना ही किया जाय लेकिन तब भी अंधेरा किसी न किसी जगह रहता ही है, बिजली की रोशनी भी नीचे हुई तो अन्धेरा ऊपर होगा। मैं मन्त्री जी का उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिधर अभी

[श्री रणंजयसिंह]

प्रकाश नहीं पहुंचा है, हालांकि वह कोई शिकायत की बात नहीं है, पर उधर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। यहां लखनऊ में भी कई भाग ऐसे हैं कि जहां रोडवेज के रूट नहीं बनाये गये हैं जैसे ऐशबाग रोड है, वहां कोई बस का प्रबन्ध नहीं है, वहां भी बसेज चलें और नखास वगैरह तो जाती हैं लेकिन वहां से कोई नहीं चलती है। मैं देहात के विषय में भी कहना चाहता था लेकिन समय कम है अधिक समय न लेकर दो चार बातें ही निवेदन करूंगा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से रेल गाड़ियों की समय सारिणी होती है उसी प्रकार से रोडवेज के यातायात की भी समय सारिणी छपवायी जाय और उसके अनुसार ही गाड़ियां समय से चला करें और इस बात का भी समय निर्धारित करें कि जिस समय ट्रेन के कनेक्शन मिलें और रेलें पहुंचती हों उस समय बसेज मिल जाया करें। इस चीज का विशेष प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। जिससे कि लोग उनसे कुछ पहले पहुंचें, जिससे उनको रेलगाड़ी पकड़नी हो तो उनको सुविधा हो। इनसे सभी मार्गों पर पूरी सुविधा होगी। ऐसे छोटे-छोटे सुझाव हैं जिनके लिये मैं श्रीमान्, जी के द्वारा प्रार्थना करूंगा और अधिक समय नहीं लूंगा बहुत कम समय रह गया है। कभी-कभी ऐसा देखने में आता है कि बहुत से ड्राइवर्स बड़े नशे में चूर रहते हैं और इससे बहुत सी दुर्घटनायें भी होती हैं। साथ ही साथ असभ्यतापूर्ण बातें भी होती हैं। इसलिये उनको हिदायत की जाय कि वे लोग नशे का तनिक भी सेवन न करें और अगर सेवन करते हुए मिलें तो आवश्यक दंड दिया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने बहुत से भाइयों के भाषण सुने और जो कुछ मैंने कहा उसकी अधिकांश लोगों ने ताईद की। सिर्फ हमारे साथी रामेश्वर लाल जी ने जिनके बारे में मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चहता, क्योंकि जिस जगह वे गये हैं वह तो इस किस्म की बात किया ही करते हैं, हमारे यहां होते तो शायद ठीक तरह से चलते लेकिन जहां वे गये हैं वहां उनके लिये सब माफ़ है। जब किसी बात का तजुर्बा नहीं होता तो किसी को उसके बारे में ज्यादा बातचीत करना उचित सा भी नहीं मालूम होता। मैं माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगर वह किसी प्राइवेट आपरेटर को ओवरलोडिंग करते हुये हमें बतायें या सरकार से बतायें तो मैं तो क्या, मैं तो कुछ हूं नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि उसका पर्मिट कैन्सिल करा दूंगा। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश में कोई ओवरलोडिंग करे। सिर्फ क्योंकि मैंने एक बात कही इसीलिये उसकी वह विरोध करने खड़े हुये थे इसलिये उन्होंने अपना फर्ज तो अदा कर दिया।

अब माननीया चन्द्रवती जी को शिकायत है कि कुछ औरतें कंडक्टर्स नहीं रक्खा गईं। मैं उनकी इस डिमांड की बिलकुल ताईद करता हूं और चाहता हूं कि अवश्य हमारे ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर साहब औरतों का खयाल करें जब कि एप्वायण्टमेंट का सवाल हो। सिटी सर्विस या रोडवेज में इसकी ओर ध्यान दिया जाय क्योंकि मैं समझता हूं कि यह मांग बहुत जायज़ है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो चार बातें हैं जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार से आदेश जारी हुए हैं कि जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स होंगे चाहे प्राइवेट वालों के हों या सरकारी हों उन्हें फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट लेना होता है, लेकिन उसको ट्रेनिंग देने की कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। तो माननीय मंत्री जी, या तो जिले के अस्पतालों को हिदायत दे दी जाय कि वे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दें उनको नहीं तो डाक्टरों से बड़ी-बड़ी ऊंची फीस दे कर फर्स्ट एड सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। दूसरा आदेश यह जारी किया गया है कि कंडक्टर्स पढ़े लिखे होने चाहिये। पुराने जितने कंडक्टर्स थे उनका लाइसेंस इसलिये रिन्यू नहीं किया जा रहा है कि वे बढ़े लिखे नहीं हैं। लिहाजा उनको कुछ टाइम अवश्य मिलना चाहिये ताकि वे पढ़ें और पढ़ने के दौरान में उनके लाइसेंस कैंसिल न किये जायं। हम तो यह चाहते हैं कि ट्रान्सपोर्ट

विभाग के अन्दर कुछ पढ़े लिखे लोग आयें तो इसमें काफी डेवलपमेंट हो सकता है। तो कम से कम माननीय मंत्री जी कंडक्टर्स के जो लाइसेंस रिन्यु नहीं किये जा रहे हैं वे फौरन् दिये जायं। एक मेरी प्रार्थना माननीय मंत्री जी से है कि रास्ते में जो चेकिंग का इन्तजाम होता है, यानी चेकिंग आफिसर चेक करता है और अगर कभी गाड़ी बिलकुल भरी रहती है और चेक करने को उस में खड़े हो जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा चेकिंग आफिसर हो जाता है। तो ओवर लोडिंग के लिये चालान हो जाता है। माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से सरकारी गाड़ियों के अन्दर चेकिंग वाले लोग होते हैं और पूरी सवारियां उसमें होती हैं तो चेकर का ओवरलोडिंग में चालान नहीं होता। इसकी व्यवस्था प्राइवेट वालों में भी हो सकती है। मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता।

एक बात का शायद भ्रम हो। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपका कोई प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया है कि परमिट्स ज्यादा न इश्यू किये जायं। मैं माननीय मन्त्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो आल इंडिया यूनियन है उसने एक प्रस्ताव पास किया है हाल ही में कि हिन्दुस्तान के अन्दर एक लाख पब्लिक कैरियर के परमिट इश्यू होने चाहिये क्योंकि डेवलपमेंट का काम इतना बढ़ रहा है कि यातायात की बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं और हमारे सामने उसे पूरा करना है। लेकिन उनको देने का कोई ढंग ऐसा होना चाहिये कि अगर बिल्कुल रिलैक्सेशन कर दिया जायगा तो वह अनइकोनामिकल हो जायगा। तो जिस तरह से आप कर रहे हैं कि एक आदमी को एक ही परमिट मिलेगा। मैं चाहता हूं कि हर जिले में गुड्स ट्रांस्पोर्ट आर्गनाइजेशन हो, यूनियनें होनी चाहिये। यूरोप में गुड्स ट्रांस्पोर्ट का इतना अच्छा आर्गेनाइजेशन है जितना कि पैसेन्जर का नहीं है। सवारियों के लिये तो हर आठ दस मिनट पर रेल गाड़ियां चलती हैं। मैं चाहता हूं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट को यूनियनों के जरिये से अधिक विकसित और सुविधाजनक बनाने की कोशिश करें। अगर इस प्रकार इसका संगठन किया गया तो मुझे विश्वास है कि इस प्रदेश में गुड्स ट्रांस्पोर्ट की जो मांग है उस को वह पूरा कर सकेगा और उसमें काफी सहूलियत हो जायगी।

एक बात और है जिसको मैं जरूर कहना चाहूंगा। सरकार ने इस साल एक बड़ा भारी रूट दिया प्राइवेट आपरेटर्स को। दिल्ली से, शाहदरा और सहारनपुर रूट को लेकर उत्तर प्रदेश के केपिटल को दिल्ली से लिंक कर दिया है। एक ऐसे क्षेत्र में जिसमें कि एस० एस० लाइट रेलवे चलती है, जिसमें कि लोगों को इतनी तकलीफ थी कि बीस तीस मील तय करने के लिये तीन चार घंटे लग जाते थे। उस सड़क को लेकर, उस पर प्राइवेट लोगों को जो इजाजत दी है उस के लिये मैं समझता हूं कि सरकार धन्यवाद की पात्र है। उत्तर प्रदेश ट्रांस्पोर्ट की जो नीति अब बरती गयी है, और प्राइवेट आपरेटर्स के प्रति जिस प्रकार सरकार ने रेस्पांसिवनेस दिखलायी है उसकी हम क़द्र करते हैं। और जो बोर्ड ट्रान्स्पोर्ट का स्थापित किया गया है उस पर हमें पूर्ण विश्वास है। प्राइवेट आपरेटर्स में जो असंतोष होता जा रहा था, उनकी हियरिंग हुई, उनके आबजेक्शंस प्लेस किये गये और उनकी सुनवायी बोर्ड में हुई। उस बोर्ड पर हमारे प्राइवेट आपरेटर्स का बहुत काफी विश्वास हो गया है क्योंकि उन्होंने उनकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और एक भी आपरेटर उत्तर प्रदेश का नहीं होगा जो उस बोर्ड के फैसलों से नाराज होगा। उन्होंने इस तरह से उनकी बातों को सुना कि सब को तसल्ली हो गई और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का ट्रांसपोर्ट अगर इसी तरह से सहयोग करेगा तो उत्तर प्रदेश का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यहां के ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट में अपना पूरा-पूरा फर्ज अदा कर सकेगा।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझ को अफसोस है कि जिस वक्त मेरे मित्र माननीय मदनमोहन जी ने अपनी तकरीर शुरू की कटमोशन के समर्थन में तो उस वक्त में यहां उपस्थित न हो सका। कारण यह है कि माल विभाग से सम्बन्धित एक प्रस्ताव काउंसिल में जेरे बहस था, मैं वहां मौजूद था। लेकिन खैर मैंने अपने सहयोगी से मालूम किया कि क्या-क्या बातें उन्होंने कहीं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की माननीय मदन-मोहन जी ने गवर्नमेंट की तरफ जो कुछ इस पिछले साल प्राइवेट बस आपरेटर्स की जायज शिकायतों को मिटाने के सिलसिले में किया गया है उसका इकरार किया है। मुझे इसकी बड़ी खुशी है। इसलिये नहीं कि कोई नाजायज फायदा आपरेटर्स के लिये गवर्नमेंट से चाहते हैं और न मुझको इस बात का डर है कि अगर उन्होंने एक सही बात का जिक्र किया, तसलीम किया उस को, तो उसकी वजह से जो भी जनसाधारण में गवर्नमेंट अपनी नीति मुनासिब समझती है उससे एक दम भी इधर से उधर हो जाय और न माननीय मदन मोहन जी ऐसी उम्मीद करते होंगे। एक मित्र ने अभी माननीय मदनमोहन जी के सिलसिले में कहा कि वह रुबाइयां पढ़ कर कुछ उम्मीद करते हैं। माननीय मदनमोहन जी स्वयं समर्थ हैं, जो उन पर आरोप लगाया गया उसका जवाब देने के लिये। मैं उसको आरोप समझता हूं और उनकी नियत पर हमला समझता हूं। होना यह चाहिये था कि मेरी तरफ से एतराज होता उसी वक्त, मैंने नहीं किया। मैं उस गलती को मानता हूं। मैं रामेश्वर लाल जी को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि हर आदमी के काम करने के पैमाने अलग-अलग होते हैं। और हर आदमी का दुनिया को देखने का चश्मा अलग-अलग होता है। माननीय रामेश्वर लाल जी अपने चश्मे से दुनिया को देखते हैं, मैं अपने से देख रहा हूं। तो अगर कोई सही बात कहे तो अपोजीशन का मेम्बर होने के नाते यह फर्ज नहीं है कि उस बात का इकरार न किया जाय। बकरी को हमेशा तीन टांग ही बतायी जाय, जब कि होती ४ ही हैं, यह कुछ ठीक नहीं है यह उनको ही मुबारक है। बाकी जो अभी तक किया वही नहीं आगे भी चाहे गवर्नमेंट रोडवेज कर्मचारियों का ताल्लुक हो, चाहे प्राइवेट बस आपरेटर्स का ताल्लुक हो, गवर्नमेंट लोगों की खिदमत के लिये है और अगर खिदमत करने के लिये यह जरूरी है कि कानून बदले जायं, नियम बदले जायं या कहीं सख्ती की जाय, नर्मी की जाय, वह की जायगी और करनी चाहिये। अब ४–५ बातें जो मुझको मालूम हुईं जो उपाध्याय जी ने कहीं उनका मुख्तसरन जवाब देना चाहता हूं।

एक बात उन्होंने यह कही कि वे सड़कें जिन पर कि बस आपरेटर्स गल्तियां अधिक करते हैं, इर्रेगुलेरिटीज ज्यादा कमिट करते हैं, कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, वह पहले नेशनलाइज होने चाहिये। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। यह बात बिलकुल ठीक है शायद उन्होंने यह भी कहा होगा कि जिन सड़कों पर प्राइवेट आपरेटर्स का अपना इंतजाम बहुत अच्छा है और उन्होंने अपने स्टेशन्स बना लिये, चेकिंग करते हैं कि ओवर लोडिंग नहीं करते और जनता को उनसे कोई तकलीफ नहीं है। तो कांफ्रेंस में एक बात कही गई थी मुमकिन है उन्होंने दोहरायी हो—उनको लेने की बात बाद में सोचनी चाहिये। मैं इससे पूर्णतया सहमत तो नहीं हूं हो सकता है कि जनहित का तकाजा यह हो कि उनको ही पहले लेना पड़े। इस मांग के पीछे जो भाव है उससे मैं सहमत हूं। मैंने कांफ्रेन्स में भी कहा था और यहां भी आप की इजाजत से दोहराना चाहता हूं कि कोशिश ऐसी ही की जायगी कि जिस सड़क पर अच्छा काम हो रहा है उसको बाद में लें। लेकिन वायदा नहीं किया जा सकता।

एक बात माननीय उपाध्याय जी ने यह कही कि १०१ गाड़ियां जो चलनी हैं ५ साल में तो उस में से आधी गाड़ियां जो पहले साल रोड पर रखने का विचार है वह मुनासिब नहीं मालूम होता वह ५ साल में कर दी जायं। यह ठीक है बजट में इस तरह का रुपया रखा गया है। लेकिन इरादा हमारा है कि हम ५ साल में धीरे-धीरे लेंगे। मैं उनकी इस बात को उचित समझता हूं और कोशिश की जायगी।

तीसरी बात यह है जो रोड नेशनेलाइज्ड हैं उन पर गाड़ियां चलायी जायं। वह बराबर सर्वे होता रहा है। जहां मुसाफिर ज्यादा होते हैं वहां गाड़ियां ज्यादा डाल दी जाती हैं। वह जिन रूट्स को गिना रहे थे हम उनको लिख नहीं पाये। अगर कोई मित्र ऐसी सड़कें बतायें जहां ज्यादा ओवरलोडिंग रहती हो तो उस पर विचार किया जायगा, अगर आवश्यकता होगी जरूर ज्यादा गाड़ियां डाली जायंगी।

एक बात यह है कि एक फ़ेमिली पर एक से अधिक परमिट न हो। इसके सिलसिले में कुछ गवर्नमेंट ने हिदायतें जारी की हैं। हिदायतें यह हैं कि जितने आज जिसके पास परमिट हैं वह रहें। अगर हम कैन्सिल करते हैं हमको मुआवजा देना पड़ता है। तो उनको कैन्सिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे को अगर नये परमिट दिये जायं तो एक फ़ेमिली के पास अगर एक पहले से है उस को न दिया जाय। भूमि व्यवस्था अधिनियम में जो फ़ेमिली की परिभाषा है, वही हमने इसमें भी लगा दी है। और दूसरे यह किया है कि जब आगे रिन्यूअल हो तो रिन्यूअल में भी अगर उनके पास दो हैं तो पहले परमिट की रिन्यूअल का अगर समय आ गया.....

श्री मदनमोहन उपाध्याय---यह गड़बड़ है।

श्री चरणसिंह---हां, यह गड़बड़ है। अगर्चे इसमें बहुत डेफिनिट आर्डर्स नहीं हैं लेकिन यह है कि कोशिश यह की जाय कि रिन्यू न किया जाय उसका जिसके पास कि पहले से एक है और भी उसमें एकाध पहलू हैं जिन पर अभी विचार करना शेष है लेकिन वैसे मैं इस नियम को सही मानता हूं। एक तरफ तो माननीय उपाध्याय जी और हम सब लोग बात करते हैं सोशलिस्टिक पैटर्न की और सब उसके बारे में एक मत हैं अब कोई अन्तर रहा नहीं पहले भी नहीं था सिर्फ लफ्जों का अन्तर था और गान्धीवाद ज्यादा सोशलिस्टिक है बनिस्बत इस सोशलिज्म के। लेकिन बहरहाल अब उसके बारे में दो मत नहीं रहे। तो मैं यह समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय अगर माननीय उपाध्याय जी उस कान्फ्रेन्स के वातावरण से बाहर निकल कर सोचें. . . .

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढवाल)---आन ए प्वाइन्ट आफ क्लेरिफेक्शन, क्या एक ही जिले में एक फेमिली का एक हो या सारे यू० पी० के अन्दर एक फेमिली का एक हो ?

श्री चरणसिंह---हां, सारे यू० पी० क्या बल्कि सारे इंडिया में हो, वह तो एक फेमिली का प्वाइण्ट है। कोई कहीं रहता हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय उपाध्याय जी ने जो अब तक तकरीरें की हैं पोलिटिकल प्लैटफार्म्स पर अगर उनको वह पढ़ें और जो कान्फ्रेंस है उसके वातावरण से अपने आपको किसी तरह तटस्थ कर लें तो फिर वह इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि एक फेमिली के पास एक से ज्यादा परमिट नहीं होना चाहिए। अब हमने यह भी किया है जैसा माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि एक बड़ी दिक्कत हमारे बस आपरेटर्स को यह थी कि उन्होंने पावर आफ एटार्नी की शक्ल में या उसकी गाइज में बहुत से ट्रांसफर किये हुये थे बिलकुल इन्तकाल किये हुए थे अपने परमिट्स का यह बात किसी से छिपी नहीं

[श्री चरणसिंह]

थी । लेकिन कानूनन ऐसा हो नहीं सकता था जब तक कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी इजाजत न दे । बाकायदा उनका रिकग्नीशन आर्डर न हो तब तक वह रिकग्नाइज नहीं किये जा सकते थे । लेकिन ऐसा था कि ७५–८० फीसदी इस तरह के परमिट्स का जो ट्रांसफर हुआ था वह डी– फैक्टो ट्रांसफर हुआ था। उससे बड़ी परेशानी हमारे अफसरान को होती थी और बड़ी परेशानी बस आपरेटर्स को होती थी जुर्म किया एक आदमी ने जिसके पास परमिट है । उसके नाम तो नोटिस जायगी नहीं, नोटिस तो उसके नाम जायगी जो कि ऐक्चुअली मालिक है कोई हो वह। तो जुर्म तो किसी दूसरे ने किया नोटिस आ रही है परमिट होल्डर के पास । परमिट होल्डर मुश्किल में फंस रहा है और फायदा उठा रहा है कोई और । तो उसमें फिर सभी तरह की लेन देन की बात होती थी और रिन्यूअल का वक्त आता था तो फिर वैसी ही बात होती थी । और इसके अलावा बहुत सी बातें होती होंगी दफ्तरों में तो इससे हमारे अफसरों को भी बहुत परेशानी होती थी और बस आपरेटर्स को भी बहुत परेशानी होती थी । उस परेशानी से बचने के लिये २३ दिसम्बर तक जो इस तरह के ट्रांजक्शंस थे जो वास्तव में ट्रांसफर थे लेकिन लीगल फार्म उनके ट्रांसफर का नहीं था उनके लिये हमने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी से यह कह दिया कि नीति के तौर पर आप इन पर विचार करें और अगर आप मुनासिब समझते हों तो इनको रिकग्नाइज कर लो । तो इससे एक सफाई हो जायगी लेकिन जहां उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह किया साथ ही आगे को फिर यह ट्रांसफर्स न हों इसका भी इलाज कर दिया। वह इलाज यह किया गया है कि आगे को जिस तरह से एक किसान अपनी जमीन लगान व पट्टे पर नहीं दे सकता उसी तरह से कोई बस आपरेटर जब तक वह डिसएबुल न हो तब तक आगे को पावर आफ एटार्नी नहीं दे सकता। खुद चलायें या ड्राइवर से चलवायें यानी जिस तरह से किसान खुद खेती जोते या नौकर भी रख सकता है। लेकिन पावर आफ एटार्नी जैसे केवल डिस्एबिल्ड आदमी पट्टे पर जमीन दे सकता है उसी तरह कोई बस आपरेटर डिसएबिल्ड हो तो बेशक पावर आफ अटर्नी दे सकेगा वरना स्वयं चलाये या नौकर से चलवाये । लेकिन मुख्तारनामा न हो ताकि बाद में वह परेशानी का बायस न बने । उपाध्यक्ष महोदय, और भी तीन चार बातें उपाध्याय जी जानते हैं कि जो उनकी कान्फ्रेंस ने पारसाल रेजोल्यूशंस पास किये थे जो उनकी नोटिस में आये। अब नारायण दत्त जी ने रोडवेज के बारे में कहा । एक तो यह कि एक महीने का नोटिस देकर टर्मिनेशन आफ सर्विस का कायदा है वह मंसूख कर देना चाहिये । मैं उनसे सहमत हूं। परमानेंट और टेम्पोरेरी सर्वेन्ट में अगर डिसमिसल हो जाय तो कोई फर्क नहीं है बाकायदा चार्जेज हों, एक्सप्लेनेशन लिया जाय और तब कोई सजा दी जाय । क्यों कि डिसमिसल में यह होता है कि उसका कैरियर रुइन हो जाता है। इसमें तो कोई अन्तर परमानेन्ट या टेम्पोरेरी सर्वेन्ट में है नहीं लेकिन अगर हम यह समझते हैं कि इसका काम असंतोषजनक है लेकिन इस हद तक नहीं है कि डिसमिसल हो जाय इस हद तक जरूर है कि जनहित को नुकसान होता है । तो कानून इजाजत देता है और डिसमिसल प्रोसीडिंग्स के सिलसिले में जो नियमावली है वह इस बात की इजाजत देती है कि हम उसको एक महीने का नोटिस या तनख्वाह दे दें और रिमूवल कर दें जिससे वह कल को फिर कहीं मुलाजमत कर सकता है । तो वह रखना जरूरी है और बहुत सोच विचार कर किया गया है । दूसरी बात माननीय नारायणदत्त जी ने यह कही कर्मचारियों के बारे में

कि ४-५ साल में एक बार कैरेक्टर रोल में एंट्री हो गयी । मुझसे माननीय तिवारी जीने अलहदा भी कहा था और मुझको इस पर आश्चर्य हुआ । उसकी तहकीकात करायी जा रही है । अगर ऐसा हुआ है किसी अफसर ने ४-५ साल में एक बार एंट्री की है तो हम उनसे बाजपुर्स करेंगे और कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिये और आगे को हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी शिकायत नहीं होगी । एक यह कि सेलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स रेगुलरली नहीं होती हैं ऐसा भी मुझे मालूम हुआ है इसके सिलसिले में भी आदेश जारी किय गया है कि सेंट्रल और रीजनल सेलेक्शन कमेटी की मीटिंग्स बाकायदा होनी चाहिये और करेक्टर रोल की एंट्री हर अप्रैल में और सालाना या ६ महीने में होनी चाहिये ।

श्रीमती चन्द्रवती---औरतों के बारे में भी कहिये ।

श्री चरणसिंह---औरतों का जिक्र तो मैंने आखीर के लिये रखा था बल्कि आपकी वजह से ही मैं बोलने के लिए खड़ा हो गया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज चन्द्रवती जी से और अपने दोस्तों से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह गौर करने की बात है कि हमारी बहिनें, हमारी बहुयें हमारी बेटियां अगर इस दुनियां के इस झंझट में जो कि अपने मकान के अहाते के बाहर है यह दुनियां झंझट ही है सारा, उसमें न पड़ें तो ज्यादा अच्छा है । यह दुनिया युद्धस्थली है, संग्रामस्थली है और इसमें कांटे और फूल सभी जगह हैं । तो कांटे से लड़ने के लिए जो दुनियां में कांटे का काम है उससे हम अपने फूलों को महफूज रखना चाहते हैं । हरगिज उस कांटे के वातावरण में नहीं रखना चाहते हैं । अब यह मुसाफरत का काम. ....

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---फूल और कांटे साथ-साथ चलते हैं ।

श्री चरणसिंह---लेकिन एक फूल के साथ एक कांटा ही रहे तो ठीक है । हमारी बहिनों और स्त्रियों को तो घर की रानी होना चाहिये, इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिये । कांस्टीट्यूशन में उन्हें अवश्य बराबर का अधिकार है, पूरा अधिकार है लेकिन इस तरह से अब उपाध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है ? मुझको एक मामला मालूम है अबका नहीं सन् ४५ का, मेरठ का । रघुनाथ गर्ल्स कालिज में एक बहिन मिस्ट्रेस थीं एम० ए० पास। मियां इतने पास नहीं थे कुछ कम थे, जरा से । अब नौकर नहीं रह गया, किसी वजह से चला गया तो पूड़ियां बाजार से मंगा-मंगा कर खाई गयीं। खाना घर पर न पक सका । तो मतलब मेरे कहने का यह है कि काम घर पर बहुत पड़े हुये हैं और वहां बहुत ध्यान देना है । वे अगर वह भी कर सकें और बाहर कंडक्टरी भी कर सकें तो बहुत ठीक है, लेकिन वह कंडक्टर होगी तो बच्चों की परवरिश नहीं होगी। रोटी ठीक नहीं बनेगी हमारे यहां स्त्रियों को समान अधिकार मिल गया है एकदम लेकिन सन् १९२१ में मुसलसल १८६८ से ५३ वर्ष तक कोशिश करने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको अधिकार दिया और वोटिंग वगैरा का अधिकार दिया । पहले इलेक्शन के बाद तो एक दर्जन के करीब महिलायें इलेक्ट हुईं लेकिन तजुर्बे ने उनको बतलाया और आज एक भी महिला ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं है। फिर भी कांस्टीट्यूशन मना नहीं करता अधिकार है आपको । लेकिन मैं यह अवश्य कह रहा हूं कि तजुर्बा यह बतलाता है बस बाकी तो ऐपलीकेशन आये तो बेशक आये, ऐप्लाई करे और उपयुक्त हो तो उसको ले लिया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो आज तक हैं उनका क्या होगा ?

श्री चरणसिंह—वे रहेंगी ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७—लेखा शीर्षक १२—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ७—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय (लेखा शीर्षक १२—मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय) के अन्तर्गत १,१०,५०,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—(लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग और ४४—उड्डयन) के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९—परिवहन विभाग (लेखा शीर्षक ४७—विविध विभाग और ४४—उड्डयन) के अन्तर्गत ४,४२,९०,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस-सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत, लेखा शीर्षक ८२ के अन्तर्गत १ रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८—कृषि इंजीनियरिंग सरकारी बस-सर्विसों, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत (लेखा शीर्षक ८२—राजस्व लेखे के बाहर राज्य के दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा) के अन्तर्गत १,५९,४१,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४०—लेखा शीर्षक ५७—समाज कल्याण

आचार्य जुगलकिशोर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—इस अनुदान के लिये समय कब तक है ?

श्री उपाध्यक्ष—४ बजे तक है ।

आचार्य जुगलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की शिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०—समाज कल्याण (लेखा शीर्षक—५७—विविध) के अन्तर्गत ४४, ३५, ६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय तो इतना कम है कि मेरे लिये इस विभाग के सम्बन्ध में कुछ ज्यादा विस्तार में कहना असम्भव सा है । वैसे तो इसका

विषय इतना व्यापक है और इसका कार्यक्रम भी इतना विस्तृत है कि मुझे मालूम नहीं है कि थोड़े समय में कैसे उन सब विभागों के बारे में जिक्र कर सकता हूं। जिसके लिये माननीय सदस्यगण चाहेंगे कि कुछ उसके बारे में कहूं परन्तु हमारे विभाग के बारे में एक पुस्तिका निकली है जिसमें बहुत कुछ इस विभाग के सम्बन्ध में बतलाया गया है।

मैं आशा करता हूं माननीय सदस्यों ने इसको पढ़ा होगा और इससे मेरी जो दिक्कत है वह कुछ हद तक कम हो गयी है। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा इस विभाग को पिछले वर्ष खोला गया और इसका उद्देश्य यह था कि विभिन्न संस्थायें और विभिन्न विभाग जो गवर्नमेन्ट के बाहर काम कर रहे हैं उनका सामन्जस्य कैसे किया जाय और दूसरे जो गैर सरकारी संस्थायें हमारे प्रदेश में चल रही हैं उनकी कैसे मदद की जाय, ताकि वे समाज सेवा के कार्य को करती रहें। इसके अलावा यह भी एक उद्देश्य था कि इस विभाग द्वारा ऐसी संस्थायें और खोली जायं जो एक आदर्श के आधार पर कार्य करें और जो दूसरी संस्थायें चल रही हैं उनको उनसे प्रोत्साहन भी प्राप्त हो और उनके व्यक्तियों को वहां पर ट्रेनिंग भी प्राप्त हो सके। इसके अलावा कुछ ग्रामों में युवकों के लिये और स्त्रियों के लिये कुछ योजनायें चल रहीं थीं। उनको इस विभाग के पास कर दिया गया और वे आज इस विभाग द्वारा चलायी जा रही हैं। इसके अलावा सर्वे का काम और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के कार्य की भी इस विभाग के ऊपर जिम्मेदारी थी। इन कामों को पूरा करने के लिये पिछले वर्ष इस विभाग द्वारा प्रदेशीय स्तर पर एक कोआर्डिनेशन कमेटी या कौंसिल फार सोशल वेलफेयर नियुक्त की गयी जिसमें २५ सदस्य हैं और उसमें विभिन्न संस्थाओं और विभागों के प्रतिनिधि तथा जो समाज सेवायें करते हों और असेम्बली और कौंसिल के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हैं। इस कमेटी के द्वारा इस कौंसिल की दो मीटिंग हुई हैं और उन्होंने जो कुछ अपनी मीटिंग में सिफारिशें कीं उनके ऊपर विभाग समय-समय पर गौर करता रहता है और उनके मुताबिक चलने की कोशिश करता है। इसी प्रकार जिलों के स्तर पर भी १३ जिलों में जहां सामाजिक आफिसर्स नियुक्त किये गये हैं कोआर्डिनेशन कमेटियां बनायी गयी हैं। उन कमेटियों का भी उद्देश्य यह है कि उन शहरों में या उन जिलों में जो सामाजिक कार्य करने वाली संस्थायें हैं उनमें सामन्जस्य हो, उनकी जो दिक्कतें हों उनको हल करें और उनको कितने अनुदान की आवश्यकता है उसकी सिफारिश सरकार को करें और इसके अलावा जो कार्य वहां नहीं हो रहा है उसको चलाने के लिये वहां कोई प्रबन्ध करें। इसके अलावा इस वर्ष विभाग द्वारा कबाल टाउन्स में और मेरठ में सर्वे का काम किया गया है ताकि यह मालूम हो कि वहां पर कितने भिखारी हैं। कितनी ऐसी निराश्रित स्त्रियां और बच्चे हैं और उनकी क्या समस्या है जिसके मुताबिक उनके लिये प्रबन्ध किया जाय। १३ जिलों में खासतौर से डिवीजनल हैडक्वार्टर्स में और कानपुर और दो धार्मिक स्थानों मथुरा और हरिद्वार में १३ आफिसर्स नियुक्त किये गये हैं। जैसा कि मैंने बतलाया उनका कार्य यह है कि उस कमेटी के सेक्रेटरी का कार्य करें और उस जिले की और खासतौर से उस शहर की जो संस्थायें हैं उनकी जांच करें और उनकी मदद करें।

हमारे प्रदेश में स्त्रियों के लिये ग्रामों में जो कार्य हो रहा है वीमेन वेलफेयर स्कीम के जरिये से उसमें ७ जिलों में केन्द्र खोले गये हैं। इसके अलावा इस वर्ष विशेषतया पिछले तीन महीने में ४० कैम्प्स स्त्रियों के प्रशिक्षण के लिये खोले गये हैं। जो स्त्रियों को सामाजिक ज्ञान देने के लिये और अन्य बातें जो जीवन के लिये आवश्यक है उनको बताने के लिये खोले गये हैं। मुझे

[आचार्य जुगलकिशोर]

खुशी है कि यह कैम्प्स बहुत ही कामयाब रहे। यह आशा नहीं थी कि हमारी गांव की बहिनें इस प्रकार से शिविरों में आकर एक सामूहिक जीवन बिताने के लिये और लग्न के साथ काम करने के लिये तैयार होंगी। इससे मैं समझता हूं कि हमारे ग्रामों में एक क्रान्तिकारी भावना पैदा हुई है कि उन्होंने अपनी बहू बेटियों को शिविरों में भेजकर उनको प्रोत्साहित किया है और मौका दिया है कि वह शिक्षा प्राप्त कर सकें।

सोशल वेलफेयर बोर्ड जिसने हमारे प्रदेश में कायम किया था अक्तूबर १९५४ में उसका १७ जिलों में कार्यक्रम चल रहा था और सात जिलों के लिये उनको और क्षेत्र दिया गया था। उनके जरिये से इस तरह से कार्य हो रहे हैं और इसके अलावा हमारी विधान सभा में दो कानून भी रखे गये हैं। एक तो निराश्रित स्त्रियों और बच्चों वाली संस्थाओं पर पाबंदी लगाने के लिये और दूसरा मंदिरों तथा मठों के इंतजाम के लिये पेश किया गया है। इनके अलावा एक बिल और तैयार हो रहा है और आशा की जाती है कि अगले वर्ष हम ला सकेंगे, वह भिक्षावृत्ति को रोकने के संबंध में है।

इसके अलावा हमारे विभाग के द्वारा विभिन्न संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं। बैगर्स होम हमारे प्रांत में दो ही जगह चल रहे हैं और हमारी कोशिश यह है कि बडे-बडे शहरों में जहां समस्या काफी गम्भीर है वहां बैगर्स होम खोले जायं। इसके लिये इस साल ९९ हजार रूपया दिया गया है और अगले साल के लिये २,०४,६०० रुपया रखा गया है। इसके अलावा गूंगे बहरे बच्चों के लिये ८२,७०० रुपया पिछले साल दिया गया है और अगले साल के लिये १,६३,००० रुपया रखा गया है। निराश्रित स्त्रियों और बच्चों के लिये पिछले साल १,९४,२०० रुपया दिया गया और अगले साल ३,०२,६०० रूपया रखा गया है। सेवा समितियों के संगठन को मजबूत बनाने के लिये जो सामाजिक कार्यों के आधार पर होने चाहिये पिछले वर्ष ३७,००० रुपया दिया गया और अगले साल के लिये ४५,००० रुपया दिया जायगा। इसी प्रकार से सोशल वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिये पिछले वर्ष ४३,००० रुपया दिया गया था जो अगले वर्ष में १,८७,००० रुपया खर्च होगा। इसके अलावा सोशल वेलफेयर बोर्ड के जरिये, जो स्त्रियों में काम हो रहा है उनके लिये पिछले साल १,२९,००० रुपया रखा गया था और अगले साल के लिये ४ लाख रुपया रखा गया है। इससे आशा यह की जाती है कि हर एक जिले में दो-दो प्रोजेक्टस जिसमें ५,५ गांव शामिल होंगे वहां काम चलेगा। इसके लिये २५ प्रतिशत हम देते हैं और सेन्ट्रल वेलफेयर बोर्ड ५० प्रतिशत देता है यानी अगर हम ४ लाख रुपया देते हैं तो सेन्ट्रल वेलफेअर बोर्ड से ८ लाख रुपया आयगा। जितना हम देंगे उससे दुगना हमको वहां से मिलेगा। इसके अलावा हमारी और स्कीम चल रही हैं उनके लिये पिछले वर्ष ७,८८,००० रुपया रखा गया था और अगले साल के लिये १०,५९,००० रूपया रखा गया है। अलावा इसके डेवलपमेन्ट्स के काम के लिये अगली पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रदेश के लिये कुल ९० लाख रुपया मिला है। यह रकम बहुत ही कम है और बावजूद हमारी कोशिश के इतना कम रुपया हमें मिला है, इसमें से इस साल २१ लाख रुपया हमने बजट में रखा है। इसके अलावा हमारे जो अपने अनुदान है वह भी इसी मद पर खर्च होंगे। इस २१ लाख में से दो गृह भिखारियों के लिये खोले जांयगे। १ लाख ४८ हजार से एक रस्क्यू होम स्त्रियों के लिये खोला जायेंगा और १ लाख ९५ हजार निराश्रित स्त्रियों और बच्चों के लिये होगा। इस साल के बजट में यह चीजें रखी गयी है और अगले वर्ष के लिये १ लाख ८० हजार रुपया रखा गया है जो अनाथ बच्चों के लिये होम बनाने के वास्ते है। ऐसे बच्चे जो गूंगे

और बहरे होंगे उनके लिये १ लाख ५२ हजार रुपया रखा गया है। ट्रेनिंग वर्कर्स को देने के लिये १ लाख ८७ हजार रुपया रखा गया है। अपने स्टेट वेलफेयर बोर्ड की तरफ से हमने ५५-५६ में जो हमने अनुदान संस्थाओं को दिया वह २ लाख ३४ हजार है। उनकी बेहतरी के लिये अगले साल ४६ लाख रुपया दिया जायगा। इस अनुदान में एक और सोशल वेलफेयर स्कीम चल रही है जो अब ५१ जिलों में चलायी जायगी। उनके लिये यह रुपया रखा गया है। यह संक्षेप में मैंने आपको बताया जो काम हम करना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्यों से इतना कहना चाहता हूं कि यद्यपि यह रकम बहुत कम है किन्तु हमारी कोशिश यह है कि जितनी भी हम इन संस्थाओं को और गैरसरकारी संस्थाओं को मदद दें सकते है उतनी मदद देने की कोशिश करेंगे। तभी हम जन-सहयोग प्राप्त कर सकते है। यह समस्या ऐसी है कि जो जनसहयोग से ही हल सकती है। गवर्नमेन्ट के पास कितना ही धन क्यों न हों, जब तक वह वातावरण पैदा नहीं हो सकता, जब तक कि जनता अपने आप उन निराश्रित व्यक्तियों के लिये और उपेक्षित व्यक्तियों के लिये कुछ अपनी तरफ से सहायता देने की कोशिश न करे, यह हमारी मजबूरी है कि इतने कम धन के होने के कारण हम समाज की उतनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं जितनी कि होनी चाहिये, किन्तु फिर भी मुझे आशा है कि जनता के सहयोग से और माननीय सदस्यों के सहयोग से, जो इन संस्थाओं को सहायता मिलेगी, उससे उन संस्थाओं के द्वारा जो विषम समस्या है उनको हल करने मे आसानी होगी। मैं इतना कहकर इस अनुदान को पेश करता हूं। जो माननीय सदस्य की आलोचना होंगी उनके बारे में आवश्यकता पड़ी तो मैं उत्तर दूंगा।

श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै अनुदान संख्या ४० के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। यह बजट का अनुदान समाज के कल्याण के संबंध में रखा गया है। यह ऐसा अनुदान है जो जनता के उन अंगों का विकास करने के लिये रखा गया है जिनकी ओर अभी तक कम ध्यान दिया गया है। सवा वर्ष से यह मुहकमा कायम किया गया है। पहले यह विकास योजना के अन्दर काम कर रहा था उसमें एक मुहकमा खोलकर इसका काम होता था और उसकी ओर से कुछ जगह महिला मंगल योजना का काम भी होता था। इसकी रिपोर्ट के पढ़ने से यह मालूम होता है कि इसमें अधिकांश कार्य महिला मंगल योजना का किया जाता है। इसका दो तरीके से काम होता है। एक तो गवर्नमेंट की ओर से जो काम किया जाता था उसको डिप्टी डाइरेक्टर पहले से है, वह काम करती है। दूसरा काम सोशल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से होता है, जो समाज कल्याण का काम कहा जाता है। पहले से जो काम हो रहा है वह भी चल रहा है। इन दोनों के कामों में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। सोशल फेलफेयर बोर्ड को उसके क्षेत्र के लिये अलग इस साल एक लाख का अनुदान उसको दिया गया था। वह भी काम कर रहा है। इन दोनों के काम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिये। यह बोर्ड अभी तक कोई काम नहीं कर पाया है। मुझे जहां तक पता चला है उसके ट्रेनिंग सेन्टर ३,४ जगह खोले गये हैं। इस साल उसका बहुत सा रुपया लैप्स होने वाला है। समय रहते हुये ट्रेनिंग सेंटर बहुत नहीं खोले जा सकें, इसलिये मेरी राय है कि दोनों मुहकमों में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि पारसाल नैनीताल में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी, मैं भी उसका सदस्य हूं। वहां मालूम हुआ था कि ३ बिल इस साल आने वाले है, एक तो मंदिर वगैरह के संबंध में, दूसरा भिक्षावृत्ति के लिये और एक महिलाओं व अनाथलायों के संबंध में था। मेरा ख्याल है कि अगली स्टैंडिंग कमेटी फिर किसी ठंडी जगह पर बैठे, लेकिन अभी तक कोई बिल हमारे सामने नहीं आया है। सोशल वेलफेयर का काम बहुत सा समाज के जरिये हो सकता है। कुछ कानूनों के द्वारा भी हो सकता है। यह

[श्री विश्रामराय]

काम हमारे प्रदेश में कोई नया नहीं है। पहले से ही आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन वगैरह इसे करते आये हैं। अंधे-गूंगे और बहरों के बहुत से स्कूल हैं। इन संस्थाओं की जांच की जाय और जो इनमें से अच्छा कार्य कर रही हैं, उनको सहायता दी जाय, तो बहुत कार्य हो सकता है। सोशल वैलफेयर बोर्ड में अधिकांश औरतें हैं और वीमन वेलफेयर का काम दोनों ओर से चल रहा है, पहले से गवर्नमेंट की ओर से और इधर सोशल वेलफेयर बोर्ड की ओर से भी। बहुत सी संस्थाओं में अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनकी मदद जरूरी है, जैसे रामकृष्ण मिशन वगैरह हैं। बनारस के अनाथालय और महिला अनाथालय, इनमें बहुत गड़बड़ी है। हमारे देश में भिक्षुकों की संख्या बहुत अधिक है। यह हमारे समाज के लिये बड़ी चिन्ता की बात है। सन् ५१ की मर्दमशुमारी में जिन लोगों ने अपना नाम भिक्षुकों का काम करने में लिखाया था उनकी संख्या करीब २४ लाख की थी, और इसमें से उत्तर प्रदेश में १ लाख कुछ हजार है, १,४३,६९१ उत्तर प्रदेश में भिखमंगे हैं। सरकार की स्कीम में दिया हुआ है कि कुछ काम करने के लिये वर्क हाउसेज खोले जावेंगे। बहुत से भिखमंगे ऐसे हैं जो एबिल बाडीड हैं और काम कर सकते हैं। जैसे मद्रास और बम्बई में कानून बने हैं वैसे कानून बनाकर भिखमंगों को सबसे रोकना चाहिये। हमारे उत्तर प्रदेश में तीर्थ स्थान बहुत होने के कारण यहां भिखमंगों की संख्या अधिक है। ग्रामों में सोशल वेलफेयर केंद्र अधिक खोलने चाहिये। वहां पर महिलाओं को २० रुपया वजीफे के तौर पर मिलता है, इसे बढ़ाना चाहिये। तब जाकर काम अच्छा हो सकता है। अभी तक इस सरकार की ओर से जो योजनायें चालू हैं उनमें एक मुहकमा होम इकानामिक्स डिपार्टमेंट का है जिसकी प्रगति अभी तक नहीं हुई है। जब तक भिक्षावृत्ति नहीं रोकी जायगी, उनके लिये कोई काम नहीं मिलेगा, तब तक कल्याण नहीं होगा। केवल कानून बनाने से काम नहीं चलने वाला है, जनता के सहयोग की भी आवश्यकता है। अभी तक हमें ट्रेंड परसनल नहीं मिल रहे हैं। पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बड़े पैमाने पर शिक्षण शिविर खोलने चाहिये। जो अच्छी संस्थायें पहले से काम कर रहीं है उनसे मदद लेनी चाहिये और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये रुपया देना चाहिये और जनता का सहयोग लेना चाहिये। धर्मादा का बहुत ज्यादा रुपया वणिकों के यहां और औरों के पास पड़ा हुआ है। उसके संबंध में एक बिल मंत्री जी को लाना चाहिये। अगर यह काम तेजी के साथ चला और जनता का ज्यादा सहयोग लिया गया तो मेरा ख्याल है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चैरिटेबिल संस्थाओं को रुपया दे सकते हैं और बहुत सा कार्य कर सकते हैं। यदि इसमें साधू और महात्मा लोगों का सहयोग भी लिया जाय, जो अच्छा काम करते हैं, तो अधिक सफलता होगी।

श्रीमती चन्द्रवती—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत समाज कल्याण के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुयी हूं। जो कार्य इस विभाग द्वारा हो रहा है माननीय मंत्री जी ने उसका संक्षिप्त विवरण भी दिया है। चूंकि समय थोड़ा है, मैं अधिक गहराई में न जा कर, इसकी केवल एक ही शाखा को पकड़ती हूं। जैसा मंत्री जी ने कहा, सरकारी विभाग में नारी मंगल योजना का कार्य चल रहा है अपने प्रदेश में। और जैसी कि इस पुस्तिका में सूचना दी हुई है, यह कार्य ३० जिलों में हो रहा है। दूसरे एक महिला समाज बोर्ड यही काम कर रहा है जिसके द्वारा २४ जिलों में ११९ केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जैसा कि मेरा ज्ञान है, इस महिला समाज कल्याण के कार्यों के लिये केन्द्रीय बोर्ड की तरफ से ५० फीसदी अनुदान दिया जाता है और २५ फीसदी हमारी सरकार देती है और बाकी २५ फीसदी वहां की जनता द्वारा दिया जाता है जहां केन्द्र खोला जाता है। इन दोनों का काम और लक्ष्य भी एक ही है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि खर्चा करने के दो रास्ते क्यों अपनाये गये हैं। नारी मंगल योजना में भी सरकार रुपया खर्च करती है और २५ फीसदी समाज कल्याण बोर्ड के लिये देती है। जैसा कि मुझे मालूम है कि अभी भी इसके ऊपर बहुत ही रुपये के लिये केन्द्रीय बोर्ड से वादविवाद चला। मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि अगर इन दोनों को एक ही में मिलाकर चलाया जाय तो २५ फीसदी रुपया

बच सकता है। कार्य भी सुचारू रूप से चल सकता है क्योंकि जो समाज कल्याण बोर्ड की तरफ से है उनको गाड़ी वगैरह भी हैं, उपयुक्त साधन भी हैं और नारी मंगल योजना में गाड़ी न होने से इनको कार्य करने में बाधा पड़ती है। इसलिये यदि मंत्री महोदय दोनों का कार्य एक ही में कराने की प्रेरणा कर सकें तो अच्छा होगा। जब दोनों के काम मिलते जुलते हैं तो उनको दोहरा कर दोहरा खर्चा करना मेरी समझ से कोई अकलमन्दी का काम नहीं है। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी और इस विभाग के लिये सुझाव भी देना चाहती थी लेकिन क्या कहूं, क्योंकि लाल बत्ती का आदेश हो गया इसलिये और अधिक न बोल कर बैठना ही अधिक उपयुक्त होगा।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, जो मांग कि माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने पेश की है, मैं उसके लिये उनको मुबारकबाद देता हूं। वे मुबारकबाद के मुस्तहक इस वजह से भी हैं कि यह मांग सोशल वेलफेयर से ताल्लुक रखती है। इसकी मांग मुल्क और सूबे में मुद्दत से चली आती थी मगर येकुम जनवरी, सन् ५५ से उसको कायम किया गया और उस मौके पर उसका पहला बजट पेश हुआ और हमें यह मालूम है कि समाज कल्याण के लिये मौजूदा बजट में २० लाख रुपया रक्खा गया है और जो आने वाला बजट है, जिस पर आज हम गौर कर रहे हैं उसमें ४४,३५,६०० रुपये की मांग पेश की गयी है। जब हम इसको देखते हैं तो यह रकम ऐसी मालूम होती है जैसे समुद्र में एक कतरा। लेकिन जब कोई काम शुरू होता है तो इब्तदा में वह बहुत ही हंबिल तरीके से शुरू होता है लेकिन इसके मुताल्लिक दो रायें नहीं हो सकतीं कि समाज कल्याण के काम इस सूबे और इस मुल्क के लिये निहायत जरूरती हैं, इसलिये और भी यहां की जनता बहुत ही बैकवर्ड है। इस सिलसिले में मैं एक बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि समाज कल्याण का काम ऐसा है जिसको एक नान-आफिशियल ऐजेंसी के जरिये से चलाया जाना चाहिये और यह कि आफिशियल ऐजेंसी के जरिये नहीं चलना चाहिये। उन तमाम मदों को चलाने के लिये मुखतलिफ ऐजेंसीज हैं और वह उन्हीं के जरिये से होना चाहिये। जब तक किसी नानआफिशियल ऐजेंसी के जरिये इसको चलाया जाय, हमें उसको चलाना है क्योंकि हमने इस बात का अहद कर रक्खा है कि इस मुल्क में एक क्लासलेस सोसाइटी और सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी कायम करना है और वह तभी हो सकती है जब इस सूबे के लोगों में ऐसी भावना पैदा हो सके कि वे अपनी पस्ती को छोड़ सकें और यह समझ सके कि उसके लिये उसे मुखतलिफ तरीके से काम करने की जरूरत है। इस सिलसिले में बहुत से काम हैं, बहुत सी स्कीमें हैं जो समाजकल्याण के तहत में आ सकती हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दूसरे महकमें से हटा कर इसमें रक्खी जा सकती हैं जैसे प्राहीबीशन और क्रूयल्टी टू एनीमल्स वगैरा। इस मुल्क में बहुत सी चीजें हैं जिनका ताल्लुक बैगर्स और भिखमंगों से है, बहुत से ऐसे बेकार लोग हैं जिनको काम पर लगाने की जरूरत है। उसके लिये हमें जिलों और रीजन्स में बेगर हाउसेज खोलने होंगे उन्हें सोसाइटी के लिये एक कामयाब इंसान बनाना होगा। हमारे देश और सूबे में प्रोस्टीट्यूशन की भी एक बबा है जो इस सूबे में काफी फैली हुयी है। हमें इस तरफ भारी कदम उठाने की जरूरत है और अगर इस तरफ जल्द ही कोई कदम न उठाया गया तो मुल्क की बहबूदी में रुकावट होगी।

प्राहीबिशन के लिये यह मुनासिब होगा कि उसका काम सोशल वेलफेयर महकमें के तहत रक्खा जाय और उसका काम पंचायतों के जरिये से कराया जाय, क्योंकि हम उस वक्त तक इस काम में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक हम सिर्फ इस तरह के सोशल कानूनों के जरिये से इसको इसलाह करने की कोशिश करते रहेंगे। उसकी इसलाह तभी मुमकिन है जब नानआफिशियल एजेंसी के जरिये से लोगों में ऐसी भावना पैदा हो और जब तक ऐसा न हो, यह नामुमकिन है कि सोशल वेलफेयर का महकमा इस काम में सफल हो सके। मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ थोड़े से सजेशन्स दिये हैं, माननीय मंत्री जी उन को अपने सामने रखेंगे और उनको अपनी स्कीम में इनकारपोरेट करने की कोशिश करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर अब समय ३ मिनट ही एक माननीय सदस्य को दिया जाय तो दो तीन सदस्य और बोल सकेंगे, इसलिये अब अगर ३ मिनट का समय आप दें तो अच्छा होगा ।

*श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने समाज कल्याण की सात आठ मदें देखीं, वह बड़ी अच्छी चीज है और जरूरी चीज है लेकिन इस में एक मद और बढ़ाई जाय 'सदस्य कल्याण''। मैं समझता हूं कि ६करोड़ ३२लाख यहां की आबादीहै और यहां हम सदस्य लोग उस के प्रतिनिधि हैं इसलिये सब से ज्यादा जरूरी चीज यह है कि समाज कल्याण के साथ सदस्य कल्याण भी हो, पहले हमें अपना सुधार करना चाहिये और उसके बाद हम अपने २ हलकों को सुधारें। यह जो छोटी-छोटी चीजें हैं महिला समाज, बच्चों का कल्याण अनाथों का कल्याण इसके लिये जो हम दे सकें, दें और दूसरी मदों में से कम करके, दें क्योंकि गरीबों की सहायता अनाथों की सहायता बहुत आवश्यक है । लेकिन मैंने देखा कि ११ लाख ७७ हजार रुपया तो नौकरों के लिये ही रख दिया गया है और जो जनता के कल्याण में बाकई लगेगा, वह केवल ८ लाख ४७ हजार ही है और कुल बजट ४४ लाख ३५ हजार का है तो चौथाई हिस्सा तो नौकर ही खा गये और बाकी इमारतें भी बनेंगी और दूसरी चीजें भी होंगी, खिलाया पिलाया भी जायगा । अगर महकमे को इकजाई कर लिया जाय, तो यह जो नौकरों की फौज की फौज पर खर्च बढ़ा रखा है वह भी कम हो जाय । तो सबसे पहले समाज कल्याण हो और सदस्यगण भी अपना पहले सुधार करें और गरीबों को जितना चाहें दें, चाहे और कर्ज ले कर दें ।

श्री रणंजयसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के सम्बन्ध में किसी का मतभेद नहीं हो सकता और वह हमारे यहां अत्यन्त आवश्यक है । इतना सुझाव मैं थोड़े से शब्दों में अवश्य देना चाहता हूं कि इस दिशा में जितने भी कार्य किये जायें वह बहुत सोच समझकर किये जायं। बहुत से लोग इसलिये ही दौड़ पड़ते हैं कि उनका नाम हो जाय, चाहे वह काम पूरा करें या न करें, वह चाहते हैं कि कमेटियों में रख लिये जायं और सामाजिक कार्यकर्ता नाम के लिये ही बनना चाहते हैं और काम नहीं करते हैं । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि पहले से देख लिया जाय कि वह काम भी करते हैं या नहीं या कोई पोलिटिकल कार्यकर्ता रहे हैं तब कुछ सामाजिक कार्य भी किया है या नहीं । इस के अतिरिक्त जो रुपया सरकार समाज कल्याण के लिये व्यय कर रही है उसके लिये उसको धन्यवाद है । यह समाज कल्याण का ऐसा विषय है कि इसके लिये ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिये कि जो स्वयं सच्चे सुधारक बन कर निष्पक्ष भाव से काम करें । जो संस्थायें हैं वहां पर भी आदेश भेजे जायं और देखा जाय कि कहां-कहां पर सच्चे मन से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और जैसा कि माननीय विश्राम राय जी ने कहा कि जो आर्य समाज आदि संस्थायें हैं या दूसरे क्षेत्रों के बड़े-बड़े अनुभवी कार्यकर्ता हैं, उनको विशेषता दी जाय और रखा जाय लेकिन जो वास्तव में समाज कल्याण में काम नहीं करते हैं उनको क्षणमात्र के लिये भी न रखा जाय । इस पर हमें विचार करना चाहिये । जब मैं सेंट्रल असेम्बली में था तो वहां एक सदस्य मि० प्राइस थे, उन्होंने शारदा बिल पर कहा था कि सब से बड़ी आवश्यकता यहां पर समाज कल्याण या समाज सुधार की है लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते । हमारे देश में जहां अनेक बुराइयां हैं वह अधिकतर सामाजिक कुरीतियों के कारण हैं और समाज कल्याण होने से यहां हर प्रकार का सुधार हो सकता है । अगर वह कुरीतियां दूर हो जायं, तो वास्तव में समाज सुधार हो सकता है । केवल इन शब्दों के साथ कि सच्चाई के साथ ठोस काम हो, मैं अपना सुझाव माननीय मंत्री जी की सेवा में श्रीमान् द्वारा प्रस्तुत करूंगा कि और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान दे कर ऐसा आदेश देंगे कि जहां भी जो कार्य हो वह सच्चाई के साथ हो, सच्चाई में अगर कमी हुयी तो यह जितना विभाग है संभवत: पूर्ण सफलता न प्राप्त कर सकेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो समाज कल्याण के बजट के ऊपर अभी बहस हुयी मैंने अपने विरोधी दल के भाइयों के भाषण को तथा इस तरफ बैठने वाले भाइयों के भाषण को ध्यान से सुना। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मैंने अपने एक भाई के भाषण को जब सुना तो उन्होंने बिना सोचे हुये, बिना विचार किये हुये कह दिया कि नारी मंगल योजना और सोशल वेलफेयर बोर्ड में कहीं आपस में क्लेश आता है। मैं तो इतना ही कह सकती हूं कि मेरे इस भाई को नारी मंगल योजना के विषय में और सोशल वेलफेयर के विषय में पूरी जानकारी नहीं हुयी, इसके सिवा मैं कुछ नहीं समझ सकी क्योंकि जब से सोशल वेलफेयर बोर्ड स्टेट के अन्दर कायम हुआ या जब से नारी मंगल योजना इस प्रदेश में कार्य कर रही है, कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया और न मेरे विचार में कभी आगे आयेगा क्योंकि हमारा प्रदेश इतना बड़ा है कि एक तरफ से नहीं अगर चारों ओर से भी समाज कल्याण की योजनायें चालू हो जायं और हम सब भाई बहन मिल कर उन योजनाओं को सफल बनाने का प्रयत्न करें, तब भी हमें दसियों वर्ष लगेंगे या बीसियों वर्ष लगेंगे। हम इतने पिछड़े हुये हैं कि हमारे अपने प्रदेश को, क्या स्त्रियों को और क्या पुरुषों और बच्चों को उठाने के लिये समय की आवश्यकता है, तो यह प्रश्न तो कहीं उठता नहीं कि नारी मंगल योजना या स्टेट वेलफेयर बोर्ड में कहीं भी क्लेश हो। हां, इतना जरूर निवेदन करना चाहती हूं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कि हमारे प्रदेश में स्त्री जाति इतनी पिछड़ी हुयी है। स्त्री जाति के उत्थान के लिये, अपने बच्चों के उत्थान के लिये अगर ज्यादा से ज्यादा धन व्यय किया जायगा तो प्रदेश का कल्याण होगा। नारी मंगल योजना भी स्त्री जाति को ऊपर उठाने के लिये, उनमें शिक्षा का प्रसार करने के लिये और बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है। मेरे भाई ने यह भी कहा कि स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड के अन्दर स्त्रियां ही काम कर रही हैं। यहां भी मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि कुछ हद तक उन्होंने सही ही कहा, क्योंकि स्त्रियां ही स्त्रियों के अन्दर ऐसा काम कर रही हैं और यह स्त्रियों के उत्थान के लिये, बालकों के उत्थान के लिये, मैंने पहले भी जब यहां शिक्षा के बजट पर विचार हो रहा था, तो यह कहने की चेष्टा की थी कि प्राइमरी शिक्षा को अगर स्त्री जाति के हाथ में दे दिया जाय तो बच्चों का सुधार जल्दी और अच्छा हो सकता है। मेरा आज भी इसमें विश्वास है कि बालपन की शिक्षा, अगर स्त्रियों द्वारा उन बच्चों को दी जाय तो, बच्चों का कल्याण हो सकता है क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि स्त्रियां बच्चों को जल्दी शिक्षित कर सकती हैं। हमारे प्रदेश की तो यह बदकिस्मती है कि यहां स्त्री जाति ही पिछड़ी हुयी है। मुझे मदरास और बम्बई दूसरे सूबों में भी जानकारी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उन प्रदेशों की बहिनों का काम जब देखती हूं तो मुझे यह देख कर दुख होता है कि इस प्रदेश में रहने वाली स्त्रियां कितनी पिछड़ी हुयी हैं। इसलिये आज इस बजट पर जो बहस हो रही है मुझको यह कहते हुये दुख हो रहा है कि मेरी सरकार ने इस समाज कल्याण के लिये जो रकम दी है वह बहुत थोड़ी है। हमारा इतना बड़ा प्रान्त है, इतने हम पिछड़े हुये हैं लेकिन यह बजट जो आज हमारे सामने उपस्थित है यह इतना कम है कि माननीय मंत्री जी अगर भरसक प्रयत्न भी करेंगे तो इसमें बहुत कामयाबी होने वाली नहीं, क्योंकि पैसे की बहुत कमी है। मैं नम्रता से अपने मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहती हूं कि स्टेटसोशल वेलफेयर में अधिकसे अधिक धन अगर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जायगा तो स्टेट सोशल वेलफेयर को पचास फीसदी रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट की मारफत सेंट्रल सोशल वेलफेयर से प्राप्त हो जायगा और सिर्फ २५ फीसदी हमारा स्टेट गवर्नमेंट का अपने हिस्से का देना पड़ेगा। अगर पचास फीसदी हम सेंट्रल सोशल वेलफेयर से अपने प्रदेश में ला सकें, अपने प्रदेश के लिये ला सकें, तो उससे हम चार गुना ज्यादा काम कर सकेंगे जितना कि धन आज स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इन शब्दों के साथ मैं अपने मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देती हूं कि इस थोड़े से बजट के अन्दर भी उन्होंने जो नकशा हमारे सामने खींच करके रखा है, उस नकशे को देखते हुये हमें यह विश्वास है और आशा होती है कि हम अपने प्रदेश का कुछ न कुछ कल्याण कर पायेंगे।

श्री विश्रामराय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

[श्री विश्रामराय]

श्रीमती प्रकाशवती जी ने जो कहा, मुझे जानकारी नहीं तो मैंने जहां तक जानकारी की, जरूर कुछ गड़बड़ी है और उसे दुरुस्त करना चाहिये। और जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं है, तो अच्छा है। लेकिन स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड का जो काम है वह अलग से होना चाहिये और जिन जिलों में काम नहीं है वहां भी काम होना चाहिये। दूसरे जो माननीय सुल्तान आलम खां ने कहा कि नशा निषेध का काम भी इसके अन्दर आना चाहिये। मेरा तो यह सुझाव है कि हरिजन कल्याण का जो काम है वह भी इस मुहकमे के अन्दर आजाय तो अच्छा है। श्री रणंजय सिंह जी ने जो सामाजिक कुरीतियों की बात कही, इसके लिए भी ध्यान देना चाहिये और समाज सुधार का काम नानआफिशियल एजेंसियों के द्वारा होना चाहिये और जो ग्रान्ट दी गयी है वह कम है, अधिक ग्रान्ट देनी चाहिये।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जो लोग दरिद्र हैं उनको केवल १०० रुपया का अनुदान दिया गया है। ऐसे बहुत से लोग हमारे प्रदेश में हैं जो दरिद्रता और भूख से मर रहे हैं, उनकी अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिये और गवर्नमेंट का जिन बिलों की ओर ध्यान दिलाया गया है उनको शीघ्र ले आना चाहिये ताकि काम आसानी से चल सके। सबसे बड़ी कमी ट्रेंड परसनल की है। इसके लिये नानआफिशियल एजेंसियां जो संस्थायें बहुत दिनों से काम कर रही हैं सेवा के क्षेत्र में, जिनको अनुभव है, उनसे काम लेना चाहिए, उनसे मदद लेनी चाहिये, तब यह काम हो सकता है। सिर्फ अफसरों के जरिये यह काम होने वाला नहीं है। मुझे इतना ही कहना है।

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का बहुत कृतज्ञ हूं जिन्होंने कुछ सुझाव ऐसे रखे हैं जिनको मैं कोशिश करूंगा कि उनको कार्यान्वित कर सकूं, जहां तक वह मेरे अधिकार के अन्दर हों। अन्य माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान कुछ ऐसी बातों की ओर दिलाया जिसके बारे में मुझे कुछ उनको उत्तर देना बहुत जरूरी है। सोशल वेलफेयर बोर्ड और हमारे विभाग की तरफ से जो कार्य रहा है उसके बारे में कुछ गलत फहमियां हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी आज्ञा से उनको दूरकर दूं। नारी मंगल योजना जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से गांवों में चल रही है उसका कार्य क्षेत्र अलग है। और जो योजना सोशल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से चल रही है उसका दूसरा क्षेत्र है। दोनों के संघर्ष का प्रश्न उठता ही नहीं है। जैसा कि बहन प्रकाशवती सूद जी ने और दूसरे मा० सदस्यों ने कहा है हमारा प्रदेश इतना बड़ा है, और जिले इतने बड़े-बड़े हैं, कि पांच-पांच केन्द्र, २०, २० संस्थाओं के खोल दिये जायं और वह प्रदेश में कार्य करें तब भी कम होगा। इसलिये यह दोनों काम तो एक ही तरह के हैं, लेकिन उनके अलग-अलग क्षेत्र हैं। जहां तक यह सुझाव है कि दोनों मिल करके या वह जो कार्य कर रहे सोशल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से वह सरकार अपने हाथ में ले ले तो उसमें हमें ही नुकसान है क्योंकि हमें केवल २५ फीसदी रुपया खर्च करना पड़ता है। यदि हम अपने हाथ में ले लेंगे तो फिर हमको सेंट परसेंट खर्चा अपनी ही तरफ से बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जो सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड से ५० फीसदी मिलता है वह नहीं मिलेगा। जैसा मैंने भाषण में कहा था कि सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से न केवल हमें मिलता है बल्कि अन्य संस्थाओं को करीबन ५० लाख रुपया इस साल भी अनुदान के रूप में वह देगा, तो उनसे हमें वंचित हो जायेंगे। यह हमारे लिये अच्छी बात नहीं होगी कि हम उसे बन्द करके अपने हाथ में ले लें। जो कमेटी सोशल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से बनी है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से नामजद मेम्बर ५ हैं और केन्द्र के बोर्ड की तरफ से ५ हैं। तो इसलिये मैं समझता हूं कि जो कार्य हो रहा है उसमें कोई ऐसी दिक्कत हमारे सामने है जिसकी वजह से हमें यह कोशिश करने की जरूरत पड़े कि हम दोनों मिल जायं। यह जरूर है। दोनों और भी ज्यादा नजदीक आ सकते हैं।

बिश्रामराय जी ने कानून के बारे में कहा। दो बिल्स इसी वर्ष विधान सभा में इन्ट्रोड्यूस हो गये हैं और कई के बारे में विचार हो रहा है। बँगर्स बिल के बारे में और चौथे के बारे में सुझाव दिया है यद्यपि वह शक्ल में नहीं आया है कि कैबिनट विचार कर सके। लेकिन उसके बारे में विधान परिषद् में कहा था कि इस तरह का विधान बनाने की कोशिश करेंगे, यानी धर्मादयों को कैसे ज्यादा उपयोगी समाज के लिये किया जाय, वह हो रहा है।

तीसरे गैरसरकारी संस्था द्वारा काम करने की बात है, यानी उनके द्वारा जो अभी तक काम करती आ रही है उनको प्रोत्साहन देना। मैंने शुरू ही में यह कहा कि हमारी नीति यह है कि ज्यादा काम उन्हीं संस्थाओं द्वारा कराये और मैं समझता हूं कि समाज कल्याण हमारा तभी कामयाब होगा जब उन संस्थाओं को मजबूत बना करके जनता के सहयोग से उस काम को कर सकें। और जैसा मैंने बताया हमने अनुदान में कुछ रुपया ऐसी संस्थाओं को देने का निश्चय किया है, इस साल दिया भी है और हम चाहते हैं कि ऐसी संस्थायें और उठ खड़ी होंगी जो इस काम को करें। मैं फिर धन्यवाद देता हूं सदस्यों को उनके सुझावों के लिये और आशा करता हूं कि इस अनुदान को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०--समाज कल्याण (लेखा शीर्षक ५७--विविध) के अन्तर्गत १ रु० की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०--समाज कल्याण (लेखा शीर्षक ५७--विविध) के अन्तर्गत ४४,३५,६०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३--लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी

मातक्कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफ़ारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी (लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी) के अन्तर्गत १,०८,४१,४०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस मांग के सिलसिले में सदन का ज्यादा समय नहीं लेना है। सब से पहली बात यह है कि १,०८,४१,४०० रु० जो इस मांग में रखा गया है इसमें ८० लाख रुपया पावर अलकोहल की खरीद के लिये और ४ लाख ११ हजार ९०० सौ रुपया अफीम की खरीद के लिये रखा गया है। तो इस तरह से यह ८४ लाख रुपया जो है वह बाद में फिर वापस आ जायगा। इसके अलावा जहां तक कि इसमें आमदनी का प्रश्न है वह आमदनी सन् १९५४-५५ में ५ करोड़ ५८ लाख थी जो कि अगले वर्ष ५ करोड़ १६ लाख रह गई और आगामी वर्ष में वह ४ करोड़ ९३ लाख रह जाती है। जहां तक इस विभाग की पालिसी का, इस विभाग के उद्देश्य का, इसके लक्ष्य का सवाल है वह साफ जाहिर है। शुरू से, जिस वक्त से कि कांग्रेस ने जिम्मेदारी अपने हाथ में ली, उस वक्त से टेम्परेंस और प्राहीबीशन जैसा कि हमारे संविधान में भी दिया है, उस की हमारी एक पालिसी रही है और इसी पालिसी के मातहत शुरू से लेकर अब तक हम काम कर रहे हैं। हमने ११ जिलों के अन्दर प्राहीबीशन किया है और तीन चार और तीर्थ स्थान हैं जहां पर कि प्राहीबीशन किया गया है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर जहां कि प्राहीबीशन नहीं है वहां पर भी जहां मुनासिब समझा गया, जहां जरूरत समझी गयी वहां दुकानों की तादाद कम की गई। अगले वर्ष पूरे सूबे भर के अन्दर हमारे यहां गांजे का प्राहीबीशन होने जा रहा है, हम सारे सूबे में गांजे का प्राहीबीशन करने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ जहां तक अफीम का प्रश्न है जैसा कि मैंने पिछले वर्ष सदन में कहा था कि हम इस वर्ष

[श्री गिरधारी लाल]

अफीम के जितने ऐडिक्टेड हैं, जो उसको इस्तेमाल करने के आदी हैं, उनका हम इस वर्ष में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो बहुत हद तक उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और अगले वर्ष में हम सिर्फ उन्हीं को जो कि अफीम के ऐडिक्ट हैं और जिन्होंने अपने को रजिस्टर्ड करवा लिया है और जिनके पास कार्ड है उन्हीं को अगले वर्ष अफीम मिला करेगी। इस तरीके से इन दोनों मदों के अन्दर काफी आय की कमी होगी। जहां तक अफीम की बात है इस वर्ष अफीम का बहुत काफी खर्चा हमारे सूबे में गिरा है। इसका खर्च ८,००० सेर था जो कि अगले वर्ष हमें उम्मीद है कि छः हजार ही रह जायगा और वह इस तरह से ५९ तक हमारे पूरे प्रान्त के अन्दर मुकम्मिल तौर से इसका प्राहीबीशन हो जायगा। जहां तक गांजे की बात है इसमें भी सन् १९४७-४८ में इस मद से सरकार को करीब ८०, ८५ लाख सालाना आमदनी थी जो कि अहिस्ता अहिस्ता करीब २० लाख रह गयी है और अब आगे को वह और भी कम हो जायगी। प्राहीबीशन के सिलसिले में मुझे यह भी बतलाना है कि प्राहीबीशन को सफल बनाने के लिये उसके जो नियम हैं उनको लागू करने के लिये कुछ स्टाफ की भी जरूरत है। अभी तक प्रान्त के अन्दर दो एक्वाड काम कर रहे थे, एक मुरादाबाद में और दूसरा गोरखपुर में। तो जब कि पूरे सूबे में गांजे का प्राहीबीशन हो रहा है तो हमें उसके लिये स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। और खास तौर से बार्डर के स्थानों पर हमें एक्साइज इंस्पेक्टर की या और इस तरह के स्टाफ की जरूरत पड़ेगी जो कि किसी भी प्राकार की स्मगलिंग को सूबे के अन्दर न होने दें। इसके लिये माननीय सदस्य देखेंगे कि तीन स्वाकड्स और मांगे गए हैं और एक असिस्टेंट कमिश्नर और मांगा गया है। इन बातों के अलावा जैसा कि हमेंशा से कहा गया है कि प्राहीबीशन के लिये सिर्फ एक डिटेक्शन का ही काम काफी नहीं है। इसके लिये शिक्षा की, प्रचार की, एजूकेशन की और एक काफी इस प्रकार से जनमत को बदलने की, उनके अन्दर नशीली वस्तुओं के प्रति विरोध उत्पन्न करने की जरूरत होती है, तभी जाकर इसमें ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हो सकती है। तो इसके लिये हमेशा प्रचार की तरफ सरकार का ध्यान रहा है। अभी तक यह अनुभव किया गया था कि इस काम के लिये धन कम है तो इस खयाल से इस मद के अन्दर भी कुछ धन बढ़ाया गया है और भी जो बहुत सी कमियां थीं, उन कमियों को दूर किया गया है। एक खास प्रश्न हमेशा उठा करता था कि जहां पर प्राहीबीशन है वहां पर टिंचर-जिंजर और रेक्टिफाइट स्प्रिट इत्यादि का इस्तेमाल हुआ करता है। तो और स्थानों पर भी जहां प्राहीबीशन नहीं है वहां भी इन चीजों का इस्तेमाल होता था। इसके लिए विभाग ने कुछ विशेष नियम बनाये हैं जिनके मातहत आइन्दा डाक्टर्स सिर्फ नुस्खे में ही टिंचर, जिंजर वगैरह का इस्तेमाल लिख सकते हैं और केन्द्रीय सरकार ने भी कुछ इस प्रकार के ऐक्ट्स बनाये हैं जो कि ड्राई प्रदेश में जहां पर कि प्राहीबीशन है, वहीं के लिये वह इस्तेमाल किये जायेंगे। हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह लिखा है कि हमारे ११ जिलों के अन्दर जहां जहां प्राहीबीशन है वहां उनके जो नियम है वह लागू किये जायं। हमें उम्मीद है कि इन दोनों नियमों से जो अभी तक इस बात की बराबर शिकायत आया करती थी कि टिंचर-जिंजर या रेक्टीफाइड सिप्रिट का इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, वैसी शिकायत अब नहीं आयेगी और यदि आयेगी तो बहुत कम आयेगी।

इसके अलावा मुझे एक बात एक्साइज विभाग के विषय में और पावर अल्कोहल के बारे में कहनी है। हमारे प्रांत के अन्दर थोड़े दिन हुये आपने एक बिल यहां पर पास किया "मोलेसेज" के सिलसिले में और उसका खास संबंध पावर अल्कोहल से था। पावर अल्कोहल हमारे प्रांत की एक विशेष इंडस्ट्री रही है और सूबे के अन्दर १२ डिस्टलरीज हैं जो कि पावर अल्कोहल पैदा करती हैं। सन् ५४-५५ में करीब ६२ लाख गैलन पावर अल्कोहल के पैदा किये गये जो कि मिक्चर के रूप में पैट्रोल के साथ पूरे सूबे के अन्दर इस्तेमाल किये गये। साथ ही साथ पेप्सू, हिमाचल प्रदेश, देहली और पंजाब प्रांत के अन्दर भी उस मिक्चर का इस्तेमाल

किया गया है। यह जानकर सदन को खुशी होगी कि इस साल मंसूरपुर, जिला सहारनपुर में एक डिस्टलरी केंद्रीय सरकार की अनुमति से खुलने जा रही है और इस तरह से पावर अल्कोहल, हमारे देश की एक बहुत विशेष इंडस्ट्री, दिन पर दिन तरक्की करती चली जा रही है।

इन बातों के साथ मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा और प्रार्थना करूंगा कि वह इस मांग को स्वीकार करे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान के अधीन एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस साल यह अनुदान होली के दिनों में आया है। वैसे तो माननीय मंत्री जी ने बहुत सी बातें इसमें बता ही दी है और मैं यह भी समझता हूं कि सारा देश आज प्रोहिबीशन के लिये कुछ कमिटड सा है। किस स्टेज पर वह करे, इसी पर हमारी प्रदेशीय सरकार आज विचार कर रही है। मैं बहुत ज्यादा उस पर टीका टिप्पाणी न करते हुये, क्योंकि मैं समझता हूं कि कुछ दिक्कतें हो सकती है, पर फिर भी कुछ सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। एक तो एक्साइज ऐक्ट में कुछ रिफार्म्स होने चाहिये। दूसरे अध्यक्ष महोदय, हमारे आज बाजारों और शहरों में मिलिटरी रम बहुत बिकता है। उसमें कोई ड्यूटीज नहीं पड़ती हैं इसलिए हमारी सरकार की आमदनी बहुत कम हो गयी है। एक तरफ अध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूं कि कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम आ रहे हैं। इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया नहीं, शायद बताने की कृपा करें तो अच्छा होगा।

इसके अतिरिक्त कानपुर वगैरह में जो हमारा प्रोहिबीशन है, यह तो कोई बात ठीक नहीं हुई कि कानपुर के होटलों में आज खुले हुये शराब बिक रही है। और काफी होटलों में बिक रही है। और जहां रोक है वहां इल्लिसिट डिस्टीलरीज कायम होती जाती हैं। हमारे श्रीनाथ जी ने ताड़ी के किस्से सुनाये थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उस पर अवश्य विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक खास बात लेकर आपके पास आया हूं। मेरे बहुत से दोस्त और इस प्रदेश के बहुत से रहने वाले लोग मुझसे कहते हैं कि आप लोग असेम्बली के अन्दर हमेशा यह कहा करते हो कि प्राहिबिशन हो आप भले ही प्राहिबिशन कर लें लेकिन उनका कहना यह है कि उनका कहना भी इस सदन के सामने अवश्य रखा जाय जो लोग पीना चाहते हैं और उनका हक है तो किससे कहें। एक बात अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझसे कही है कि आप हमारी बात को सदन के सामने रखें तो इसका निर्णय सदन के ऊपर न छोड़ें बल्कि इसका फैसला माननीय अध्यक्ष महोदय के ऊपर छोड़ दें और वे इसका फैसला कर दें। अब अध्यक्ष महोदय, अगर प्राहिबिशन किया जाय तो हमारे माननीय कमलापति जी बैठे हैं और हमारे बेंचनराम जी बनारस वाले लोगों की भंग, ठंडई वगैरः बन्द हो गई तो क्या होगा? अब अध्यक्ष महोदय, यह चीज ऐसी है कि हर एक का दिल हमको रखना है। तो उन लोगों ने मुझसे कहा है कि उनकी कहीं हुई बातों को बड़ी सुन्दरता के साथ रख दूं। मैं रखूंगा, चाहे पैसा कुछ नहीं दिया हो उन्होंने, लेकिन क्या कहते हैं वह कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि इसको कविता के रूप में रख दो, तो ज्यादा अच्छा होगा। उनका कहना यह है कि हम समाज सेवक है, साम्यवाद हम में हैं, छुआछूत का झगड़ा नहीं है, हिन्दू मुसलमान का मेल हममें है। शुरू से लेकर अंतिम क्रिया तक उसके गुण क्या हैं, यह मैं चन्द शब्दों में रखना चाहता हूं। फैसला आपके ऊपर है।

श्री अध्यक्ष---थोड़ी सी कविता की कड़ियां हों, एकाध तो आप सुना दीजिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैं थोड़ी सी कविता पढ़ूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैं उसके लिये इजाजत नहीं दूंगा। मैं समझता हूं कि यद्यपि होली करीब है लेकिन अभी जली नहीं है। इसलिये उसके पहले आप जरा सीरियस ही रहें तो अच्छा हो।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---कोई भद्दी बात नहीं होगी। और अगर कोई भद्दी बात हो तो आप रोक दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष---मैं कविता पढ़ने के लिये इजाजत नहीं दूंगा। एकाध कड़ी हो तो पढ़कर सुना दें, लेकिन यदि आप पूरी कविता सुनाना चाहें तो वह नहीं हो सकता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अच्छा थोड़ा सा ही सही। हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये वह कहते हैं---

"मुसलमान और हिन्दू हैं दो, एक मगर उनका प्याला।
एक मगर उनकी मदिरालय, एक मगर उनकी हाला।
दोनों रहते एक न जब तक, मसजिद मंदिर में जाते।
लड़वाते हैं मसजिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला।।"

और मरते वक्त जो वह कहते हैं वह भी सुन लीजिये, बस।

"मेरे शव पर वह रोये हो, जिसके आंसू में हाला।
आह भरे वह जो हो सुरभित, मदिरा पीकर मतवाला।
दें मुझको वे कंधा, जिनके पद मद डग मग होते हों,
और जलूं उस ठौर जहां पर, कभी रही हो मधुशाला।"

इस तरह से वह अध्यक्ष महोदय, यह समझते हैं कि सारे संसार की चीजें इसी में हैं। वैसे यह न समझा जाय कि मुझे उनकी बात का कोई शौक है। यह बात बिल्कुल गलत होगी। मैं फिर भी उन लोगों की तरफ से जो उनकी भावना है वह कहता हूं, कि वे कहते हैं कि चाहे कम्प्लीट प्राहिबिशन हो हम नहीं छोड़ने के हैं और अवश्य पियेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, अब इस बात पर विचार करना है कि आखिर हमारे प्रदेश में जो यह प्राहिबिशन चल रहा है अगर हमें सचमुच उसको करना है तो हमें सारे प्रदेश के अन्दर एक साथ कर देना चाहिये, यह नहीं कि एक जिले में अब हो और एक जिले में बाद को। हम शिकायत सुनते हैं, कानपुर से लोग लखनऊ आकर शराब पीते हैं और शाम को लौट जाते हैं और यह भी सुना जाता है कि लोग टायर और ट्यूब में भरकर ले जाते हैं ताकि वे पकड़े न जावें। मैं माननीय मंत्री जी की बहुत कद्र करता हूं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी की नोटिस में कोई इंडिविजुअल केसेज आवेंगे जैसे वे हमेशा तैयार हो जाते हैं और जैसे ही कम्प्लेंट्स उनके पास पहुंचती हैं वैसे ही एकदम वे विचार करने के लिये तैयार हो जाते हैं वैसे ही इन केसेज को भी देखेंगे। हमसे पूछते हैं, हम शिकायत बतायें तो उसे दूर करने के लिये तैयार होते हैं। तो मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय मंत्री जी के विभाग में अगर ऐसी कोई खराबियां हैं तो वह उन्हें अवश्य दूर करेंगे। वैसे तो सारे प्रदेश का मामला है, मंत्री जी कितना ही चाहें, खराबियों को रोकने की जिम्मेदारी तो हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी है और वही उसको रोक सकते हैं, मंत्री जी तो जरा इशारा ही कर सकते हैं। इसलिये मैंने दोनों का पक्ष आपके सामने रख दिया, अध्यक्ष महोदय। लेकिन जितनी अच्छी तरह से केस आपके सामने मैं रखना चाहता था, यह बदकिस्मती है विधान सभा है, प्रोसीडिंग में लिखा जाता है, इसलिये शायद मैं रख नहीं सका। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि उन लोगों को तसल्ली होगी कि आज कोई हमारी भी दास्तान कहने वाला इस सदन के अन्दर है। बाकी इसका फैसला तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं कि यह अंतिम बजट है और शायद यह अंतिम स्पीच होगी मौजूदा गवर्नमेंट की, हम लोगों की। सन् ५७ के एलेक्शन के बाद जो जीता जागता आयेगा, वह फिर बोलेगा। यह बड़ा

सुन्दर विषय आज प्रस्तुत है इस सदन के अन्दर। मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह होली का समय है, वाकई जनून का वक्त आ गया। उपाध्याय जी नें एक शेर पढ़ी मैंने भी एक शेर लिख रखी है। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उसे पढ़ दूंगा। लेकिन अभी नहीं पढ़ूंगा, उसका सबस्टैन्स कह कर पढ़ूंगा। शराब पर सरकार ने टैक्स लगाया, लेकिन उसका पीना बन्द नहीं है। इसलिये सरकार अपनी आमदनी का नुक्सान क्यों करती है? सरकार को करोड़ों रुपये की आमदनी हर साल इससे होती थी लेकिन आज भी लोग चोरी-चोरी पी रहे हैं। अगर देश का मारल स्टैंडर्ड ऊंचा नहीं उठा तो ऐसे कानून से कोई फायदा नहीं। एक शेर है, जिसमें शराब पीने वाले ने बताया कि खुदा कहां नहीं है:

जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर,
या वह जगह बता जहां पर खुदा नहीं।

यानी खुदा हर जगह है। उससे हमें डरना चाहिये और शराब नहीं पीना चाहिये। आज पैसे वाले शराब पीते हैं। हमारे बड़े-बड़े लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि हरिजन शराब पीते हैं। अरे, हरिजनों के पास खाने तक को तो पैसा है नहीं, शराब कहां से पियेंगे? मैं बस्ती की ही बात माननीय मंत्री जी को नोटिस में लाना चाहता हूं। वहां एक गरीब पासी है, मगर उसको दूकान नहीं मिल रही है। इंस्पेक्टर लोग बड़े-बड़े लोगों से पैसा लेकर उन्हीं को दे देते हैं। नौकरियों में भी हम लोगों को वह परसेंटेज नहीं मिलता है और जो बिजनेस था वह भी छीना जा रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बजाय इस कानून के पीने दीजिये। कम से कम आमदनी तो सरकार की नहीं घटेगी और इससे जो पैसा आयेगा उसको सरकार देश के उत्थान के कामों में लगा सकती है, हमारा एजुकेशन फ्री हो सकता है। मैं सरकार से एक बात और कहना चाहता हूं कि या तो आप एक दम बन्द कर दीजिये या फिर खोल दीजिये। यह धीरे-धीरे वाली चाल ठीक नहीं है। कहीं आप गांजा बन्द कर रहे हैं। कहीं अफीम बन्द कर रहे हैं। यह कोई अमृत की धारा तो है नहीं। एक दम क्यों नहीं बन्द कर देते? इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा इन चीजों को एकदम बन्द करना चाहिये।

*श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में उपस्थित इस अनुदान का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और हार्दिक धन्यवाद तब दूंगा जब हमारे प्रदेश में पूर्ण रूप से नशाबन्दी वह करेंगे। समाज सुधार की बात इसमें है। समाज बनता है व्यक्ति से और व्यक्ति बनता है गुणों से और गुण मिलता है अच्छी संगत से। अगर हमारे समाज में इस कुप्रथा को बन्द नहीं किया गया तो मैं पूछना चाहता हूं कि:

को न कुसंगति पाय नसाई,
को न सुसंगत बड़प्पन पावा।

बुरी संगत में बैठ कर किसका नाश नहीं हुआ और अच्छी संगत में बैठकर कर किसने आदर नहीं पाया। समाज में जबतक इस प्रकार की कुप्रथा रहेगी और हम चाहें कि समाज बने, तो त्रिकाल में असंभव है। रामचरित मानस में लिखा है कि:

"दुई न होय एक संग भुवालू, हंसब ठठाउब फुलाऊब गालू।"

चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे सरकार हो और चाहे कोई समाज हो, अगर वह निर्लेप और निर्लोभ होकर काम नहीं करेगा तो कामयाब नहीं हो सकता है। सरकार एक ओर इसको छोड़ना भी नहीं चाहती है और दूसरी यह भी चाहती है कि समाज बन जाये, तो दोनों चीजें

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उमाशंकर मिश्र]

एक साथ कैसे हो सकती है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह लोभ की इस मात्रा को छोड़कर इस कुप्रथा को अपने प्रदेश से जड़ से मिटाने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय यह नीति है कि:—

"लोभी जश चाहे चार गुमानी, नभ दुहि दूध चाहत यह प्राणी"

यानी श्रीमन्, आकाश को दुहकर दूध चाहा जाय अगर इस प्रकार से कोई कार्य किया जाय तो कहां तक सफलता मिल सकती है। मैं देखता हूं कि इस प्रदेश में एक तरफ तो शराबबन्दी की जाती है और दूसरी तरफ सरकारी दुकानें खुली हुई हैं और लोग कच्ची शराब इस्तेमाल करते हैं जहां पर शराबबन्दी है जिन जिलों में शराबबन्दी है वहां पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। श्रीमन्, परिस्थिति यह है कि मुझे यह बात याद आती है कि गत वर्ष भी मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। वही दशा है जैसे घाट पर पांडे लोग बैठा करते हैं और दूर से ही पुकारते हैं कि जजमान हमारे घाट चले आओ। एक तरफ तो वह कहते हैं कि शराब पीओ और दूसरी तरफ निषेध करते हैं कि कच्ची शराब का इस्तेमाल न करो। अब आप ही बताइये कि इस तरह से कैसे समाज बन सकता है। हमारा भारत वर्ष सच्चे माने में कैसे भारतवर्ष बन सकता है।

एक जमाना था जब यह हमारे चीज थी कि:—

यह भरतखंड समीप सुरसरि, थल भली संगति भली।
तेरी कुमति कायर कल्पबल्ली चाहत हैं विषफल फली।

मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे भारतवर्ष में अच्छे-अच्छे विद्वान् और महात्मा उपस्थित हैं और जिनके संकेत ही से हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, चाहता तो मैं यह था कि इस पर काफी बहस मुबाहिसा हो जाता। लेकिन समय नहीं है और मंत्री जी को भी कुछ समय देना है।

श्री अध्यक्ष—उनको भी समय नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जो कुछ मैंने यह कह दिया है उसका फैसला आप ही करें। मैं आप के ऊपर ही छोड़ता हूं।

श्री गिरधारीलाल—अध्यक्ष महोदय मैं एक बात बतलाना चाहता हूं कि यह कहा गया कि ऐक्साइज ऐक्ट में तब्दीली करने की जरूरत है तो यह सवाल सरकार के विचाराधीन है और आशा है कि शीघ्र यह सदन के सामने आयेगा और सदन इस पर विचार करेगा।

दूसरे प्रोहिबिशन के संबंध में दोनों तरफ बात कही गई। जहां तक उपाध्याय जी का संबंध है उन्होंने नशेबाजों की नुमाइन्दगी की है उसके लिये मैं उनको बधाई और धन्यबाद दोनों देता हूं और उनसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो नशेबाज हैं उनका शराब वगैरा का नशा बदलकर वह देशभक्ति का नशा, पार्टी का नशा और राजनीति के नशे को पिलाने का प्रयत्न करें। जहां तक यह कहा गया कि कंजम्पशन बढ़ गया है तो यह बड़ी मुश्किल बात है जिस समय काम कम दिखाई पड़ता है तो लोग कहते हैं कि ऐक्साइज स्टाफ शिथिल पड़ा है। जब उसमें काम करना शुरू किया और चेकिंग किया तो जाहिर है कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन कम होने लगा तो दूसरे रूप में यह चीज सामने आगई कि कंजम्पशन बढ़ गया है। इन सब बातों का मुख्तसिर में जवाब यह है कि जब से चेकिंग वगैरा होने लगा है तब से यह इल्लिसिट डिस्टिलेशन नहीं हो पाता है। कंजम्पशन ज्यादा कैसे हो सकता है जब कि हमारे मित्र उपाध्याय जी वगैरा प्रचार करते हैं और हमारे अन्य माननीय सदस्यों की भी कोशिश है कि इसका प्रचार न हो और जनता बरबादी से बचे तो यह कंजम्पशन किसी भी हालत में नहीं बढ़ सकता है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी (लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी) के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३--राज्य आबकारी (लेखा शीर्षक ८--राज्य आबकारी) के अन्तर्गत १,०८,४१,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४--लेखा शीर्षक ९--स्टाम्प

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४--स्टाम्प (लेखा शीर्षक ९--स्टाम्प) के अन्तर्गत ६,५७,६०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६--लेखा शीर्षक ११--रजिस्ट्री

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६--रजिस्ट्री (लेखा शीर्षक ११--रजिस्ट्री) के अन्तर्गत १५,०९,८०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९५६ का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५६ के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सन् १९५६ के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५६ के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५६ के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर विचार किया जाय।

मुख्तलिफ अनुदानों में जो रुपया मांगा गया है और जिनके ऊपर इस सदन के अन्दर बहस हुई, वे सब रकमें, जो मंजूर हुई हैं, वह इस बिल में रखी हुई हैं। अब इस वक्त इसकी इजाजत मांगी जा रही है कि इस कुल रुपये को कंसलिडेटेड फंड से खर्च किया जाय।

श्री अध्यक्ष--पारसाल से इसका जो तरीका रखा गया है और जो प्रथा कायम की गयी है उसके अनुसार मैं ३,४ माननीय सदस्यों को इसके ऊपर बहस करने के लिये मौका दूंगा। उनमें विरोधी दल के नेता, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सभापति, प्राक्कलन समिति के सभापति और एक दो सदस्यों को और दूंगा। जो लोग विधेयक के सिद्धांतों पर भाषण देना चाहें मुझ से पूछ लें या मेरी उनके ऊपर नजर पड़ जाय तो एक या दो सदस्यों को और मौका दूंगा।

श्री गेंदासिंह, आपके लिए १५ मिनट हैं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसा समझता था कि पिछले कई दिनों तक बहस होने के बाद आवश्यकता थी कि जिस समय यह विधेयक आवे उस समय अधिक नहीं तो थोड़ा सा विस्तार से बातें कहीं जावें। लेकिन आपने जितना समय दिया है उसमें मैं जो कुछ थोड़ी बातें निवेदन कर सकूंगा करूंगा।

इस समय हमसे १ अरब ८४ करोड़ २३ लाख ३३,५०० रूपया खर्च करने के लिये स्वीकृति मांगी जा रही है। यह प्रस्ताव पास होगा और उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी कि वह अगले वर्ष में इस रूपये को खर्च करके देश का क्या करने जा रही है। पहली बात तो यह है कि पिछले वर्षों का भी हम सपलीमेंटरी ग्रांट की शक्ल में या मुख्य बजट की शकल में रुपया सदन से स्वीकार करते है लेकिन उस रूपये का उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, इसके कितने ही उदाहरण हैं। समय के अभाव के कारण मैं उन उदाहरणों में न जाकर सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मार्च के महीने में बजट के पिछले बचे रुपये को जल्दी से जल्दी खर्च करने की आदत बहुत शीघ्र दूर होनी चाहिये। इसके कुपरिणाम सीधे हमारे सामने नहीं हैं लेकिन जिनका व्यवहारिक जीवन से सम्बन्ध में है वे बतला सकते हैं कि इस समय जिलों के लेविल पर या जहां कहीं भी रुपया मंजूर किया गया है उसे किस प्रकार से खर्च किया जा रहा है। उस रूपये का किस प्रकार से खर्च करना आवश्यक समझा जाता है चाहे कागजी डंग पर हो या कैसे भी हो, इसमें सरकार को जाना चाहिये और देखना चाहिये। यह मार्च के महीनें में रुपया खर्च करने की बीमारी, चाहें कागजी हो, केवल नीचे के स्तर पर होती तो इसका इलाज बहुत आसान था लेकिन यदि यह सेक्रेटरियट के लेविल पर हो तो इसका इलाज बहुत कठिन हो जाता है। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि यह बीमारी बहुत ऊंची गई है। यदि मुझसे कुछ प्रमाण मांगा जाय तो मैं देने के लिये तैयार हो जाऊंगा लेकिन इसके लिये आश्यकता इस बात की है कि मुझ से प्रमाण न मांग कर स्वयं वित्त मंत्री जी अपने प्रमाण बतावें कि उनके सामने कुछ आयें हैं या नहीं। इस रूपये की कम से जितना हर महीने खर्च होना चाहिये उसकी पाबन्दी करदी जाय। यदि इस पाबन्दी का पालन नहीं होता है तो उनकी जिम्मेदारी है जिनको हम जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर करोड़ों रूपया खर्च करके मेनटेन करते हैं और सारे प्रदेश के ऊपर कर का बोझ लाद कर और बड़ी-बड़ी तनख्वाहें उन लोगों को देकर उनसे हम एफीशैन्सी और आनेस्टी की आशा करते हैं। उनसे यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिये कि जो कुछ हम इस बजट में स्वीकार करते हैं यदि उसका खर्च समय से नहीं हुआ और उसका अपव्यय हुआ तो हम उसे बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं है। उसमें बहुत ही सख्ती के साथ कार्यवाही होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाऊंगा। जब हम इस बात की आशा करते हैं कि सर्विसेज बहुत ही ईमानदार हों हमारा वह क्षमता पूर्वक करें तो उसके लिये यह जरूरत हो जाती है कि हम यह देखें कि उनमें हार्टबर्निंग न हो। क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि बम्बई की सरकार ने यह कोशिश की है कि राज्य के नौकरों और केन्द्रीय सरकार के नौकर जो एक ही तरह का काम करते हैं, उनकी एक ही तरह की तनख्वाह हो। उनकी तनख्वाहों में कोई असमानता न हो, उनके मंहगाई के भत्ते में कोई असमानता न हो। मेरी सूचना अध्यक्ष महोदय, यह है कि उसने इस असम्मानता को दूर कर दिया है। बिहार की सरकार गवर्नमेंट आफ इंडिया से कई करोड़ रूपया मांग रही है कि जो राज्य के नौकर हैं और केन्द्रीय सरकार के नौकर है, जो एक ही तरह का काम करने वाले हैं, उन लोगों की तनख्वाहों और मंहगाई भत्ते में जो अन्तर है वह न रहे। यू० पी० की सरकार इस बात के लिये नहीं सोचती। यू० पी० की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार सोचे और केन्द्रीय सरकार को इस असमानता को मिटाने के लिये कहे या केन्द्रीय सरकार सोचे कि आखिर यह हार्टबर्निंग किस तरह से दूर हो सकती है और राज्य सरकार इस प्रश्न पर विचार करे ।

मैं मंत्री जी का ध्यान उस तरफ भी ले जाना चाहता हूं जहां विषमता है । इसके लिये सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसे यह विषमता दूर करनी चाहिये । बावजूद इसके कि १८–१९ दिन में इसकी कितनी बार चर्चा हुई लेकिन सरकार की ओर से उसके विषय में कोई इरादा जाहिर नहीं किया गया । जिस प्रकार सरकार ने ५४–५५ के बजट में छोटी तनख्वाह वालों की कुछ तनख्वाह बढ़ाई थी तो हमें कम से कम यह आशा तो थी ही कि वह आगे के लिये अपना इरादा बतायेगी कि वह इस सिलसिले में क्या करने जा रही है या इस वक्त के सेटअप में तनख्वाहों का वही स्तर बना रहेगा । अगर वही बना रहेगा तो इस देश में विषमता दूर करने का जो वादा सरकार ने किया है वह पूरा नहीं हो सकता । मैं विषमता का विरोधी हूं । लेकिन विषमता किस हद तक ? इस हद तक कि उसके साधन ऐसे आवश्य हों कि उसको अपना काम चलाने में मजबूरी न हो । मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि उसको इसमें अगुआ होना चाहिये । वह इस वर्ष तो अगुआ नहीं हुई लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज एप्रोप्रियेशन बिल के मौके पर इस तरह की घोषणा की जाय कि उसका इरादा क्या है तभी संतोष हो सकता है । आज भत्ते की दरों और तनख्वाह की दरों में जो अन्तर है वह बहुत ही आपत्तिजनक है । मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी यह उचित नहीं समझते । मैं पिछले कई वर्षों से यह अर्ज कर रहा हूं कि कानिस्टेबिलों को ४–६ आना भत्ता मिलता है, इसी तरह चपरासियों का भी भत्ता वाजिब नहीं है ।

इसके बाद मैं सरकार का ध्यान ला ऐन्ड आर्डर की तरफ दिलाना चाहता हूं । संयोग से माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं । मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज कई वर्ष हमें आजाद हुए हो गये और आजाद लोगों की हुकूमत होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के १ लाख ११ हजार गांवों में से हम १ लाख ११ हजार आदमी भी ऐसे नहीं निकाल पाये जिनको हम बंदूक का लाइसेंस दे सकते हों । बहुत कम गांव ऐसे होंगे जिनमें बंदूकों का लाइसेंस हो । और बंदूकों का लाइसेंस देने में कोई रोक नहीं है । सिर्फ शर्त यही है कि वह भला आदमी हो और कुछ उसकी हैसियत होनी चाहिये । अब हैसियत की बात तो आजाद हिन्दोस्तान में सोचनी नहीं चाहिये । हमारे ऊपर चारों तरफ से बादल मंढरा रहे हैं और हमारे बच्चे आज बन्दूक और पिस्तोल भी चलाना नहीं जानते । अगर गांवों में आज कोई भला आदमी नहीं है तो यह किसकी जिम्मेदारी है ? यह हुकूमत पिछले ८ वर्षों से आजाद हो कर राज्य कर रही है और इन आठ वर्षों में प्रत्येक गांव में वह एक भी ऐसा आदमी नहीं बना पायी जो उसका विश्वास पात्र हो और उसको वह बंदूक दे सके तो मैं समझूंगा कि यह जिम्मेदारी हमारी सब की है और मुख्यतः हमारी सरकार की है । कत्लों के सम्बन्ध में मैंने पहले भी जिक्र किया था और कहा जाता है कि हमारे सूबे में सब से कम कत्ल होते हैं । वह इस लिए कम होते हैं कि यहां की सरकार ज्यादा सर्तक रहती है, हमारी पुलिस ज्यादा अच्छी है और अच्छी पहरेदार और चौकस है, अगर वह ज्यादा चौकस हैं तो कत्ल ही न होने चाहिए ।

इंडस्ट्री और लेबर के सम्बन्ध में मैं एक बात की तरफ जरूर ध्यान दिलाऊंगा, इसकी बड़ी चर्चा पूरे हाउस में हुई है । जहां हम कहते हैं कि हम व्यवस्था में भी मजदूर का हाथ रखेंगे तो इसमें तो सरकार को अगुवा होना चाहिए और आज ही माननीय वित्त मंत्री जी सदन में घोषणा करें कि चुर्क में और प्रिसिजन इन्स्ट्रमेंट फैक्टरी में और रोडवेज तीनों में मजदूरों के प्रतिनिधि वहां के प्रबन्ध में रखें जायेगें । आज ही हमें उत्तर मिला कि यह तो जनता की सरकार है तो फिर स्वयं ही समझना चाहिए कि जनता की

[श्री गेंदासिंह]

सरकार में तो मजदूरों का ही हाथ है, यह बड़ी उपहासास्पद बात है। क्या वहां चुर्क के जो डायरेक्टर हैं और बड़ा ऊंचा वेतन पाने वाले हैं क्या वह समूची अक्ल के ठेकेदार हैं ? अगर वह फैक्टरी जनता की सम्पति है तो वहां का लेबर भी तो जनता ही में से है जो वहां कोयला झोंकता है और मशीने चलाता है, उनकी भी थोड़ी सी अक्ल का सरकार लाभ उठाने की कोशिश करे। आप २ करोड़ रुपया चुर्क फैक्टरी में खर्च कर रहे हैं उसके प्रबन्ध में अगर वहां के मजदूर भी कुछ राय दें सकें तो सरकार के लिए सबक देने वाला होगा और उससे इंडस्ट्री और लेबर के जो सम्बन्ध हैं वह भी सुधर सकेंगे।

इस बात का भी उत्तर नहीं दिया जा सका कि पिछले ६–७ सालों में लेबर की संख्या क्यों घटी। जब हम १ करोड़ ६६ लाख रूपया पिछली पंचवर्षीय योजना में खर्च कर चुके तो उस की संख्या यहां क्यों घटती है ? कहा जाता है कि लड़ाई के जमाने में संख्या बढ़ गई थी और आर्डनेंस फैक्टरी से लोग निकाले गए तो ऐसी बात भी होगी तो एक साल ऐसा हुआ होगा लेकिन यह जो बराबर कम होती जा रही है यह क्यों ? एक ओर तो तमाम विकास के कार्य बढ़ रहे हैं, उद्योगों में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है, समय नहीं है वर्ना मैं पेश करता दिल्ली के जो इकानामिस्ट हैं उनके फिगर्स को कि किस कदर इंडस्ट्री में मुनाफा बढ़ा है और अगर मुनाफा और प्रोडक्शन बढ़ा है तो मजदूरों की तादाद क्यों घटी ? तो इस बात को साफ करना चाहिए कि इस आने वाले जमाने में जो योजना का युग है, इस युग में अगर मजदूर को रोजी नहीं मिलती और जो मिली हुई है वह भी छिनती है, तो क्या नतीजा होगा। १ अरब ६६ करोड़ का खर्च प्रथम योजना में हो गया और दूसरी योजना भी २ अरब ४८ करोड़ की बनी है और यह जो हम १ अरब ८४ करोड़ खर्च करने जा रहे हैं उस पर भी अगर हम बेरोजगारी के मसले को हल न कर पांय तो यह बड़ी हैरत की बात है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन कर दूं कि लेबर विभाग की जो पुस्तिका बटी है वह बताती है कि पिछले ६–७ सालों में मजदूरों की तादाद जो इंडस्ट्रीज में लगे थे घटती जा रही है। आर्डिनेन्स फैक्टरी की बात तो समझ में आई। उसको मैं आपकी सेवा में भिजवा दूंगा।

एक बात और। यह जो मोटर गाड़ियों की बीमारी है इसको भी कुछ दूर करने की मैं प्रार्थना करूंगा। इस वक्त जीप और मोटरों में बहुत रूपया खर्च हो रहा है। जो कोई भी सरकारी मुलाजिम हो चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसे आज जीप जरूर चाहिये। इससे मैं समझता हूं कि देश का भविष्य कुछ ज्यादा सुधरने वाला नहीं है। इन गाड़ियों पर कुछ कंट्रोल किया जाय। इक्नामी कमेटी की भी कुछ ऐसी सम्मति है। मैं मानता हूं कि ऊपर गाड़ी चाहिये, मिनिस्टर को गाड़ी मिले लेकिन हर आदमी को गाड़ी चाहिये इसके लिये बहुत झगड़े जिलों में हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि किस तरह से उनका उपयोग हो रहा है। आपस में भी बहुत से झगड़े हैं। चुनाव अगले वर्ष आने वाला है। इस बात को अवश्य कहना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा भी की है—अच्छी परम्परा बने देश में इसके लिये आवश्यक है कि सरकारी मशीनरी का कतई उपयोग पार्टी के कामों में न होना चाहिये। हम दुर्बल और कमजोर हैं। इसको रोक न सकेंगे लेकिन मिनिस्टर साहबान को स्वयं यह काम करना चाहिये कि कतई इस चीज का प्रयोग न होने पाये और सरकारी मशीनरी का कतई किसी हालत में इस्तेमाल न होने पाये और किसी सरकारी कर्मचारी के दिमाग पर यह असर न होने पाये कि हम आपोजीशन के लोगों को तबाह करके ऊंचे उठ सकते हैं, तरक्की पा सकते हैं। अगर यह बात उनके दिमाग में आती है तो बहुत ही खतरे की बात है।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक बात कह दूं। डायरेक्टिव प्रिन्सिपल जो हमारे कांस्टीट्यूशन का है वह रहना चाहिये मिनिस्टर साहब के दरवाजे के सामने ताकि रोज सुबह वह उस डायरेक्टिव प्रिसिन्पल को देख लिया करें। मैं समझता हूं कि इससे बहुत काम बन

जाय अगर देखे कि कहां दस वर्षों में एजूकेशन फ्री एंड कम्पलसरी होने जा रही है, कहां सबको रोटी देने जा रहे हैं, सबको एम्पलायमेंट देने जा रहे हैं। इस डायरेक्टिव प्रिन्सिपल को हमें रोज दोहराना चाहिये और उसका पाठ करना चाहिये।

अन्त में यह कहूं कि देश में छुआछूत की जो बीमारी है वह आर्थिक बीमारी है। मैं सरकार से कहूंगा कि एक लड़ाई चल रही है विश्वनाथ मन्दिर में कोई भी आदमी साफ सुथरा कपड़ा पहन कर घुसता है तो कोई नहीं पहचानता कि अछूत है। कौन पकड़ता है। यह दिमागी बीमारी है। मैं तो दुनियां में किसी को अछूत कहना पाप समझता हूं। लेकिन सब से बड़ी चीज सरकार के लिये है, सरकार इतनी ताकत में है कि सरकार निर्धन से, रंक से ऐसा बना सकती है कि वह कम से कम रोटी कपड़े के लिये मोहताज न रहें। यह कर सकें तो यह हमारे लिये कर्त्तव्य है, अगर न कर सके तो कर्त्तव्य से गिर जाना है। इस कर्त्तव्य से हम चाहते हैं कि न हम गिरें और न उधर बैठने वाले गिरें। अगर उधर वाले गिरते हैं तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम उन्हें जगायें। हमारे बुजुर्ग वे हैं लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि वहां बैठने से ऐसी भी कोई बात हो सकती है कि बिल्कुल १६ आने जो हम सोचते हैं उसे वे नहीं सोचते और जो १६ आने वे सोचते हैं उसे हम नहीं सोचते। इस तरह से रेसिप्रोकल बातों से लाभ उठा कर सरकार का, देश का, हमारा और सबका कल्याण होगा। अन्त में इस बिल का समर्थन में नहीं करना चाहता क्योंकि यह बिल जो है वह इन सारी चीजों को पूरा नहीं करता।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, इस भवन ने ५६-५७ का बजट आज पास किया और भिन्न-भिन्न आइटम्स के अन्तर्गत जो ग्रांन्ट्स थीं वह इस भवन ने पास कीं। सरकार अब इस भवन के सामने इसलिये आई है कि यह भवन उसको आज्ञा दें कि इन धनराशियों को कंसालिडेशन फंड में से निकाल कर डिपार्टमेंट्स में खर्च किया जाय। यह उचित ही है और आवश्यक भी है। इस सम्बन्ध में मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं कि और वह यह कि हम सभी जानते हैं कि हमारे विभागों के एस्टिमेट्स बनाने के क्या तरीके हैं और हम यह भी जानते हैं कि जितनी जल्दी में, जितने कम समय में हमारा बजट पास होता है इस भवन को मौका नहीं मिलता कि इन एस्टिमेट्स की अच्छी तरह से छान बीन की जा सके मगर सरकार को मौका मिलता है एक साल का कि वह उस पैसे को खर्च करे लिहाजा उसका फर्ज है कि हर आइटम की दोबारा छानबीन कर ली जाय। मेरी मंशा यह है कि जो आइम्टस इस भवन से पास हो गये ठीक है, मगर सरकार उस बात के लिए पाबन्द नहीं है कि उन आइटम्स पर उसी तरीके से उतना खर्च किया ही जाय। आपको अधिकार है कि दोबारा भी चाहें तो गौर कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास फाइनेंस कमेटी है। वह जो आइटम्स बजट के आते हैं, बजट के एस्टीमेट्स आते हैं उनको देखती है। बजट के सेशन होने के बाद एस्टीमेट्स कमेटी आपकी है जो कि छानबीन करती है और पैसा खर्च करने के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखती है कि पैसा किस तरह से खर्च हुआ और हुआ भी या नहीं। मैं यह चाहूंगा कि सरकार इन तीनों कमेटियों को और ज्यादा कानफीडेंस में ले और उनके पास इन कमेटियों की जो सिफारिशें आयें उन पर ज्यादा संजीदगी के साथ गौर करें और ध्यान दें। हमने यह देखा है कि इस डेवलपमेंट के जामने में डेवलेपमेंन्ट के नाम पर हम पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। जहां तक सरकार की उदारता का सम्बन्ध है उसमें दो राएं नहीं हो सकती हैं। लेकिन हमने यह भी देखा कि डेवलपमेंट के नाम पर पैसे का अपव्यय भी होता है। हम से स्टाफ मांगा जाता है और हम यह नहीं जांच पाते हैं कि हर विभाग के पास कितना स्टाफ है, कितना वर्क लोड है और जितनी मांग आती है आमतौर से उसको मंजूर कर लेते हैं। इस बजट में भी अगर हम छीनबीन करें मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, तो लाखों रुपया इसलिए दिया गया है कि भिन्न विभागों में स्टाफ बढ़ाया जाये मैं यह चाहता हूं कि स्टाफ बढ़ाने से पहले इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए कि उस विभाग में कितना स्टाफ है, और कितना वर्क लोड है। मुझे खुशी है

[श्री नवलकिशोर]

कि सरकार ने एक कमिश्नर की नियुक्ति की है रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर। उन्होंने शायद कुछ मुहकमों को देखा भी है उनके पास से आपके पास कुछ सिफारिशें भी आयी हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं चाहता हूं कि रिआर्गनाइजेशन कमिश्नर के काम को तेजी के साथ बढ़ाया जाय और उनसे कहा जाय कि जिले के स्तर पर हर मुहकमे को वह देखें और सचिवालयों को भी देखे। उसके बाद अपनी रिपोर्ट दें कि हमारे पास कितना स्टाफ है, कितना सरप्लस है, और उसके बाद कितने स्टाफ की जरूरत है और उसके बाद हमको स्टाफ मंजूर करना चाहिए सरकार की तरफ से एक इकोनामी कमेटी भी बनी है। उसका फर्ज है कि वह वक्तन फवक्तन देखें और जितनी बचत हो सकती हो उसको करे। मैं इसका स्वागत करता हूं पर यह कहना चाहता हूं कि वह इकोनोमी कमेटी केवल कागज पर ही न रहे बल्कि क्रिय रूप से काम करे।

हर चीज की डिटेल में तो नहीं जाऊंगा केवल इतना ही कहूंगा कि कि आपका बहुत काफी पैसा निर्माण में खर्च होगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। आपके पास जो शेड्युल आफ रेट्स है वह बहुत पुराने हैं। और मेरा यह विश्वास है कि अगर उनको आप दोहरा दें तो उनमें काफी कमी हो सकती है और उन शेड्युल आफ रेट्स की कमी से सरकार को काफी बचत हो सकती है। यही नहीं टाइम शेड्युल की बात जिस पर में बार-बार जोर दिया करता हूं मैं समझता हूं कि बहुत महत्व की चीज है। जो आपके सामने प्राजेक्ट इंजिनियर साहबान का आता है उसके साथ एक टाइम शेड्युल आता है। मैं समझता हूं कि उसको मेनटेन करने की अत्यन्त आवश्यकता है। आमतौर से टाइम शुड्युल मेनटेन नहीं हो पाता है जिसकी वजह से स्थापना का बहुत खर्च बढ़ जाता है और आमदनी होने में भी देर हो जाती है। एक चीज मुझको कोआर्डिनेशन के सम्बन्ध में कहनी है। वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, सेक्रेटरियट लेविल पर भी। जिलों के स्तर पर, कृषि विभाग, कोआपरेटिव विभाग, पंचायत, ऐनिमल हस्बैंड्री आदि कई विभाग हैं उनके अन्दर काफी स्टाफ है मैं चाहता हूं कि अगर कोई तरीका आप निकालें और उनकी कामन पूलिंग हो जाय और एक साथ काम हो तो मैं समझता हूं कि स्टाफ में कमी हो सकती है और काम में एफीशेंसी भी आ सकती है। मुझे मालूम हुआ कि इस तरह की हिदायतें हैं। लेकिन शायद कागज पर हैं। अमल में नहीं आयी हैं। आप ने एक स्पेशल कैडर की भी बात कही है---मैं उस पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं। और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि हमने उसको यहां से सेंक्शन तो कर ही दिया। लेकिन आप उसको क्रिएट करने से पहले एक बार फिर सोच लें कि क्या पी० सी० एस० का स्पेशल कैडर बनाना हमारे प्रांत के लिए आवश्यक है। मैं समझता हूं कि नहीं।

मैंने कुछ २, ३ और भी स्टेट्स को देखा। मिसाल के तौर पर मद्रास, बाम्बे और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मान्यवर, प्रौविन्शियल सर्विस का एक ही ग्रेड है २५० से ७५० रु० तक और मद्रास में दो हैं। एक तो ७०० रु० तक और दूसरा ८५० रु० तक। बम्बई में एक ग्रेड ६५० तक और दूसरा ८७५ रु० तक है। तो मैं समझता हूं कि हमारा ग्रेड ८५० तक अनुचित नहीं है। हालांकि देखने में ऐसा मालूम होता है कि इस साल में ज्यादा खर्चा नहीं होगा कोई २३ हजार ४०० रु० होगा लेकिन आगे चल कर ५२ हजार तक पहुंचेगा। डी० वाई० एस० पी० की स्टार्टिंग पे बजाय २५० रु० के ३०० रु० करने की बात भी इसमें आ.ई है तो मैं चाहूंगा कि अच्छा यह हो कि बजाय ३०० के और सब सर्विसेज की भी २५० ही कर दी जाय। तो यह चीज सोचने की है। क्योंकि इसमें आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे तो अल्टीमेटली काफी पैसा खर्च होना शुरू हो जायगा। इसके अलावा मैं इस टेन्डेन्सी को ही गलत मानता हूं। कुछ टैक्सेशन की बात भी आपने कही है। जाहिर है कि हमारा इंजीनियरिंग विभागों में जो खर्चा होता है अगर हम

थोड़ा सा टाइटनिंग कर दें और जो ५ परसेंट से १० परसेंट तक जिसकी आमतौर पर शोहरत है कि कन्ट्रेक्टर से हमारे ओवरसीयर और इंजीनियर साहबान को मिल जाता है यह किसी तरीके से यदि टाइट हो जाय तो मेरे खयाल से उसमें काफी रुपये की बचत गवर्नमेंट को हो सकती है और इतना करने के बाद फिर भी अगर टैक्सेशन की जरूरत हो तो मैं समझता हूं कि कोई भी हमारा साथी इस भवन में ऐसा नहीं होगा जो यह चाहेगा कि हम अपने प्रदेश की प्रगति के लिये टैक्सेशन न करें। गाड़ियों की बात माननीय गेंदासिंह जी ने कही। इसमें भी मैंने देखा कि लाखों रूपया गाड़ियों के लिये है और कुछ ऐसे अफसरान को जिनको अब तक गाड़ियां नहीं दी गई थीं उनको दी गई हैं, जैसे इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स और दो एक अफसर हैं। और एक गाड़ी ओखला में रखने की बात है मेरा खयाल है कि एक आध साल पहले भी वहां गाड़ी रखने की बात आयी थी तो उस वक्त उसको ड्राप कर दिया गया। मैं नहीं जानता मेरी इत्तला सही है या गलत, मुझे यह मालूम हुआ है कि हमारे जो मंत्रीगण यहां से वहां जाते हैं उनको केन्द्रीय सरकार की तरफ से गाड़ियों का इंतजाम होता है। यदि ऐसा है तो मैं समझता हूं कि वहां गाड़ी के रखने की आवश्यकता नहीं। इस पर भी सरकार सोचे और जहां तक आम पालिसी सरकार की है उसका वह निश्चय कर दे कि कहां तक यह उचित है कि वह गाड़ियां खरीदकर अपने हर एक अफसर को दे। मेरे खयाल से यह ग़लत है।

मार्च के महीने में पैसा बहुत खर्च होता है। यह बात सही है और मैं समझता हूं उसकी वजह भी यह है कि जो हमारा बजट का पीरियड है यह भी, मैंने एक दो बार पहले भी माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि इस बजट के पीरियड को हम बदलें। उनकी भी कठनाई है इसलिये कि हमारे प्रदेश से ही इसका सम्बन्ध नहीं है इसमें शायद केन्द्र की क्या नीति हो इस पर बहुत कुछ अवलम्बित होगा। मगर मैं चाहूंगा अगर हम इस बजट पीरियड को थोड़ा सा बदल दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

दूसरी चीज यह जो ग्रान्ट्स देते हैं कंस्ट्रक्शन के लिये वह ३१ मार्च को खत्म न हुआ करे बल्कि ब्लाक ग्रान्ट की शक्ल में हो जो कि जब तक कंस्ट्रक्शन खत्म न हो तब तक चले। मुझे आशा है सरकार इन बातों पर ध्यान देगी।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वित्त मंत्री जी को और इस प्रदेश के रहने वाले जनसमुदाय को मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारा बजट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और आज यह मौका है कि जहां हम ११, १२ करोड़ का बजट आज से १५, १६ वर्ष पहले पास किया करते थे आज वह १ अरब ४८ करोड़ के करीब पहुंच गया है। इसके साथ ही साथ मुझे यह भी गर्व से कहना पड़ता है कि जहां हमारी आमदनी बढ़ी है वहां हमारी राज्य सरकार की उस रुपये को खर्च करने की और जन तक के सदउपयोग में लाने की जो प्रवृत्ति है वह भी बढ़ी है। और हम उस रुपये को क्षमता के साथ जनता के हित में खर्च कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। यह भी बात सही है कि हमारे बजट आज कल डेफिसिट बजट हो रहे हैं। मैं इसको भी एक अच्छे प्रगतिशील राज्य का साइन समझता हूं क्योंकि जो देश या जो राज्य सरकार तरक्की करना चाहती है, जनसमुदाय का हित करना चाहती है, उनके दुःखों को दूर करना चाहती है तो उसके अन्दर उसके लिए एक अरब क्या, दो अरब क्या, अगर दस अरब रुपया भी हो तो वह भी कम हो सकता है बशर्ते कि वह रुपया जनसमुदाय के हित में खर्च होता हो। हमें तो बहुत कुछ रुपया अभी उनके लिए खर्च करना है। दुःख इस बात का है कि और अधिक रुपया हमारे पास नहीं है जिसको कि हम खर्च कर सकें। श्री गेंदासिंह जी ने इस बात की शिकायत की कि रुपया मार्च में खर्च ज्यादा होता है। ठीक है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशव गुप्त]

वह मार्च में खर्च होता है, हम सब जानते हैं इस बात को । इसके ऊपर इशारा हमारे नवलकिशोर जी ने भी किया। उन्होंने भी यही शिकायत की और मैं भी यही मानता हूं कि बजट का पीरिपड ही इसके लिए जिम्मेदार है । जो ठंडे देश हैं वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनकी बात को छोड़ दीजिए। उनके यहां यह परिस्थिति नहीं है जो कि हमारे यहां मौजूद है। हमारे यहां तो जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितम्बर का महीना बरसात का आ जाता है जिसमें हम काम नहीं कर सकते। हमारा बजट ३१ मार्च को पास होता है। अप्रैल, मई में वह डिपार्टमेंटों के पास जाता है। डिपार्टमेंट काम कराने के लिये टेंडर्स वगैरह मांगते हैं और जब काम करने का वक्त आता है तो जुलाई अगस्त में बारिश शुरू हो जाती है। इसलिये काम नहीं हो पाता। फिर जाकर अक्तूबर और नवम्बर के महीने में काम शुरू होता है। और मार्च में जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ता है। इसलिए अच्छा हो कि हम इस बजट के पीरियड को बदलें और हम उसको बदलकर जुलाई में रखें क्योंकि जुलाई का पीरियड डेवलपमेंट वर्क्स वगैरह के लिये ठीक नहीं होता। जुलाई में हम उसको पास करें। उसके बाद अगस्त और सितम्बर का महीना जो जरा ढीला होता है उस जमाने में टेंडर्स ले लिए जायं और अक्तूबर से जून तक नौ महीने का टाइम फिर काम करने के लिए मिल जायगा। अगर ऐसा हो सके तो वास्तव में हम अपने इन रुपयों का सदुपयोग कर सकते हैं और जो यह मार्च में जल्दी जल्दी करने की बात होती है यह खत्म हो सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने बजट के इस पीरियड को जल्दी से जल्दी बदलें। यह पुरानी बातें कि मार्च में अंग्रेजों के जमाने में बजट पास होता था, इनमें पड़ने की जरूरत नहीं है, इसको बदलने की जरूरत है और यह हमारा एक प्रगतिशील कदम होगा। पिछली बातों के दुहराये जाने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने देश और मुल्क की परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको बदलने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि हम बजट मार्च के बजाय जुलाई में लें तो वह हमारे डेवलपमेंट के वर्क्स इत्यादि के हिसाब से हमें ज्यादा सूट करेगा और हम अपने इन कामों में काफी प्रगति कर सकेंगे। यह एक बड़ी आवश्यक बात है और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी ओर ध्यान देंगे और इसके लिए अगर जरूरत होगी तो केन्द्रीय सरकार से भी परामर्श करके इसमें शीघ्र से शीघ्र परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे।

बात कही गई अध्यक्ष महोदय, एस्टीमेट्स के सम्बन्ध में। वास्तव में मुझे भी कुछ मौका मिला इनको देखने का। वह एस्टीमेट्स कुछ ठीक नहीं आते हैं। शुरू में एस्टीमेट किसी काम का एक करोड़ का होता है लेकिन बढ़ते बढ़ते वह तीन चार करोड़ का हो जाता है। यह तो बात ठीक है कि शुरू में जो एस्टीमेट्स होते हैं वह कोई भी आदमी हो, कोई अपना मकान बनाना चाहे और उसका एस्टीमेट बनाये तो आखीर में उसमें कमी बेशी तो होती है लेकिन कमी बेशी दस पन्द्रह परसेंट तक हो जाय तो कुछ अधिक नहीं होती लेकिन एक एस्टीमेट एक करोड़ से बढ़ते बढ़ते तीन चार करोड़ हो जाय और उसमें टाइम शिडचूल भी न रखा जाय तो उससे कैपिटल का खर्चा और सारे खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे "एस्टीमेट्स" भी हमें देखने को मिले कि जो बाद में दुगुने तिगुने तक पहुंच गये, फाइनेंस कमेटी में भी हमने यह देखा और यहां भी हमें ऐसे एस्टीमेट्स देखने का मौका मिला। तो इसके लिए भी जरूरत है कि एस्टीमेट्स के ऊपर भी पूरा ध्यान रखा जाय। दूसरी बात जो मुझे आपसे अर्ज करनी है वह यह कि आपके यहां जो कंट्रेक्टर्स का सिस्टम है पी० डब्लू० डी० और दूसरे वर्क्स में, वह भी ठीक नहीं चल रहा है। हमें अक्सर देखने को मिलता है कि आपके कंट्रेक्टर्स की कोई ऐसी परिपाटी नहीं

पड़ी हुई है, कोई क्लासिफिकेशन ठीक तौर पर नहीं है कि कौन कंट्रैक्टर किस काम को करने के योग्य है या नहीं। किसके पास टेक्नीकल स्किल है या नहीं, मींस हैं या नहीं। लोएस्ट टेंडर जिसका आया उसको कंट्रैक्ट दे दिया। यह तरीका भी हमें बदलने की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिये कि हम काम के हिसाब से फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास इस तरह से कामों की परिपाटी डालें और उसके साथ कंट्रैक्टर्स को विभक्त करें। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। जो फर्स्ट क्लास वर्क हो वह फर्स्ट क्लास कंट्रेक्टर को दिया जाय, सेकेंड क्लास वर्क सेकेंड क्लास कंट्रेक्टर को और थर्ड क्सास वर्क थर्ड क्लास कंट्रैक्टर को दिया जाय। अगर इस तरह से करेंगे तो लो स्टैन्डर्ड की बात भी ठीक हो जायगी और काम भी ठीक होगा। होता यह है कि काम लोएस्ट स्टैन्डर्ड वाले को देते हैं और वह काम को छोड़ कर चल देता है और सरकार को नुकसान होता है। मुकदमेबाजी होती है और काफी रुपया उसमें खर्च होता है, हमारे प्रदेश को हानि होती है। तो कंट्रैक्ट सिस्टम में कुछ तब्दीली, करने की जरूरत है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस परिपाटी और सिस्टम को ठीक तौर से करने की कोशिश करेंगे। यह सिद्धान्त की बात मैंने कह दी। जो महीने भर से बजट पर बहस हुई उसको दोहराने की जरूरत नहीं। मैं दोबारा वित्त मंत्री को और अपनी सरकार को और जनसमुदाय को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि हमारा प्रदेश दिन पर दिन बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। यह बात नहीं कि हम केवल बजट ही बढ़ा रहे हैं या टैक्स ही बढ़ा रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हममें वह क्षमता पैदा हो गयी है कि हम जो रुपया पैदा करते हैं उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं और जनता के लिए उसका ठीक तरह से उपयोग कर सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि माननीय विरोधी दल के नेता ने काफी बातें कह दी हैं। पर इस सदन से अध्यक्ष महोदय, जो रुपया हम आज पास कर रहे हैं उसकी देखरेख करने, वह रुपया जिस उद्देश्य के लिए हमने यहां से पास किया है, उन कार्यों के लिए खर्च हो रहा है या नहीं, या जो हमारे फाइनेंशियल रूल्स कुछ बने हुए हैं, उन के मुताबिक खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी देखरेख करने के लिए हमारी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि हम सभी दलों के लोग उसमें हैं और हम सब मिल करके वहां पर यह भूल जाते हैं कि हम किसी दल के प्रतिनिधि हैं। हम यह समझते हैं कि हम सारे प्रदेश के प्रतिनिधि हैं और इसी बात की कोशिश करते हैं कि हमारे जो सरकारी अफसरान हैं जिन्हें हमने रुपया खर्च करने का अधिकार दिया है, वह अपने अधिकारों को ठीक तरह से इस्तेमाल कर रहे या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, आपने उस दिन फैसला किया कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के जो फैसले हैं वह जिस वक्त उनके फैसले हो जायं उन पर कार्यवाही शुरू हो जाय और सरकार उन फैसलों पर क्या कार्यवाही करती है उस पर अगर कोई सदन में सवाल उठाना चाहे या डिस्कशन करना चाहे तो वह कर सकता है। इस के लिये भी हम आपके बड़े आभारी हैं। मैं यह चाहता था कि क्योंकि जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के फैसले हैं वह इस लेजिस्लेचर के फैसले हैं। हम लोग जब कोई फैसला करते हैं तो ज्यादा महत्व हम लेजिस्लेचर का समझते हैं और जब हम समझते हैं कि लेजिस्लेचर का ही फैसला हो गया है तो सरकार को उन कमेटीज के फैसलों पर कार्यवाही अवश्य शुरू कर देनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक यह मसला तय नहीं हो पाया था, इसलिये उन पर बहुत सी कार्यवाही नहीं हुई। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अब अपनी

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

सरकार से उन पर जो फैसले कमेटीज से हुए हैं उन पर कार्यवाहियां करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। एक तो एक्सेस की है और दूसरी सेविंगज की है। यह दोनों बड़ी भारी इर्रेगुलरिटीज हैं। हमारे डिपार्टमेंट्स इस बात को कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रुपया वह अपने विभाग के लिए इस लेजिस्लेचर से पास करवायें और उनके पास चाहे स्टाफ न हो, साल के अन्त में उसका नतीजा यह होता है कि जितना रुपया हम देते हैं उस रुपये को पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जो रुपया हम उन्हें देते हैं उस रुपये से वह ज्यादा खर्च कर देते हैं। इसीलिए इस चीज की रोक-थाम करने के लिये पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने एक सुझाव भेजा है कि हमारे यहां सेपरेशन आफ आडिट फ्राम एकाउन्ट्स हो जाय तो इससे बड़ी सहूलियत हो जायगी। आज हमारे एकाउटेंट जेनरल ही हिसाब की जांच भी करते हैं और हमारे डिपार्टमेंटों का हिसाब भी वे रखते हैं। हमारा कहना है कि हिसाब जिस तरह से यूनाइटेड किंगडम के अन्दर सरकारी डिपार्टमेंट में ही होता है कि कितना रुपया खर्च होता है और इसकी खबर डिपार्टमेंट के हेड के पास रहती है कि उसके पास कितना रुपया है ताकि उसको खबर हो कि उसका पैसा खर्चा हो नहीं पाया है या कितना है। इससे डिपार्टमेंट के अन्दर पता लगता रहता है कि उनके डिपार्टमेंट के अन्दर कितना खर्च होता है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वे इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यह सिस्टम पहले यू० पी० में था लेकिन बाद को चेंज कर दिया गया था। मुझे आशा है कि वे अब इस पर फिर ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यूनाइटेड किंगडम का जो सिस्टम है वह भी आजमाने लायक है उसको आजमाया जाय। यूनाइटेड किंगडम में जितना रुपया मिलता है उन्हें जितना रुपया रेविन्यू से साल में होने की आशा होती है उन सबको वे डिवाइड कर देते हैं और हर डिपार्टमेंट के पास कुछ रुपया रख देते हैं और उनसे यह कह देते हैं कि आपको इतना रुपया दें दिया गया है और अब आप प्रायरिटी फिक्स करें और इतने रुपये के अन्दर आप अपनी प्लांस और स्कीम्स बनाइये और उस पर फैसला कीजिये। इससे यह पता लग जाता है कि डिपार्टमेंट कौन सी स्कीम्स को प्रायरिटी देता है इस्टेब्लिशमेंट को प्रायरिटी देता है या डेवलपमेंट की स्कीम्स पर रूपया लगाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि उससे हमारी बड़ी सहूलियत हो जायेगी क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एक हेड से दूसरे हेड पर रुपया खर्च हो जाता है तो इससे डिपार्टमेंट का काम आसान हो जाता है क्योंकि यह कहा जाता है कि एक हेड से दूसरे सब हेड में रुपया खर्च हो जाता है तो उसको छिपाने की आवश्यकता क्या है। बहुत जगह देखा जाता है कि मांग लेते हैं रुपया ट्रेनिंग के लिये और दूसरे सब हेड में जो रुपया रखा होता है कहते हैं कि विदिन आवर ग्रांट हम रुपया खर्च कर लेंगे आप सिर्फ मंजूरी दे दीजिये और इसके लिये हमें इसकी सेंक्शन मिलनी चाहिये। इससे यह होगा कि एक तो बजेटिंग ठीक हो जायगी और दूसरे जो हमारी स्कीम्स हैं वे हमारे सामने आ जायेंगी। फिर इसके बाद हम डिपार्टमेंट को उसके लिये मजबूर कर सकते हैं कि तुम्हारी यह जितनी स्कीमें हैं यह सब स्कीमें ३१ मार्च तक कार्यान्वित हो जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, यह भी देखा गया है कि बहुत रुपया मांग लेते हैं इसलिये कि दूसरे साल फायनेंस डिपार्टमेंट यह न कह दे कि हम तुमको इतना रुपया नहीं दे सकते हैं। वह तरीका भी गलत है क्योंकि इससे हम यह नहीं देख सकते कि कितना रुपया डिपार्टमेंट ने किस स्कीम्स पर खर्च किया है क्योंकि रुपया कुछ लैप्स हो जाता है इससे कुछ पता नहीं चलता। इसलिये हर साल जितना रुपया खर्च होगा उतना ही रुपया डिपार्टमेंटों को लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी ने एक और फैसला किया था कि सरकार की ओर से जो हमारी इंडस्ट्रीज चल रही है चाहे हैंडीक्राफ्ट्स की हों चाहे चूर्क सीमेंट फैक्टरी की हो, उनको कामर्शल लाइन्स पर रन करना चाहिये बिल्कुल बिजीनेस लाइन्स पर जैसे हमारे खादी भंडार चल रहे हैं हैंडीक्राफ्ट और हैन्डलूम सब चलने चाहिये बिजीनेस लाइन पर ताकि बाजार के अन्दर मालूम हो सके कि ये ये चीजें इसमें हैं। और जो प्रोपेगेंडा करना है आप चाहे जितना रुपया हो ले सकते हैं और प्रोपेगेंडा करें लेकिन वह रुपया अलग होना चाहिये। यह नहीं कि डेवलपमेंट की आड़ में रुपया निकाला जाय। इस तरह से तो हमारी इंडस्ट्रियल कंसर्न्स बरबाद हो जायेंगी और अगर उनको कामर्शल लाइन्स पर नहीं चलाया जायेगा तो हमेशा उनमें नुकसान होगा। कोई इंडस्ट्री आप दिखा दें आज जिसमें फायदा हुआ हो। हैन्डीक्राफ्ट में लाखों रुपये का नुकसान होता है और वह कहते हैं कि इसमें डेवलपमेंट होता है और लोगों को बम्बई भेजते हैं और एक्जीवीशन होते हैं और दूसरे प्रकार से सारा खर्चा हो जाता है। इस प्रकार खर्च करने से यह पता नहीं चलता कि ये कंसर्न्स ठीक कामर्शल लाइन्स पर चल रही हैं या नहीं।

एक इकानामी कमेटी सरकार ने कायम की है। वह अभी कोई फाइनल डेसीजन नहीं कर पाई है। माननीय वित्त मंत्री जी उस कमेटी के चैयरमैन हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इकोनामी कमेटी में सब रिपोर्टों पर जल्दी ही कुछ फैसला हो जाना चाहिये क्योंकि इस साल हम कुछ फायदा न उठा सके। इसलिये मैं उम्मीद करूंगा कि इकोनामी कमेटी का जो फैसला होगा वह सब डिपार्टमेंट्स के पास भेज दिया जायगा और आज जो डेफिसिट बजट है वह बाद को सरपलस बजट नहीं हो। इससे हम अपने रुपये की पूर्ति कर सकते हैं, खर्चे की इकोनामी को देख सकते हैं। उस कमेटी की मंशा इकोनामी करने की नहीं है, वह एफिशेन्सी को भी देखती है। मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री जी इकोनामी कमेटी पर कार्य करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह हमारा आखिरी बजट है क्योंकि इसके बाद तो नया चुनाव होने ही वाला है पर माननीय सदस्यों से मैं अवश्य एक प्रार्थना करूंगा कि ऐसी कमेटीज में इसीलिए हम नहीं जाना चाहते कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करते रहें, बल्कि हम लोग नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हमारे बीच से उठते जा रहे हैं, हमारा यह फर्ज है कि हम डिपार्टमेंट की वर्किंग को देखें। ये कमेटीज हमारी ट्रेनिंग ग्राउंड हैं। अगर हम इन कमेटीज में जायेंगे तो हम अपने देश और प्रदेश की डेमोक्रेटिक सेटअप को ठीक से समझ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस देश में डेमोक्रेसी को कायम करने में सब लोग सहयोग देंगे।

*श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---माान्यवर, इस एप्रोप्रिएशन बिल के सम्बन्ध में जो कई आवश्यक सुझाव दिये गये उनके लिये तो मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री स्वयं धन्यवाद देंगे इस सदन को। किन्तु, श्रीमन्, इसी सम्बन्ध में मैं दो-चार बातें आपके द्वारा इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं माननीय नेता विरोधी दल से यह अनुरोध करूंगा कि एप्रोप्रिएशन बिल के सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने अप्रासंगिक बातें कहीं हैं; उनका जिक्र तो शायद न भी किया जाय लेकिन कुछ गलत फहमियां उनको जरूर हैं। पहली गलतफहमी जो उनको है वह यह कि उद्योग धंधों में जब कि काफी मुनाफा बढ़ता चला जा रहा है ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश के मजदूरों की संख्या क्यों घटती चली जा रही है? जिस समय मजदूर विभाग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

का बजट पेश था माननीय नेता यहां उपस्थित नहीं थे। उस सम्बन्ध में जो बातें कहनी थीं वह तो माननीय मंत्री महोदय ने उनकी सेवा में निवेदन कर दीं। किन्तु, श्रीमन् इसके साथ ही साथ मैं उनसे यह बता दूं और साथ ही सदस्यों के मन में भी ऐसी गलतफहमी है कि नियोजन के समय बेकारी क्यों बढ़ती है। नियोजन के सम्बन्ध में जब बेकारी बढ़ने की बात कही जाती है तो वह सत्य के प्रतिकूल बात है। इस उत्तर प्रदेश में मैं इस सदन के सम्मुख निवेदन कर चुका हूं कि कम से कम ११, १२ लाख नौजवान २० वर्ष के हर साल होते चले जाते हैं। और जब तक हम उनकी जीविका का प्रबन्ध प्रति वर्ष न कर सकें तब तक हर साल बढ़ते बढ़ते उनकी संख्या बढ़ती ही चली जायगी। इस कारण यदि चार वर्ष के भीतर ४० लाख नये नौजवान पैदा हो गये २० वर्ष के तो यह तो कहने की बात होगी कि उस बीच में उनकी सामूहिक संख्या अधिक बढ़ी होगी किन्तु यह जो कहा गया कि उद्योग धंधों का मुनाफा बढ़ गया है। "इकोनामिस्ट" अखबार का माननीय मित्र ने जिक्र किया, मैं भी उस अखबार को पढ़ता हूं और उस अखबार में उन्होंने यह भी पढ़ा होगा कि पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट के इन्कमटैक्स में से एक लाख में से ७६ हजार प्रति वर्ष ले लेने के कारण उद्योग धंधों को पर्याप्त क्षति भी पहुंची है। इन्कम टैक्स की आमदनी केन्द्रीय सरकार की १९३ करोड़ रुपये थी। वह घट कर १६९ करोड़ रुपये रह गयी। जब कि और विदेशों में जहां कि शेयर की वैल्यू उद्योग धंधों के ९ से फ्रान्स ऐसी जगह २२७ हो गयी और जापान में २२७ हो गयी, हमारे देश में उद्योग धंधों के शेयर का दाम १०० से घटकर ९७ हो गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्यों ?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्यों हमारे मित्र जानना चाहते हैं तो मैं उनको यह बतला दूं कि जिस दिन केन्द्रीय सरकार के बजट की घोषणा हुई उसी दिन शेयर में ४० और ४५ रुपये का अन्तर पड़ गया। और यही नहीं, जिस दिन कि इन्श्योरेन्स ऐक्ट की घोषणा हुई उस दिन आयरन ऐंड स्टील के ४७ रुपये के शेयर ३५ के हो गये। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। जहां तक उद्योग में मुनाफे का सवाल है उत्तर प्रदेश के उद्योग "इकोनामिस्ट" में नहीं थे। उत्तर प्रदेश का सब से प्रधान उद्योग टेक्सटाइल्स का है। उसके मुनाफे में वृद्धि नहीं हुई है। यह वे "इकोनामिस्ट" के ग्राहक होने के कारण जानते होंगे।

हमारे माननीय उपाध्याय जी ने हैन्डीक्राफ्ट का तजकिरा किया। हैन्डीक्राफ्ट का जिक्र किया। हैन्डीक्राफ्ट का जिक्र कई मरतबा हो चुका है। हैन्डीक्राफ्ट वह चीज नहीं है जिस से कि सरकार मुनाफा कमाये और यदि इस से मुनाफा होता है तो वह गलत बात है। हैन्डीक्राफ्ट बोर्ड इस लिए बनाया गया है कि हाथ की बनी हुई दस्तकारी की चीजों की बिक्री का कोई ठीक इन्तजाम नहीं है और हाथ की दस्तकारी खत्म होती जा रही है। इस लिए एक हैन्डीक्राफ्ट बोर्ड बना दिया जाय जो उन चीजों की बिक्री का इन्तजाम करे और ऐसी व्यवस्था करे जिस से खरीदने वालों को प्रोत्साहन मिले और हाथ की दस्तकारी दिन प्रति दिन उन्नति करे। अगर इसमें घाटा हो तो इसको सबसिडी देकर चलाया जाय।

दूसरी चीज श्रीमन्, यह है और मुझे बड़ा खेद हुआ। जब यह कहा गया कि हमारे बजट के लैप्सेज के दायरे को बढ़ा दिया जाय। यह बात नहीं है। मैंने पहले एक मर्तबा निवेदन किया था कि हमारे साल को बदल दिया जाय तो अच्छा हो। श्रीमन्, फ्रांस में जुलाई में लैप्स होता है और वहां ६ साल में लैप्स होता है। फ्रांस में इस लिए इसको करना पड़ता है क्योंकि वहां कोई भी गवर्नमेंट आनस्टेबिल होती है अमरीका में जुलाई में साल शुरू होता है और मई से ही वहां तखमीने प्रकाशित हो जाते हैं और कांग्रेस किसी एमाउन्ट को स्वीकार कर भी ले

तब भी प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह चाहता है तो उस एमाउन्ट में परिवर्तन कर लेता है। इसलिए वहां पर हिसाब किताब को खोलने के लिए कई महीने रखे गये हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रैटिक सिस्टम जितने आर्गनाइजेशन्स हैं वहां तो एक निश्चित समय रखना होगा। लेकिन हमारे मित्र श्री गेंदा सिंह जी को शिकायत है कि ३१ तारीख तक खर्च जल्दी होता है और एमाउन्ट्स लैप्स हो जाते हैं। इसकी तो उन्हें खुशी होनी चाहिए कि हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट का इतना बड़ा कन्ट्रोल है कि जब साल शुरू होता है तो बजट बनने लगता है और महकमें के प्रोग्राम भेज दिये जाते हैं और वह चाहते हैं कि उन प्रोग्रामों के अनुसार कार्य हो। जब कार्य होने लगता है तो बजट की स्क्रूटिनी शुरू होती है और डिटेल्स में जाते हैं और उसमें बहुत सी स्कीमें ऐसी हो सकती हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्क्रुटिनी में गिर जायं, तो इन चीजों को लैप्स हो जाने में कोई दोष नहीं है। दोष तो तब है जब कि स्क्रुटिनी का काम शुरू हो गया हो, मशीनरी आ गयी हो और तब लैप्स हो जाय उस समय तो शिकायत होनी चाहिए।

मान्यवर, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय नेता विरोधी दल ने यह कहा कि हमारे यहां इनइक्वेलिटी क्यों है? इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? मैं नहीं जानता हूं कि उन्होंने माननीय वित्त मन्त्री जी के बजट भाषण को पढ़ा है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि आज सोशलिस्टिक समाज में वेतन बढ़ाना ही नहीं होता है बल्कि समाज में इनइक्वेलिटी को दूर करने के लिए लोगों को फैसिलिटीज दी जाती हैं। आपने कहा कि इस इनइक्वेलिटी को दूर करने के लिए मन्त्री जी क्या कर रहे हैं। बजट को देखिये, तो आपको स्वयं मालूम हो जायगा कि हम इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं और क्या हमने किया है। प्राइमरी एजुकेशन का खर्चा ५० प्रतिशत गवर्नमेंट अपने पास से देगी और इस तरह से गवर्नमेंट इस में १५ लाख रुपया खर्च करेगी। इसके अलावा हमने यह भी कह दिया है कि इतने रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा की और चिकित्सा की यह फैसिलिटीज और दी जायंगी। तो इस प्रकार से इन टर्म्स आफ मनी ऐन्ड इन टर्म्स आफ सर्विसेज लोगों को फैसिलिटीज दी जा रही हैं। यदि यह फैसिलिटीज लोगों को न दी जा रही होतीं, तब तो इसकी शिकायत हो सकती थी।

मान्यवर, एक चीज यह कही गयी ला ऐन्ड आर्डर के बारे में कि हमारे प्रदेश की पुलिस इतनी अच्छी है और उसका प्रबन्ध भी बहुत अच्छा है फिर भी हमारे यहां कत्ल क्यों बढ़ते जा रहे हैं, अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? श्रीमन् यह बड़ी भारी समस्या है। जिनेवा कान्फ्रेंस में प्रत्येक देश के सामने यही समस्या थी। उस कान्फ्रेंस में प्रत्येक देश के सामने यही समस्या थी। उस कान्फ्रेंस में हर देश से प्रश्न पूछा गया कि आपके यहां अपराध क्यों बढ़ते जाते हैं और मनुष्यों की जानें क्यों ज्यादा ली जाती हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर किसी से देते न बना। सब देशों ने यही कहा कि मनुष्य जीवन की कीमत मालूम होती है कि नये समाज में बदलती चली जा रही है और एक धार्मिक भावना जो एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के प्रति होनी चाहिए उसका ह्रास होने के कारण ही प्रत्येक देश में अपराधों की संख्या बढ़ती चली जा रही है।

*श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—अध्यक्ष महोदय, यहां अभी एक बात बतायी गयी कि जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और फाइनेंस कमेटी हैं, उनको और ज्यादा कान्फिडेंस में लिया जाय। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन उस तकरीर में मैंने उसकी कोई प्रैक्टिकल सूरत तो सुनी नहीं है। तो मैं यह अपनी तरफ से कहता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि उसकी मुझको सूरत बतलायी जाय कि क्या और किया जाय तो गवर्नमेंट उसके ऊपर गौर करे।

रेट्स के बारे में कहा गया कि वह बहुत पुराने हैं। तो यह बात तो सही नहीं है। अभी दो वर्ष हुए जब कि रेट्स कमेटी बैठी थी जिसके प्रेसिडेंट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे और यह रेट्स मौजूदा हालत के मातहत रिवाइज किये गये और वह रिवाइज्ड हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

ओखले की गाड़ी की बाबत पूछा गया कि वहां पर मिनिस्टर को गवर्नमेंट आफ इन्डिया की तरफ से जब वह वहां जाते हैं गाड़ी मिलती है या नहीं। तो मैं अर्ज करता हूं कि नहीं मिलती है। इसी वजह से हमने अभी कुछ दिन पहले तक, दो ढाई साल पहले तक एक गाड़ी ओखला में रखी इसी गरज से। फिर इसकी बाबत कुछ चर्चा इस किस्म का हुआ कि जिसकी बिना पर यह फैसला गवर्नमेंट ने किया कि वह न रखी जाय। मगर बदकिस्मती से वहां जाकर गाड़ी की बड़ी जरूरत होती है। आफिसर्स बहुत से जाते रहते हैं और हम लोग भी जाते रहते हैं और मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ मिनिस्टर वहां जाकर रहते हैं वहां पर जाकर ऐसी जरूरत पड़ती है जिसको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता। और गालिबन यह बात बहुत ही जरूरी माननी पड़ेगी कि वहां गाड़ी रखने की जरूरत है। उसके बगैर काम निकलना मुश्किल है। किसी जगह के ऊपर ७, ८ मील के फासले पर जाना होता है उसके लिए वक्त मुकर्रर है और उस में और भी बहुत से कामों को करना होता है। तो यह जरा मुश्किल है कि बगैर गाड़ी के कोई वहां पर गुजारा कर सके।

फाइनेंशियल इयर को बदलने की बात कही गयी। जहां तक इस गवर्नमेंट का सम्बन्ध है इसने यह चाहा कि यह साल जो अंग्रेजों के जमाने से है यह बदले और जैसा कि कहा गया कि जून या जुलाई तक साल हो तो यह बात इस गवर्नमेंट ने चाही। इस गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट आफ इन्डिया से कहा, लेकिन गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने इसको मंजूर नहीं किया। उन्होंने इन्कार कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। तो जहां तक किसी एक स्टेट के साल बदलने का सवाल है यह मुमकिन नहीं है। यह मजबरी है जब तक कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया इसके लिए रजामन्द न हो।

एक भाई ने कन्ट्रैक्ट सिस्टम की बाबत कहा कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मैंने उसको यह समझा कि उन्होंने मुनासिब बतलाया जिसकी बाबत कुछ दिन हुए बयान किया गया कि इस सिस्टम में कुछ और इम्प्रूवमेंट किया गया है और आगे चलकर और उसके मुताल्लिक किया जायगा, तो मैं तवज्जह उस डिपार्टमेंट की दिलाऊंगा जिसमें यह ठेकेदार रहते हैं कि वह इस मसले पर गौर करें और जहां तक हो सके उस सिस्टम में मौजूदा दुनिया की रोशनी में जो तब्दीली की जा सकती है वह की जाय।

इसके अलावा जो मेरे दोस्त ने फरमायां, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन साहब ने, कि आडिट और एकाउन्ट का अलग होना एक बहुत ही डिजाइरेबिल चीज है। वह बात सही है और इस स्कीम को गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने अपने हाथ में ले रखा है। लेकिन एक फीगर मैं यहां अर्ज कर दूं और मुमकिन है इसमें कुछ फर्क निकल आवे, क्योंकि यह यकलख्त मुझे बात याद आ गयी। न तो उसे गलत ही समझा जाय और न रिलायबिल ही समझा जाय। मैं सिर्फ अन्दाजा देना चाहता हूं। अगर हमारी स्टेट में यह काम किया जाय और दोनों को अलग अलग किया जाय तो गालिबन ५६ लाख रुपये का खर्चा बढ़ेगा। हमने गवर्नमेंट आफ इन्डिया को लिखा और यह प्रार्थना की कि आप हमको इस काम के लिए सबसिडी दें, तो हम इसे जारी करें। हमने उनको २, ३ डिपार्टमेंट्स के लिए लिखा है, लेकिन जवाब हमको यह मिला है कि उन्होंने अपने यहां कुछ डिपार्टमेंट्स में बतौर एक्सपेरिमेंट के उसे अभी जारी किया है। इसलिए अभी हमारा उनसे सबसिडी की तवक्को करना कब्ल अज वक्त है। अगर गवर्नमेंट आफ इन्डिया इस नतीजे पर पहुंचेगी कि अलहदा करना चाहिए तो किया जायगा। इकानामी कमेटी के बारे में वह फरमा रहे थे। वह भी सही है। इकानामी कमेटी ने, शायद मैंने पहले भी हाउस में कहा हो, बहुत मेहनत से और अच्छी तरह से काम किया है और उनकी रिपोर्ट सिवाय एकाध के हमारे पास आ गयी है और अब यह ज्यादा मसरूफियत का जमाना निकल जायगा। उस कमेटी के फैसलों पर गवर्नमेंट के अहकामात हासिल करके काम किया जायगा। कमेटी के मेम्बरान का मैं बहुत मश्कूर हूं कि उन्होंने इस मामले में हमारी मदद की। मैंने पहले भी यहां निवेदन किया था और फिर दोहराता हूं कि हम यह चाहते हैं कि यह कमेटी ही

नहीं बल्कि हमारे पास एक मुस्तकिल मशीनरी ऐसी रहे जो तमाम खर्चे पर निगाह रखे और ज्यादा खर्चा न होने पाये। हमारे लीडर आफ अपोजीशन साहब ने इरशाद फरमाया और मैं उनके लिए यह तो नहीं समझता कि उनको गलत फहमी है, मसलन उन्होंने फरमाया कि तनख्वाहों की ना बराबरी के बारे में। तनख्वाहों की ना बराबरी दूर करने के बारे में तो यह है कि जिस तरह से किसी ड्रामा या थियेटर में एक पर्दे की एक सूरत सामने है और जिस वक्त वह पर्दा हटा तो दूसरा नक्शा सामने आ गया, तो एक सूरत तो यह हो सकती है। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि जो इन्सान रोजाना अपने घर का काम करता है, चूंकि अपने घर के काम से ज्यादा लगाव होता है, वह चाहता है कि अच्छे तरीके पर उसके घर का इन्तजाम रहे और कम खर्चा हो, तो मैं समझता नहीं कि उनका यह तजुर्बा है या नहीं, लेकिन एक आदमी जिसने अपने आपको २००, २५० या १५० बरस से यहां कायम कर रखा है उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर वह मौजूद हो और उसका इस तरह से स्विच ओवर हो जाय, तो कम से कम मेरी अक्ल में तो यह बात नहीं आयी। हां, एक बात हो सकती है कि कुछ को खत्म किया, कुछ को छोड़ा और इस तरह से जो कुछ लोग बाकी बचे, उन्होंने कर लिया। लेकिन कांग्रेस तो कम से कम उसकी कायल नहीं है, वह इस काम को नहीं कर सकती। कांग्रेस तो यह चाहती है कि डैमोक्रेसी हो, जितने आदमी यहां पर हैं, वे अमन चैन से रहें, और अमन की जिन्दगी बसर करें और उसके साथ ही साथ वह यह भी चाहती है कि आर्डर्ड प्रोग्रेस ऐसी हो जो कम से कम वक्त में करना मुमकिन हो सके। यह कांग्रेस का उसूल है। उसके एतबार पर हम यह देखें कि जो तनख्वाहों में नाबराबरी थी, जो दीवार थी उसको ढाहना शुरू किया, कुछ को इस साल ढाया, और कुछ को अगले साल ढाहने वाला हूं और एक वक्त ऐसा आयेगा कि ढाहते ढाहते वह अलहैदा हो जायगी। जितना आदमी काम करते करते बढ़ता जाता है उतनी ही तरक्की और उमंग उसके काम में होती जाती है। वह भी उसके अन्दर आ जायगी और यह काम एक खास वक्त में पूरा हो जायगा और आज जो तनख्वाहों में नाबराबरी है वह भी न रहेगी पिछले बजट में और इस साल के बजट में इस किस्म के आइटम्स मौजद हैं उसका मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं है कि आज तनख्वाहों में जो ना बराबरी है, वह घट रही है और इस तरह घटते घटते वह कम होती जायगी एक वक्त आयेगा कि वह करीब करीब खत्म हो जायगी। इसकी निस्बत या तो तबियत के इज्तराब से या किसी आदमी के दिल में ज्यादा लगन हो और किसी आदमी के दिल में कम हो और वह यह समझे कि यह कर सकता है, तो कम से कम जिस तरह से जिस कांस्टीट्यूशन के मातहत हम काम करना चाहते हैं, उसके मातहत तो इसी तरीके से काम हो सकता है।

मार्च में आकर जिस तरह से खर्चा होता है, यह तो बहुत पुराना मर्ज था। मगर मैं यह समझता था कि यह कम हो गया होगा। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने इस तरीके के स्पेसिफिक आर्डर्स किये हैं कि जिस तरीके से मार्च में खर्चा होता है उस तरीके से वह न किया जाय और इस तरफ देखभाल की जाय। चूंकि फिर यह शिकायत आयी है, इस लिए मैं उसे बिल्कुल कांट्राडिक्ट तो नहीं करता लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें जरूर कमी हुई होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके मुताल्लिक अहकामात जारी किये हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह एक कमी है और मैं इत्मीनान दिलाता हूं कि वह सूरत आगे को कायम रहने वाली नहीं है।

एक बात समझ में नहीं आयी कि हर महीने का खर्चा किस तरह से मुकर्रर कर दिया जाय। खर्चे अलग अलग वैराइटीज के हैं तो यह किस तरह से किया जाय कि उसको माहवारी के खर्चे में बांट सकें। किसी में अगर १२ हजार रुपया खर्च होना, है तो एक हजार ही अप्रैल में, एक हजार मई में, और एक हजार जून में इस तरह से साल भर में उसको बांट दिया जाय। मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह फिजिकली कहां तक मुमकिन है। सुनकर अगर मेरे दिमाग में कुछ आया तो वह यह कि यह बात मुमकिन नहीं है। मेरी समझ में तो ऐसा कोई खर्चा आया नहीं। मुमकिन है कोई हो लेकिन जनरल जो खर्चे होते हैं, जो पब्लिक की नजर में आते हैं जैसे सड़क, मकान या डैम वगैरा के खर्चे उनको सरकार इस तरह खर्च करे कि

[श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

महीने भर में इतना खर्चा हो, तो यह किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है। इसमें तो आप देखेंगे कि अगर पहले साल में ८,९ महीने में, हर महीने उस का खर्च ५० लाख हुआ है, तो तीसरे महीने में वह ३ करोड़ भी हो सकता है। मैं नहीं समझ सकता कि उन के इस सुझाव को अमली तौर पर कैसे काम में लाया जा सकता है और कैसे प्रैक्टिकल शेप दी जा सकती है। मैं तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूंगा अगर वह मुझे कोई उस का तरीका बतायें और इरशाद फरमायें कि इस तरह से उस की तामील हो सकती है तो मैं यकीनन उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा अगर मुमकिन हुआ। ला ऐन्ड आर्डर के बारे में आप ने सुन लिया मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता।

अब यह सवाल कि हमारी जो सर्विसेज हैं और जो गवर्नमेंट आफ इन्डिया की सर्विसेज हैं वह यकसां हों। उन की दलील जहां तक मैं समझा, उन्होंने कहा कि बिहार गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट आफ इन्डिया को इस के लिए लिखा। उन्हें शायद खबर नहीं है कि सभी गवर्नमेंट्स ने गवर्नमेंट आफ इन्डिया को लिखा। एक ऐसी बात कि जिस की बिना पर यह आम सवाल उठा और गवर्नमेंट आफ इन्डिया से कहा गया कि आप इस के लिए रुपया दें, क्योंकि हमारे सामने इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि यहीं पर जैसे एक चपरासी है, गवर्नमेंट आफ इन्डिया के एक विभाग में काम करता है, तो उस की तनख्वाह दूसरी है हमारे यहां वाले की कुछ और है। यह तो ऐसी बात है कि कोई स्टेट रुक ही नहीं सकती, उस को करने का मौका आयेगा, तो वह किया जायगा। लेकिन हम यह समझें कि यह हम इसी वक्त पूरा करें, जब तक तरक्की नहीं होती, तो शायद उस को पूरा करने का वक्त नहीं आ सकता। हां अगर दुनिया में धन और दौलत बरस पड़े तो वह भले ही फौरन हो जाय। बहरहाल हम सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी पर चल रहे हैं, वह होना तो जरूर है, जब हम ने कहा कि सोशलिस्ट सोसाइटी होगी तो ना बराबरी कम होगी, जो वेल्थ की है और जिस की शिकायत की जाती है वह नहीं रहेगी। इस के साथ-साथ मैं ने यह भी अर्ज कर दिया था कि इस के यह माने नहीं हैं कि एक-एक पैसे और एक-एक पाई की बराबरी हो जायगी लेकिन जो नाबराबरी कही जा सकती है वह दूर हो जायगी। हमारे भाई लीडर आफ अपोजीशन यह न समझें कि हम उस में शरीक नहीं हैं, हम भी उसमें शरीक हैं।

एक बात जो मैं समझा, अभी उधर से वह फरमा रहे थे कि सरकारी मुलाजिमों में यह बात हो कि वह सब को यकसां समझें और सब के साथ यकसां बरताव करें और किसी के मामले में इन्टरफियर न करें और इलेक्शन वगैरा में तरफदारी न करें। यह बात वैसे तो समझना मुश्किल है, लेकिन जो सन् ५२ के जनरल इलेक्शन हुए उन की बाबत उन आदमियों ने कि जिन की राय को प्रिजुडिस नहीं समझा जा सकता कहा कि इलेक्शन कतई इन्साफ के साथ हुए और किसी तरह की तरफदारी या पार्टीबन्दी नहीं हुई। यह आप की तरफ के बड़े-बड़े आदमियों ने और दूसरे लोगों ने भी इन्डिविजुअल राय दी है। उस के बाद ही यहां म्युनिसिपैलिटीज के भी इलेक्शन हुए। उन के बारे में भी हम ने किसी से यह शिकायत नहीं सुनी कि इस तरह की बात कहीं हुई हो। अभी जो पंचायतों के चुनाव हुये, उस में भी यह बात नहीं सुनी गयी कि किसी ने किसी पार्टी का पक्ष किया या मुखालिफत की यह तो सुना कि पैसा लेकर एक उम्मीदवार की जगह दूसरे को रखा गया। जिस प्वाइन्ट आफ व्यू से वह बात कही गयी उसी प्वाइन्ट आफ व्यू से जवाब दिया जा रहा है। मैंने पहले भी अर्ज कर दिया और अब भी करता हूं। कि वह बात देखने की थी, जब स्पेसिफिक इन्स्टेंसेज आये होंगे, उनकी इत्तिला हुई होगी जो जरूरी कार्यवाही करना है वह हुई होगी और मैं यह यकीन दिलाता हूं कि जब अगला इलेक्शन आयेगा तो वह पहले से किसी लिहाज के बगैर किसी तरफदारी के उसको पूरा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५६ के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, २ और ३

संक्षिप्त शीर्षनाम। १—यह अधिनियम, १९५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५६-५७ के लिए १,८४,२३,३३,५०० रु० का दिया जाना। २—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो ३१ मार्च, १९५७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग १,८४,२३,३३,५०० रुपया (एक अरब चौरासी करोड़ तेईस लाख तैंतीस हजार पांच सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग ३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है। उन-उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	कृषि आयकर (ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) की उगाही (कलेक्शन) पर व्यय ..	२,६३,५००	—	२,६३,५००
२	मालगुजारी (भू-राजस्व)	५,२०,५६,७००	—	५,२०,५६,७००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज) ..	१,०८,४१,४००	—	१,०८,४१,४००
४	स्टाम्प ..	६,५७,६००	—	६,५७,६००
५	बन (फारेस्ट) ..	१,८८,१२,५००	—	१,८८,१२,५००
६	रजिस्टरी ..	१५,०६,८००	—	१५,०६,८००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय ..	१,१०,५०,०००	—	१,१०,५०,०००
८	अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय ..	३१,७०,६००	१०,०००	३१,८०,६००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इर्रिगेशन) के निर्माण-कार्य ..	३,८२,८३,०००	—	३,८२,८३,०००
१०	सिंचाई (इर्रिगेशन) स्थापना पर व्यय ..	३,५८,४८,२००	—	३,५८,४८,२००
११	इंजीनियरिंग की संस्थाएं	६३,४२,२००	—	६३,४२,२००
१२	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय ..	३,१५,३६,४००	११,६१,०००	३,२६,९७,४००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय ..	२,९०,११,३००	—	२,९०,११,३००
१४	गांव सभाएं और पंचायतें	१,०१,५३,८००	—	१,०१,५३,८००
१५	न्याय शासन (एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस)	१,२८,७३,३००	२५,५०,७००	१,५४,२४,०००
१६	जेल ..	१,३०,८७,२००	—	१,३०,८७,२००
१७	पुलिस ..	८,१९,९१,०००	—	८,१९,९१,०००
१८	शिक्षा ..	१२,८१,१४,९००	—	१२,८१,१४,९००
१९	चिकित्सा (मेडिकल)	३,७४,५५,०००	—	३,७४,५५,०००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) ..	१,८९,८४,३००	—	१,८९,८४,३००
२१	कृषि-सम्बन्धी विकास इंजीनियरिंग और खोज (ऐग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च) ..	२,९३,८४,५००	—	२,९३,८४,५००
२२	उपनिवेशन (कालोनाइजेशन) ..	७३,८४,८००	—	७३,८४,८००
२३	पशु-चिकित्सा (वेटेरिनरी)	१,७५,०४,४००	—	१,७५,०४,४००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
२४	विद्युत योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	२,४८,४२,६००	—	२,४८,४२,६००
२५	विद्युत योजनाओं की स्थापना पर व्यय ..	१,३५,०४,२००	—	१,३५,०४,२००
२६	सहकारिता के आधार पर ऋण ..	१,०६,८५,३००	—	१,०६,८५,३००
२७	उद्योग ..	५,४३,३३,०००	—	५,४३,३३,०००
२८	श्रम (लेबर) और संख्या	४९,३१,५००	—	४९,३१,५००
२९	परिवहन (ट्रांसपोर्ट) विभाग ..	४,४२,९०,६००	५६,०००	४,४३,४६,६००
३०	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	४,५८,३४,५००	२,८७,०००	४,६१,२१,५००
३१	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त-पोषित) ..	३९,९८,४००	—	३९,९८,४००
३२	सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय ..	७६,२३,६००	—	७६,२३,६००
३३	नागरिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ सिविल वर्क्स)	७२,४९,५००	—	७२,४९,५००
३४	दुर्भिक्ष सहायता (फेमिन रिलीफ) ..	१८,३६,०००	१८,५०,०००	३६,८६,०००
३५	प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें और भारतीय शासकों को निजी खर्चे ..	९,८५,३००	—	९,८५,३००
३६	बढ़ौती (सुपरिएनुएशन) भत्ते और पेंशनें ..	२,०५,३७,१००	१,२७,०००	२,०६,६४,१००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३७	लेखन सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई ..	१,०७,६०,२००	—	१,०७,६०,२००
३८	विविध व्यय (मिस्लेनियस चार्जेज) ..	३,४९,१३,३००	१००	३,४९,१३,४००
३९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ..	८४,९१,५००	—	८४,९१,५००
४०	समाज-कल्याण ..	४४,३५,६००	—	४४,३५,६००
४१	असाधारण व्यय (एक्स्ट्राआर्डिनरी चार्जेज) ..	४९,०४,०००	१,५५,०००	५०,५९,०००
४२	योजना और एकीकरण	७,१४,७७,८००	—	७,१४,७७,८००
	ऋण (डेट) और अन्य दायित्वों (आब्लिगेशंस) पर ब्याज ..	—	६,६२,३९,४००	६,६२,३९,४००
	ऋण को कम करना (रिडेक्शन) या उससे बचना (अवायडेंस) ..	—	१९,३१,०३,६००	१९,३१,०३,६००
	पूंजी से की गयी निक्षेप निधि का विनियोग	—	१,७३,००,०००	१,७३,००,०००
४३	राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन ..	१३,२७,६०,०००	—	१३,२७,६०,०००
४४	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले)	३,७०,२५,०००	—	३,७०,२५,०००
४५	औद्योगिक विकास (इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट)	२,८५,७४,९००	—	२,८५,७४,९००
४६	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले) ..	१०,४६,९४,३००	—	१०,४६,९४,३००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एण्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
४७	विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत ..	१३,२०,४७,०००	—	१३,२०,४७,०००
४८	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंट बस सर्विसेज), सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ एण्ड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..	१,५९,४१,७००	३४,०००	१,५९,७५,७००
४९	पेंशनों की संराशि (कम्यूटेड वैल्यू आफ पेंशंस)	१९,३५,०००	२५,०००	१९,६०,०००
५०	राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की योजनायें	३,९२,८९,०००	—	३,९२,८९,०००
५१	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (एडवांसेज)	९,५२,१४,४००	—	९,५२,१४,४००
	योग ..	१,५५,९४,३४,७००	२८,२८,९८,८००	१,८४,२३,३३,५००

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक की अंग मानी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक व प्रस्तावना

१९५६ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)

३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रिएशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतन्त्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मैं प्रस्ताव करता हूं कि १९५६ के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि १९५६ के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रिएशन बिल) को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

यू० पी० यूनिवर्सिटीज अध्यादेश के विषय में जानकारी

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से एक जानकारी प्राप्त करना चाहता था। जब हम लोग इस सेशन में बैठे थे शुरू में तो यहां एक आर्डिनेंस हमारी मेज पर पहले ही दिन रखा गया था यू० पी० युनिवर्सिटीज आर्डिनेंस उसमें लखनऊ और इलाहाबाद युनिवर्सिटी विधेयक थे। उसमें संशोधन रखा गया था। मेडिकल कालेज एफिलियेट किया जाय, लखनऊ से उस विधान के अनुसार ६ हफ्ते बाद सेशन मिलने के वह आर्डिनेंस आटोमेटिकली लैप्स हो जाता है। क्योंकि उस पर सरकार ने विचार करना जरूरी नहीं समझा, जिस प्रकार गोरखपुर और वाराणसेय युनिवर्सिटी के लिए बाद को टाइम मांगा इसके लिए नहीं मांगा। लिहाजा यह आर्डिनेंस लैप्स हो जायेगा। लिहाजा जब इसे लैप्स होना था तो इस बीच में यह आर्डिनेंस क्यों लाया गया। सरकार ने क्या आवश्यकता समझी ६ हफ्ते के लिए। और ऐसा आश्चर्यजनक कार्य सरकार ने क्यों किया वह राज मैं जानना चाहता हूं।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जब कभी ऐसा हो तो कानून में उसकी सूरतें लिखी हुई हैं उसको देख लेंगे तो पता चल जायगा। वह हरगिज लैप्स नहीं हुआ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—लेकिन डेढ़ महीना तो हो गया।

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कानून में डेढ़ महीना लिखा है, तो डेढ़ महीना खत्म होगा तभी लैप्स होगा।

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—मैं समझता हूं कि ३० अप्रैल को खत्म होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं समझता हूं कि यह पता चला है कि या तो असेम्बली या कौंसिल में कोई प्रोरोग होने वाला है और कोई नया आर्डिनेंस आने वाला है।

श्री अध्यक्ष—मेरा इस विषय में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। मैं अधिकार से बाहर जाने की चेष्टा नहीं कर सकता हूं।

अब हम उठते हैं और सोमवार, २ अप्रैल को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५३ मिनट पर सोमवार, २ अप्रैल, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२३ मार्च, १९५६।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१५ एल० ए०-१९५६-७९६।